लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र / Sixth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 22 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XXII contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 23 गुरुवार 14 दिसम्बर, 1972/23 अग्रहायण, 1894 (शक)
No, 23 Thursday, December 14, 1972/Agrahayana 23, 1894 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता.प्र. संख्या S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
441.	भारत अमरीकी सम्बन्ध — Indo US Relations	—2
443.	कोलार सोना खानों के निक्षेपों के समाप्त होने के कारण इन खानों के बन्द होने का खतरा — Threatened Closure of Kolar Gold Mines due to Depletion of Deposits	—4
453.	1956 में कोलार सोना खानों को अधिकार में लेने सम्बन्धी समाचार — News regarding "KGF Mines Take Over 1956"	—5
444	रायलसीमा क्षेत्र में खनिज निक्षेपों का निकाला जाना — Exploitation of Mineral Deposits in Rayalseema Region	—7
445	सप्ताह में 7 दिन कार्य करने की पद्धधित को क्रियान्वित करके रोजगार के अवसर पैदा करना — Employment to be Generated by implementation of Seven Day Working Week	—9
446	असैनिक बन्दियों के परिवारों और युद्ध बन्दियों को पाकिस्तान वापस भेजा जाना — Repatriation of Families of Civilian Internees and POWs to Pakistan	—11
448	इटारसी के पास हथियार परीक्षण रेन्ज खोलना — Opening of Weapons Testing Range near Itarsi	—13
450	सैनिक शहीदों के माता पिता को पेंशन देने के बारे में अभ्यावेदन — Representations regarding Payment of Pension to Parents of Military Martyrs	—14
455	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में कम उत्पादन — Low production of Hindustan Zinc Ltd. Udaipur	—16
456	इस्पात के आवंटन के लिए महाराष्ट्र सरकार की मांग — Demand from Government of Maharashtra for Allotment of Steel	—17

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS	
442 पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में लघु इस्पात संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Mini Steel Plant at Purulia in West Bengal	—18
447 भारत पाकिस्तान सीमा सम्बन्धी समझौते के बारे में प्रगति	Progress Regarding Settlement of Indo-Pak Border	—18
449 पाकिस्तान में ननकाना साहिब को वैटिकन के समान दर्जा देने के लिए ज्ञापन	Memorandum of Vatican Status for Nankana Sahib in Pakistan	—19
451 शिशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास	Development of Apprenticeship Training Programme	—19
452 मद्रास पतन पर गोदी कर्मचारियों की हड़ताल	Dock Workers Strike at Madras Port	—20
454. प्रशान्त महासागर में माइक्रोनेशिया द्वीप समुह में अमरीकी अड्डों का समाचार	Reported Pentagon Bases on Pacific Islands of Micronesia	—20
457. भारत में पाकिस्तानी युद्ध बंदियों की रिहाई के लियु संयुक्त राष्ट्रसंघ में पश्चिमी देशों का प्रयास	Proposed Western Move in UN for Release of POWs in India	—20
458. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अधिकारियों का स्थानान्तरण	Transfers in EPF Organisation	—21
459. शास्त्रास्त्रों में कटोती न करने के बारे में पाकिस्तान के राष्ट्रपति का कथित वक्तव्य	Reported Statement by Pak President for no cut in Arms	—22
460. खेतड़ी तांवा खानों में हो रही वार्षिक हानि	Annual Loss at Khetri Copper Mines	—22
अतारांकित प्रश्न सं० U.S.Q. Nos.		
4313. संयुक्त राष्ट्र संघ में भाग लेने के लिये संसद सदस्यों के चयन का सिद्धांत	Criteria for seleeting M.Ps for Participation in UNO	—22
4314. कैंटीन एण्ड स्टोर डिपार्टमेंट में सहायक प्रबन्धकों और प्रबन्धकों का चयन	Selections of Assistant Managers Managers in Canteens and Stores Department	—23

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4315.	सी०एस०डी० (एक) के नियंत्रण मंडल के मुख्य कैंटीन अधिकारी तथा सचिव के पद पर नियुक्ति Appointment of Chief Canteens Officers cum Secretary to Board of control of CSD(I)	—23
4316.	भारत और बंगलादेश के बीच पार-पत्र प्रणाली का लागू किया जाना Introduction of Passport system between India and Bangladesh	—24
4317.	भारी इंजीनियरी निगम के प्रबन्ध को सुव्यवस्थित करना Rationalisation of management of Heavy Engineering Corporation	—24
4318.	सिविलियन सहायता भर्ती अधिकारियों की पदोन्नति Promotion of Civilian Assistant Recruiting Officer	—25
4319.	सरकारी क्षेत्र में संविद श्रमिक Contract Labour in Public Sector	—25
4320.	एल०आई०सी० ग्राउन्ड, नई दिल्ली में आयोजित रक्षा प्रदर्शनी से प्राप्त राजस्व Revenue earned by Defence Exhibition organised in LIC Ground New Delhi	—25
4321.	इण्डिया गेट पर जलाई गई 'अमर जवान' ज्योति Burning of Amar Jawan Jyoti at India Gate	—26
4322.	पन्ना का पता लगाने के लिए अजमेर और उदयपुर में रुसी विशेषज्ञों द्वारा अन्वेषण Exploration by Russian Experts in Ajmer and Udaipur for Emeralds	—26
4323.	पूर्वी अफ्रीका से भारतीय पार-पत्र प्राप्त व्यक्तियों का प्रत्यार्वतन Repatriation of Indian Passpart Holders from East Africa	—26
4324.	खनिज अन्वेषण निगम के कार्यकरण का प्रसार Expansion of working of Mineral Exploration Corporation	—26
4325.	ब्रिटेन में मजगांव डाक लिमिटेड का कार्यालय Mazagon Dock Limited's Office in Britain	—27
4326.	गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि और प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय में रोजगार ब्यूरो Employment Bureau at GB Pant University of Agriculture and Technology	—27
4327.	रोजगार दफ्तरों में दर्ज ग्रेजुएट कृषि इंजीनियर Graduate Agricultural Engineers registered with Employment Exchanges	—28
4228.	नियमित/अल्प सेवा कमीशनों के लिए समय समय पर स्नातक इंजीनियरों की भर्ती Periodical Recruitment of Graduate Engineers for Regular / short Service Commissions	—29
4329.	कोयला मंत्रणा परिषद की कोयले के उत्पादन के बारे में सिफारिशें Recommendations of coal Advisory Council regarding production of coal	—29
4330.	सेना मुख्यालय कैंनटीन का प्रबन्ध सी०एस०डी० (एक) से लिया जाना Taking over of Army Headquarters, Canteen from CSD (I)	—30

ता.प्र. संख्या S .Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4331.	केन्द्रीय लोक निमर्णभग के उद्यान विभाग में श्रमिकों को न्यूनतम मन्जूरी	Minimum wages of workers in Horticulture Division of CPWD	—30
4332.	बोकारो स्टील लिमिटेड का निदेशक मंडल	Board of Directors of Bokarao Steel Limited	—31
4333.	कम्पनियों द्वारा स्वर्ण निक्षेपों का खनन	Mining of Gold by Companies	—32
4334.	दिल्ली विश्वविद्यालय रोजगार कार्यालयी में पंजीकृत स्नातक तथा स्नातकोतर व्यक्ति	Graduates & Post Graduates registered with Delhi University Employment Exchanges	—33
4335.	ब्रिटेन में भारतीय संस्कृति का प्रसार करने का कार्यक्रम	Programme to spread Indian Culture in Britain	—33
4336.	आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मन्जूरी	Need based Minimum wage	—34
4337.	सप्ताह में सात दिन काम करने के बारे में एन०सी०टी०यू०की बैठक में विचार विमर्श	NCTU Discussion on Seven Day Week	—34
4338.	पाकिस्तान के युद्ध बन्दि ों को सप्लाई की गई औषधियों का मूल्य तथा पाकिस्तान में भारतीय युद्ध बन्दियों को दी गई चिकित्सा सहायता	Cost of Medicines supplied to POWs of Pakistan and Medical help to Indian POWs in Pakistan	—34
4349.	हिंदालको का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of HINDALCO	—35
4340.	भारत इलकट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा दिखाया गया लाभ तथा उत्पादन	Profit and Production of Bharat Electronics Limited	—35
4341.	6 दरवाजों वाली मर्सीडीजकार के रखरखाव पर व्यय	Expenditure on Maintenance of 6 Door Mercedez Benz Car	—35
4342.	देश में उपलब्ध कोयला और इंधन का अधिकतम उपयोग	Economy and Optimum Utilization of Coal and Fuel Available in the Country	—36
4343.	"ट्रांसपोर्ट प्लैनिंग नो मैच फार कोल टारगेट्स सेट" का समाचार	News item Transport Planning no match for Coal Targets Set"	—36
4344.	सन्तालडीह परियोजना के लिए इस्पात के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री द्वारा की गई अपील	Appeal made by Chief Minister of West Bengal for Steel for Santaldih Project	—37
4345.	मारुति लिमिटेड को इस्पात का आवंटन	Allotment of Steel to Maruti Limited	—37

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4346.	भारतीय वायुसेना की प्रशिक्षण उड़ानों में होने वाली दुर्घटनाओं में वृद्धि — Increase in Accidents on IAF Training Flights	—37
4347.	संयुक्तराष्ट्र में बंगाला देश का दर्जा — Status of Bangladesh in UN	—38
4348.	भारत द्वारा शस्त्रास्त्रों का निर्यात — Export of Arms by India	—38
4349.	एशियाईयों को अपना कारोबार अफ्रीकियों को बेचने के बारे में कीनिया सरकार की घोषणा — Kenya Government announcement for Asians to Sell their Business to Africans	—39
4350.	बाल श्रम का समाप्त किया जाना — Abolition of Child Labour	—39
4351.	केन्या में एशियाइयों को केन्या छोड़ने के नोटिस दिये जाने का समाचार — Reported Quit Notices to Asians in Kenya	—40
4352.	आँध्र प्रदेश में सोने और हीरों का पता लगाने के लिए जांच — Investigations to locate Gold and Diamonds in Andhra Pradesh	—41
4353.	चित्तूर जिले के भूतपूर्व सैनिक एसोसियेशन से प्राप्त ज्ञापन — Memorandum received from Ex-Servicemen Association of Chittoor District	—41
4354.	अग्निगुण्डाला सीसा और तांबा खानों का कार्यकरण — Working of Agnigundala Lead and Copper Mines	—42
4355.	रक्षा उपकरणों की योजना रूप रेखा (ब्लू प्रिन्ट) का आयात — Import of Blue Prints of Defence Equipments	—42
4356.	रक्षा उत्पादन एककों के साथ और गैर सरकारी क्षेत्र से असैनिक उत्पादन करने वाली मशीनरी — Mechinery of Dovetail Civil Production in Private Sector with Defence Production Units	—42
4357.	बंगला देश की अशस्त्र सेनाओं को सप्लाई और प्रशिक्षण सुविधाएं देने के लिए स्थान निश्चित करना — Location of places for supply and Training facilities to Bangladesh Armed Forces	—43
4358.	चीन और नेपाल के बीच आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए करार — Agreement between China and Nepal for economic and technical co-operation	—43
4359.	पाकिस्तानी संवाददाता की जनसंघ के अध्यक्ष से भेंट — Interview of Jan Sangh President by Pak Newsmen	—44
4360.	विशखापत्तनम और विजयनगरम् स्थित इस्पात कारखानों की क्षमता — Capacity of Visakhapatanam and Vijayanagaram Steel Plants	—44
4361.	युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं को उन के पुनः विवाह करने पर पेंशन का दिया जाना — Payment of pension to war widows after their re-marriage	—44
4262.	हिमाचल प्रदेश के लिए प्रादेशिक सेना की अलग यूनिट का गठन — Creation of separate unit of Territorial army for Himachal Pradesh	—45

आत.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4363.	भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् द्वारा आरम्भ किये गए पुरस्कार Awards instituted by Indian Council for Cultural Relations	—45
4364.	सैनिक पदक प्राप्त कर्ताओं को अधिक धनराशि का भूगतान करने के बारे में अभ्यावेदन Representations re: increace in payment to holders of Military Medals	—45
4365.	हनोई द्वारा एक वक्तव्य में अमरीका पर शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के मामले में पिछे हटने का आरोप Hanoi statement alleging USA retracting to sign peace Treaty	—46
4366.	विदेशों में भारतीय मिशनों से छंटनी किए गए कर्मचारियों को अन्यत्र खपाना Absorption of pruned staff of Indian Missions Abroad	—46
4367.	भिलाई इस्पात संयंत्र के विस्तार के बारे में भारत और रूस के बीच करार Agreement between India and USSR for expansion of Bhilai Steel Plant	—46
4368.	रूरकेला इस्पात संयंत्र क्षेत्र के अन्तर्गत लाहिनी पाड़ा से बरकोट तक सड़क का निर्माण Construction of a road between Lahinipada and Barkote under Rourkela Steel Plant Zone	—47
4369.	सरकारी उपक्रमों में हड़ताल और तालाबन्दी पर रोक लगाने के बारे में विधान Legislation regarding ban of strikes and lock outs in Public undertakings	.—47
4370.	माना शिविर में बंगला देश के शरणार्थी Bangladesh refugees in Mana Camp	—47
4371.	मध्य प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा बोनस की अदायगी न करना Non-payment of bonus by Sugar mills in Madhya Pradesh	—48
4372.	पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रास्त्रों की सहायता पुनः आरम्भ करना Resumption of USA arms aid to Pakistan	—48
4573.	पाकिस्तान में भारत विरोधी प्रचार Anti Indian Propaganda in Pakistan	—49
4374.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय कार्यालय में फालतू पद Surplus posts in Central Office of EPF Organisation	—49
4375.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में योग्यता सम्बन्धी कोटा परीक्षा Merit Quota Examination in EPF Organisation	—50
4376.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सेवा निवृत कर्मचारियों के पेंशन सम्बन्धी मामले Pension Cases of Retired Employees in EPFO	—50
4377.	बंगला देश के संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश के लिये युद्ध बन्दियों की वापसी की पूर्व शर्त Repatriation of POWs as Pre-condition for Admission of Bangladesh into UN	—51

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4378.	हिन्द महासागर में नौसेना की शक्ति बढ़ाने के लिए 'नाटो' राजनीतिक समिति का कथित निर्णय	Reproted Decision of NATO Political Commitee to Increase Navel Strength in Indian Ocean —51
4379.	सैनिक अकादमियों में विद्यार्थी	Students in Military Academies —51
4380.	सैनिक अस्पतालों में बिस्तरों की कमी	Shortage os Bed Accommodation in Military Hospitals —52
4381.	उन्नत किस्म के लड़ाकू विमान का डिजाइन तैयार करने और उसका विकास करने का प्रस्ताव	Proposal to Design and Develop and Advance Strike Aircraft —53
4382.	पाकिस्तान द्वारा भारतीय जलसीमा का उल्लधंन	Violation of Indian Territorial Waters by Pakistan —53
4383.	उत्तर वियतनाम को शस्त्र सप्लाई करने के लिए भारतीय बन्दरगाहों का प्रयोग	Use of Indian Harbours to supply Arms to North Vietnam —53
4384.	भारतीय वायु सेना प्रशिक्षण केन्द्र हैदराबाद में हुई दुर्घटनायें	Accidents in IAF Training Cent e Hyderabad —53
4385.	बोनस अधिनियम के बारे में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी फैडरेसन का प्रस्ताव	Resolution of All India Defence Employees Federation regarding bonus Act —54
4386.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यकरण में सुधार	Improvements in working of employees state Insurance Corporation —54
4387.	अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ के लिए स्थायी वार्ता मशीनरी	Parmanent Negotiating Machinery for All India Employees Federation —55
4388.	मजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई में कथित भ्रष्टाचार	Alleged malpractices in Mazagon Dock Limited Bombay —55
4389.	विमानों की मरम्मत तथा सामान्य इंजीनियरी कार्यों में मजगांव डाक लिमिटेड को हुई हानि	Losses in Mazagon Dock Limited on repair of Ships and General Engineering Works —56
4390.	इस्पात संयंत्रों के प्रबन्ध निदेशकों के विरूद्ध शिकायतें	Complaints against Managing Dircetor of Steel Plants —56
4391.	आसनसोल दुर्गापुर क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए अलाय स्टील प्लाण्ट, दुर्गापुर को सुविधायें देने से इन्कार करना	Denial of facilities to Alloy Steel Plant Durgapur for Economic Growth of Assansol Durgapur Region —56
4392.	पाकिस्तान तथा बंगलादेश के बीच पूनः मित्रता कायम करने के लिए इस्लामी देशों द्वारा प्रयास	Efforts by Islamic Countries for rapprochement between Pakistan and Bangladesh —57

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4393. इंधन नीति सम्बन्धी समिति द्वारा लगाए गए अनुमान की दृष्टि में कोयला उत्पादन के लिए निवेश	Investment for production of Coal as estimated by Fuel Policy Committee	—57
4394. नान केकिंग कोयला खानों का अधिग्रहण	Talking over of Non Coking Coal Mines	—58
4395. क्यूबा के साथ प्रतिबन्धात्मक व्यापार की नीति	Policy of restricted Trade with Cuba	—58
4396. गार्डनरीच वर्कशाप द्वारा प्राइवेट पार्टियों तथा कम्पनियों से आर्डर स्वीकार करना	Entertaining orders from Private Parties and companies by Garden reach workshop	—58
4397. गार्डनरीच वर्कशाप के उत्पादन का मूल्य	Value of Production of Garden reach workshop	—59
4398. जम्मू तथा कश्मीर में नियन्त्रण रेखा के निर्धारण के बारे में सिविल अधिकारियों के बीच बातचीत का सुझाव	Suggestion for Talks between Civilian Officials over Delineation of Line of Control in Jammu and Kashmir	—59
4399. भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था से खनिज समन्वेषण निगम को पृथक करना	Separation of Mineral Exploration Wing from GSI	—59
4400. मंत्रियों द्वारा मजदूर संघों के नेताओं के रूप में कार्य किया जाना	Functioning of Ministers as Trade Union Leaders	—60
4401. भारतीयता सेना में जाति, समुदाय तथा क्षेत्रीय के आधार पर यूनिटों की प्रथा को समाप्त करने के लिए की गई कार्यवाही	Steps taken with regards to Abolition of Caste, Communal, Regional Denomination of Units in Indian Army	—61
4402. कोयले के उत्पादन में कमी	Decline in Production of Coal	—61
4403. बंगला देश में इस्पात उद्योग का विकास	Development of Steel Industry in Bangladesh	—62
4404. बंगलादेश के संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश का पाकिस्तान तथा अमरीका द्वारा विरोध	Opposition by Pakistan and USA to entry of Bangladesh into UN	—63
4406. भारत में बंगलादेश के शरणार्थी	Bangladesh Refugees in India	—63
4407. भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा उदयपुर जिले में फास्फोराइट खनिज का पता लगाया जाना	Location of Phosphorite Mineral in Udaipur District by GSI	—63

अता.प्र. संख्या US.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4408.	नागौर (राजस्थान) से जिप्सम के लदान पर प्रतिबन्ध लगाने के कारण बेरोजगार हुए श्रमिक	Labourers Rendered Jobless due to Ban on Loading Gypsum from Nagaur Rajasthan	—64
4409.	कनाडा, अमरीका, पश्चिम जर्मनी तथा फ्रांस में भारतीय मिशनों के कर्मचारियों की संख्या	Strength of staff of Indian Missions in Canada, USA, West Germany and France	—64
4410	सर्दी के महीनों में कोयले की मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कोयले का भंडार बनाना	Building up of Stock of Coal to Check Rise in its Price in Winter	—64
4411.	तीन नये इस्पात संयंत्रों के लिए विदेशी सहायता	Foreign Assistance for Three New Sleel Plants	—65
4412.	कपड़ा मिलों में 20 वर्ष की सेवा के बाद श्रमिकों को भविष्य निधि लौटाना	Return of Provident Fund to Labourers in Textile Mills after 20 years of service	—65
4413.	पत्थर के कोयले के मूल्य में वृद्धि का मध्य प्रदेश के 'काटन' मिल उद्योग पर प्रभाव	Impact of Increase in Prices of Steam Coal on Cotton Mill Industry in Madhya Pradesh	—66
4414.	विदेश मंत्री द्वारा अफ्रीकी तथा पश्चिम एशियाई देशों का दौरा	Foreign Minister's visit to African and West Asian Countries	—66
4415.	श्रीलंका के सहयोग से हिन्द महासागर में चीन की गतिविधियां	Chinese Activities in Indian Oceans with Cooperation of Ceylon	—66
4416.	संयुक्त राष्ट्र की सहायता का पाकिस्तान में सैनिक तैयारियों के लिए उपयोग	Utilization of UN Assistance for Military Preparation in Pakistan	—67
4417.	मैंगनीज बाक्साइट, जिप्सम और वेराइट्स खानों में श्रमिकों की न्यूनतम मंजूरी	Minimum Wages of Workers in Manganese; Bauxite, Gypsum and Barytes Mines	—67
4418.	भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लिमिटेड आन्ध्र प्रदेश को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के उपबन्धों से छूट देना	Exemption from Provisions of ESI Act, 1948 to Bharat Heavy Plates and Vessels Limited, Andhra Pradesh	—68
4419.	मध्यप्रदेश स्थित बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना में मजदूर संघ की गतिविधियों में बाधा डालना	Disruption of Trade Union activities in Bailadila Iron Ore Project, Madhya Pradesh	—68
4420.	बीड़ी और सिगार अधिनियम के उपबन्धों का राज्यों में क्रियान्वयन	Implementation of Provisions of Beedi and Cigar Act in States	—69

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4421.	मध्य प्रदेश में कम्पनियों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि को जमा न कराना / Non deposit of arrears of EPF by Companies in Madhya Pradesh	—69
4422.	मध्य प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण / Geological survey of Madhya Pradesh	—70
4423.	पूर्वनिमाड़ जिले के क्षेत्र का खनन कार्य के उद्देश्य के लिए सर्वेक्षण / Survey of East N mar District region for mining purpose	—70
4425.	भारत अमरीकी सम्बन्ध / Indo US Relations	—70
4426.	औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक का विरोध / Opposition to Industrial Relations Bill	—71
4427,	सशस्त्र सेना का सुव्यवस्थित किया जाना / Streamining the Armed Forces	—71
4428.	उद्योगों/कारखानों में कार्मिक संघों को मान्यता देने के सम्बन्ध में शिकायतें / Complaints regarding recognition of Labour Unions in industries/factories	—71
4429.	राज्यों में श्रम समस्या के कारण बन्द हुए उद्योग / Industries closed due to Labour trouble in States	—72
4430.	बोकारो इस्पात कारखाने को होल्डिग कम्पनी के अधीन रखने में रूस का विरोध / Russian opposition to bring Bokaro Steel Plant under the Holding Company	—72
4431.	केरल में रोजगार कार्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों तथा स्नातकोत्तर अध्यापकों द्वारा नाम दर्ज कराना / Trained Graduates and Post Graduate Teachers registered with Employment Exchanges in Kerala	—72
4432.	केरल में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिये सामग्री की उपलब्धता / Availability of material for setting up a Steel Plant in Kerala	—73
4433.	केरल में श्रमजीवियों की जनसंख्या / Working population in Kerala	—73
4434.	केरल में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल / ESIC Hospital in Kerala	—74
4435.	उद्योगों में हड़ताल / Industrial Strikes	—74
4436.	कार्मिक संघों की संयुक्त परिषद द्वारा संयुक्त कार्यवाही योजना बनाया जाना / Joint Action Plan by United Council of Trade Unions	—76
4437.	इस्पात और खान मंत्रालय का कार्यकरण / Working of Ministry of Steel and Mines	—76

ता. प्र. संख्या S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4438.	पंजाब से कनाडा को गए व्यक्ति	Migrations to Canada from Punjab	—77
4439.	ब्रिटिश पासपोर्ट धारियों का यूगांडा से निष्कासित होने पर भारत में आना	Arrival of British Passport Holders in India on Expulsion from Uganda	—77
4440.	विदेशों में रह रहे भारतीयों की समस्याएं	Problems of Indians living Overseas	—78
4441.	अपंग जवानों तथा शहीद सैनिकों के परिवारों को पुन: बसाने की योजना पर खर्च की गई धनराशि	Expenditure incurred on Schemes for Rehabilitation of Disabled Jawans and Families of kiled soldiers	—78
4442.	भारत सरकार के मुद्रपालयों में कर्मचारियों की यूनियन को मान्यता	Recognition to Employees Union in Government of India Presses	—78
4443.	सरकारी सेवा निवृत अधिकारियों/ राजनीतिक दलों के समर्थकों को राजनयिक कार्य सौपना	Diplomatic Assignments to retired Government Officers/Supporters of Political Parties	—79
4444.	खेतड़ी परियोजना, हिन्दुस्तानकापर में 30 करोड़ रुपये की वार्षिक हानि	Thirty Crore Rupees Annual Loss in Khetri Project, Hindustan Copper	—79
4445.	एलाय इस्पात संयंत्र दुर्गापुर द्वारा औजार निर्माताओं को इस्पात की अपर्याप्त सप्लाई	Inadequate Supply of Steel to Tool Manufacturers by Alloy Steel Plant Durgapur	—79
4447.	पंजाब खोर ग्राम (दिल्ली) में अधिग्रहीत निष्क्रांत सम्पत्ति के स्थायी आबंटन की सनदें जारी करना	Issuing of Sanads of Permanent Allotment of Acquired Evacuee Property in village Punjab Khore, Delhi	—80
4448.	खनन इंजिनियरों के प्रतिनिधि मन्डल का विदेश दौरा	Delegations of Mining Engineers visits Abroad	—80
4449.	पीटर सागर की किताब 'मास्कोज हेण्ड इन इण्डिया" पर प्रतिबन्ध लगाना	Banning of Peter Sagars Book "Mosocows' Hand in India"	—81
	नई दिल्ली में नांगल राया ग्राम की भूमि के अर्जन के आदेश रद्द करने के बारे में 1 सितम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4378 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण तथा नेवली लिगनाइट कारपोरेशन में उत्पादन के बारे में 3-8-1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 682 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	Correction of Answer to U.S.Q. No. 4378 dated 1.9.1972 *re* : De-requisitioning of land of village Nangal Raya New Delhi and U.S.Q. No. 682 dated 3.8.1972 *re* : Production of Noyvcli Lignite Corporation.	—81—82

अत.प्र. संख्या U.S.Q. No,	विषय Subject	पृष्ठ Pages
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	—82
तमिलनाडु में अभूतपूर्व बाढ़	Unprecedented floods in Tamil Nadu	—82
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	—82
डा० के० एल० राव	Dr. K.L. Rao	—83
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	—86
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	—87
52 वां प्रतिवेदन	Fifty second Report	—87
समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee	—87
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	—87
दिल्ली विद्यालय शिक्षा विधेयक	Delhi School Education Bill	—87
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय और बढ़ाना	Extension of Time for Presentation of Report of Joint Committee	—87
भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक-पुरः स्थापित	Indian Tariff (Amendment) Bill Introduced	—88
रुग्ण कपड़ा उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक—पुरः स्थापित	Sick Textile Undertakings (Taking over of Management) Bill Introduced	—88
रुग्ण कपड़ा उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश 1972 के बारे में वक्तव्य—सभा पटल पर रखा गया	Statement *Re.* Sick Textile Undertakings (Taking over of Management) Ordinance 1972-Laid on the Table	—89
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L.N. Misra	—89
उत्तर प्रदेश के एक गाँव में मकानों को जलाने के कथित समाचार के बारे में	Alleged Burning of Houses in a Village in Uttar Pradesh	—93
परिसीमन विधेयक	Delimitation Bill	—89
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री पी० के० देव	Shrs P.K. Deo	—89
श्री रुद्र प्रताप सिंह	Shri Rutra Pratap Singh	—90
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary	—90

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No,	विषय Subject	पृष्ठ Pages
खंड 2 से 11 और 1	Clauses 2 to 11 and 1	
श्री आर० वी० बड़े	Shri R.V. Bade	—96
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	—98
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary	—98
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass as amended	—99
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	—99
श्री शम्भू नाथ	Shri Shambhu Nath	—99
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	—99
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary	—100
राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक	State Financial Corporations Amendment Bill	—100
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	—100
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi	—100
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	—102
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik	—103
श्री ई० आर० कृष्णन्	Shri E.R. Krishnan	—104
श्री डी० के० पण्डा	Shri D.K. Panda	—104
श्री आर० वी० बड़े	Shri R.V. Bade	—105
देश में विद्यार्थियों में व्याप्त असन्तोष और दिल्ली विश्वविद्यालय में 6 दिसम्बर, 1972 को हुई घटनाओं के बारे में चर्चा	Discussion on student Unrest in the Country and Incidents in Delhi University on December 6, 1972	—106
श्री पी० गंगादेव	Shri P. Ganga Deb	—106
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	—106
श्री आर० डी० भंडारे	Shri R.D. Bhandare	—107
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C.K. Chandrappan	—108
श्री राजदेव सिंह	Shri Rajdeo Singh	—109
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder	—109
प्रो० नारायण चन्द पराशर	Prof. Narain Chand Parashar	—110
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	—110
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur	—111
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	—112
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K.C. Pant	—113
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	—113

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 14 दिसम्बर, 1972/23 अग्रहायण, 1894 (शक)
Thursday, 14 December, 1972/Agrahayana 23, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

{**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए । / **Mr. Speaker** *in the Chair*}

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
Oral Answers to Questions

भारत-अमरीकी सम्बन्ध

+

***441. श्री एम० एस० संजीवी राव :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति निक्सन ने यह आशा व्यक्त की है कि भारत और अमरीका के बीच पारस्परिक हितों के लिए सूझ-बूझ और सम्मान के आधार पर अच्छे सम्बन्धों का विकास होगा ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने राष्ट्रपति निक्सन के वक्तव्य का स्वागत किया है और जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है समानता, पारस्परिकता और आपसी सम्मान के आधार पर संयुक्त राज्य अमरीका के साथ अपने सम्बन्ध सामान्य और सुदृढ़ करने की हर कोशिश करेंगे ।

श्री एम०एस० संजीवी राव : देश की ओर से माननीय मंत्री ने अमरीका की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया है परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि अमरीका में प्रेस ने और न्यूयार्क टाइम्स तक ने लिखा है कि हम भारत में अनाज की भारी कमी होने के कारण अमरीका का मित्र बनने का प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार ने अमरीका के लोगों तथा प्रेस द्वारा किये जा रहे इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रचार का खन्डन करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमारे देश की तरह अमरीका में भी प्रेस को टीका टिप्पणी करने का अधिकार है। हम ऐसी आलोचना की ओर ध्यान देते हैं और हमारी नीति अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की है जिसका पर्याप्त प्रचार किया जाता है। चाहे भारतीय प्रेस हो या अन्य किसी देश का प्रेस हो हम उसकी राय या मत खंडन करने का तरीका नही अपनाते।

श्री एम०एस० संजीवी राव : क्या अमरीका ने कोइ वास्तविक प्रमाण दिया कि वह भारत के प्रति सम्मान दिखाते हुए अच्छे सम्बन्ध बढ़ाना चाहता है ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस सम्बन्ध में हमारी जो स्थिति है उसे स्पष्ट कर दिया गया है। हमारे वक्तव्यों और रवैया का अध्ययन करके अमरीका के विदेश मंत्री श्री रागर्स ने जो सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखायी है उसके विषय में मैं पहले ही एक प्रस्ताव पेश कर चुका हूं। विदेश मंत्री श्री रागर्स के वक्तव्य का दिसम्बर 1 का पत्र निम्नलिखित है :—

> "हम उस सकारात्मक टिप्पणी का स्वागत करते हैं जो विदेश मंत्री और राष्ट्रपति गिरी ने दोनों देशों की सरकारों के बीच मित्रता तथा सहयोग पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के बारे में अपना इरादा व्यक्त करते हुए दी है। आवश्यकता इस बात की हैं कि भारत और अमरीका इस लक्ष्य के लिए एक साथ मिलकर काम करें।"

श्री पी०जी० मवलंकर : अमरीका के राष्ट्रपति ने और विदेश मंत्री श्री रोगर्स ने जो वक्तव्य दिये हैं उनके अतिरिक्त अमरीका ने क्या ठोस कदम उठाये हैं कि जिससे भारत के साथ सामान्य आधार पर बातचीत हो सके और इसके लिए भारत सरकार आत्म-सम्मान और देश की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए क्या ठोस कदम उठा रही है।

श्री स्वर्ण सिंह : हम बात चीत आरम्भ करने के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठा सकते। बातचीत आरम्भ होना ही एक ठोस कदम होगा। अमरीका के साथ सम्बन्ध सुधारने की हमारी तत्परता और इसके प्रति अमरीका का सकारात्मक रुख ऐसे ठोस कदम हो सकते हैं जिनसे दोनों देशों के बीच कोई आर्थिक बातचीत हो सकेगी।

मुझे विश्वास है कि हम अपने कार्य से वह प्रमाण दे चुके हैं कि हम उस आधार पर जिसका मैंने अपने वक्तव्य में जिक्र किया है संबंध सुधारने के इच्छुक हैं।

श्री वयालार रवि : माननीय मंत्री ने कहा कि हम अमरीका के साथ बातचीत करने के लिये तैयार हैं, परन्तु बंगला देश को संयुक्त राष्ट्र संगठन का सदस्य बनाने के मामले में जिस के लिए भारत की जनता और सरकार उत्कष्ट अभिलाषी है अमरीका ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, अभी तक अमरीका ने भारत के साथ अपने सम्बन्ध सुधारने की दिशा में कोई गहरी रुचि नहीं ली है। अत: हमारी सरकार किसी बातचीत के लिये कैसे तैयार हो सकती है ?

श्री स्वर्ण सिंह : सदस्य महोदय को याद होगा कि अमरीका सरकार ने बंगला देश को मान्यता दे दी थी जो कि इस उप महाद्वीप में उत्पन्न हुई नई स्थिति को स्वीकार करने की दिशा में और बंगला देश को एक प्रमुख सम्पन्न और स्वाधीन देश मानने की दिशा में एक कदम है। वास्तव में, 1971 में भारत उपमहाद्वीप में उत्पन्न स्थिति के प्रति अमरीका का जो रुख था वह पक्षपात रहित नहीं था परन्तु बाद में हुई घटनाओं के कारण अमरीका की सरकार ने बंगला देश की प्रभुत्व सम्पन्नता और स्वाधीनता को मान्यता दी वह काफी हद तक यह प्रकट करता है कि अमरीका ने बदली हुई स्थिति को स्वीकार कर लिया है और अमरीका को बार-बार यह याद दिलाना बुद्धिमानी नहीं होगी कि 'यद्यपि अब आप ठीक हैं परन्तु पिछले वर्ष आप गलत थे'। यह रुख

शायद सहायक सिद्ध नहीं होगा ।

श्री जगन्नाथ राव : क्या माननीय मंत्री अमरीका के विदेश मंत्री श्री विलिलम रोगर्स से यह आश्वाशन प्राप्त कर सकते हैं कि अमरीका पाकिस्तान को हथियार नहीं भेजेगा . . . .

अध्यक्ष महोदय : यह विदेश मामलों पर वाद-विवाद नहीं है। प्रश्न साधारण है परन्तु आप उसे बहुत अधिक बढ़ा रहे हैं ।

श्री जगन्नाथ राव : यदि अमरीका पाकिस्तान को हथियार देता रहा तो उससे हमारे सम्बन्ध कैसे सुधार सकते हैं ।

Shri Satpal Kapoor : It has detereorated and may detereorate our relations further.

Mr. Speaker : This is not a full debate.

श्री बालदण्डायुत्तम : क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि राष्ट्रपति निक्सन की चुनाव में विजय पर भारत ने जो बधाई भेजी है वह केवल औपचारिक हैं अथवा अच्छे सम्बन्ध बनाने की दृष्टि से भेजी गई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं यह स्पष्टीकरण करना चाहूंगा कि हमारी ओर से या अमरीका की ओर से सम्बन्ध सुधारने के लिये कोई संकेत देने का प्रश्न नहीं है । हमारा देश प्रभुत्व सम्पन्न और स्वाधीन है । मैंने जो वक्तव्य दिया है उसमें कोई ऐसा संकेत देने का प्रश्न नहीं है ।

हमने अपनी ओर से स्थिति स्पष्ट कर दी है और इस विषय पर अपने विचार भी सुस्पष्ट कर दिये हैं और अमरीका ने हमारी स्थिति का सावधानी पूर्वक अध्ययन करके अपने विदेश मंत्री श्री रोगर्स के माध्यम से जो प्रति क्रिया दिखाई है उसके अनुसार वह भारत के विदेश मंत्री के वक्तव्य का स्वागत करते हैं और सम्बन्धों को सुदृढ़ करना और सुधारना चाहते है ।

दो प्रभुत्व सम्पन्न देशों के बीच सम्बन्ध संकेत पर निर्भर नहीं करते । उसके लिए तथ्यों कमूल्यांकन कर निर्णय लिये जाते हैं ।

जहां तक अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियार दिये जाने का प्रश्न है उसे हम अत्यधिक महत्व देते हैं और मैंने अपने वक्तव्य में भी उसका स्पष्टीकरण किया था कि हमारी दृष्टि में अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियार भेजे जाने के कारण स्थिति बिगड़ेगी । हथियारों की सप्लाई से भारत उप-महाद्वीप में स्थायी शांति की स्थापना में बाधा पड़ेगी ।

श्री माधुर्य्य हालदार : भाषा को लेकर हाल ही में जो उपद्रव हुए और शिक्षा संस्थाओं में जो तनाव पैदा हुआ उसके बारे में तो सरकार यह कहती रही कि इसके लिए सी० आई० ए० उत्तरदायी है परन्तु·····

अध्यक्ष महोदय : सी० आई० ए० का इस मामले से क्या सम्बन्ध है ।

श्री माधुर्य्य हालदार : मैं अपनो प्रश्न पूछ रहा हूँ, सी० आई० ए० के बारे में नहीं कह रहा हूँ । हमें पूर्ण विश्वास है कि भारत सरकार के अमरीका से अच्छे सम्बन्ध हैं जोकि भारत में अमरीका के भारी पूंजी विनियोजन से स्पष्ट है । अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि उनके इस कथन से कि हमारे सम्बन्ध और परस्पर सम्मान तथा अन्य स्थिति में सुधार होगा, क्या उनका अभिप्राय यह है कि भारत में अमरीका की और अधिक पूंजी विनिपोजित होगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं नही समझता कि अमरीकी विनियोजन का इस सिलसिले में कोई प्रभाव पड़ता हैं । उस मामले पर उसके गुणागुणों पर विचार किया गया है । जहां तक भारत की

स्थिति का सम्बन्ध है हमने यह बात स्पष्ट कर दी है कि हम उस पूंजी निवेश का स्वागत करेंगे, चाहे वह किसी देश की हो, जो हमारी विकास योजना के अनुरूप हो। किन्तु ऐसा विनियोजन जो हमारी पंच वर्षीय योजना तथा विकास योजना के साथ मेल नही खाती, हम उसे प्रोत्साहन नहीं देते चाहे वह किसी भी देश की पूंजी हो। यह एक अलग बात है और इस बारे में सरकार की नीति बिल्कुल साफ है और यदि हम अपने सम्बन्ध सुधारने चाहते हैं या मजबूत करना चाहते हैं जैसा कि कुछ आलोचकों ने कहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि इस सम्बन्ध में हम अपना कोई आर्थिक पहलू हल करना चाहते हैं या किसी विनियोजन पर हमारी नजर है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : पहले सरकार ऐसा वक्तव्य देने के लिए प्रोत्साहित नहीं मालूम देती थी, ऐसी स्थिति में स्वाभाविक हैं कि ऐसा प्रश्न दिमाग में आये कि वास्तव में ऐसा कैसे हुआ और क्या इसके लिए कोई उपक्रमात्मक कार्य हुआ था जिससे दोनों ओर से ऐसी कायापलट हो गई। इसी विशेष प्रश्न का उत्तर मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं।

श्री स्वर्ण सिंह : किसी भी ओर से कोई उपक्रमात्मक कार्यवाही नही हुई थी। एक अवस्था ऐसी आ गई थी जब हमने सोचा कि यदि हम अपनी स्थिति प्रतिपादित कर सकें और यदि उसकी अच्छी प्रतिक्रिया हो, तो वह इस बात का आधार बन सकता है कि सम्बन्ध सुधारने के लिए दोनों देशों को और आगे क्या कार्यवाही करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी—अनुपस्थित।

श्री जगन्नाथ राव : प्रश्न संख्या 443 तथा 453 दोनों को एक साथ लिया जा सकता है। दूसरे माननीय सदस्य भी यहाँ मौजूद हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। दोनों प्रश्न एक साथ ले लेते हैं। श्री अर्जुन सेठी।

कोलार सोना खानों के निक्षेपों के समाप्त होने के कारण इन खानों के बन्द होने का खतरा

+

***443. श्री अर्जुन सेठी** :

डा० कर्णी सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलार सोना खानों के निक्षेपों के शीघ्रता से समाप्त होने और वहां खनन लागत बढ़ने के कारण इन खानों के धीरे-धीरे बन्द होने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). कोलार गोल्ड माइन्स अनेक दशाब्दियों से उपलभ्य राशियों की निशेषण की समस्याओं का सामना करती आ रही है जिसके परिणामस्वरूप कार्यकरण की उच्च लागत रही है। तथापि, इस प्रकार की खान को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, जबकभी भी किसी अनुभाग का कार्यकरण पर्याप्त रूप से आर्थिकेतर अथवा सुरक्षा के लिए खनन स्थितियों के कारण संचालन के अयोग्य हो जाता है, ऐसे अनुभाग को बन्द करना प्रायः अवश्यम्भावी हो जाएगा।

1956 में कोलार सोना खानों को अधिकार में लेने सम्बन्धी समाचार

*453. **श्री एम० कतामुतु :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 21 नवम्बर, 1972 के 'हिन्दू' में "सम पज़लिंग क्वश्चन्स एबाउट के० जी० एफ० माइन्स टेक ओवर 1956" (1956 में कोलार सोना खानों को हाथ में लेने सम्बन्धी कुछ उद्वेजक प्रश्न) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) चूंकि समाचार में उल्लिखित पहलू उन घटनाओं से सम्बन्धित हैं जो बहुत पहले घटी थीं, इस समय किसी विशिष्ट कार्यवाई की अपेक्षा नहीं है । जहाँ तक स्वर्ण खानों (भारत गोल्ड माइन्स प्राइवेट लि०) की वर्तमान स्थिति का संबंध है, सरकार समस्याओं से पूर्णतः अवगत है और वह उपयुक्त उपचार कार्यवाही कर रही है ।

श्री अर्जुन सेठी : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कोलार स्वर्ण खानें समस्याओं से गुजर रही हैं । मैं उनका ध्यान दैनिक **स्टैट्समैन** में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं हूँ जिसमें कोलार गोल्डमाइन्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक ने इस प्रकार कहा है :

कोलार में गहन खनन से उत्पन्न तकनीकी चुनौतियों के अलावा, उन 13,500 कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के लिए, जो इस समय पूर्णतः खानों पर आश्रित हैं, नियोजन की व्यवस्था करने की भयंकर सामाजिक समस्या है ।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इस समस्या पर विचार किया गया है और यदि हाँ, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

श्री शाहनवाज खां : माननीय सदस्य इस बात को जानते होंगे कि ये खाने कम से कम 90 वर्ष से अधिक समय से काम कर रही है और ये विश्व में सबसे गहरी खानें हैं जिनमें कम से कम 10,000 फीट गहराई पर खनन कार्य हो रहा है । जब किसी खान के निक्षेप समाप्त हो जाते हैं, तो उस में काम बन्द करके दूसरी खानों की तलाश करनी पड़ती है कुछ क्षेत्रों तथा सेक्शनों में निक्षेप करीब-करीब समाप्ति पर है । किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरी खान ही बन्द कर दी जाये, ऐसी स्थिति वाले क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में निक्षेपों की तलाश जारी है और समीपस्थ क्षेत्रों में क्षमता का विकास करने के लिए हम प्रयन्नशील हैं और कार्यवाही कर रहे हैं ताकि किसी सेक्शन में काम बन्द भी करना पड़े तो बेरोजगारी की समस्या उठ खड़ी न हो । लेकिन मैं इस बात को फिर से कहना चाहूँगा कि सरकार का विचार इन खानों में पूरी तरह काम बन्द करने का नहीं है ।

श्री एम० कतामुतु : मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि कुछ घटनाएं हुई हैं किन्तु कोई विशेष कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई, मैं जानना चाहता हूँ कि इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप क्या समस्याएं उत्पन्न हुई और मंत्री महोदय किस प्रकार ऐसा कहते हैं कि विशेष कार्यवाही की जरूरत नहीं है ।

श्रीशाहनवाज खां : जैसा कि मैंने कहा अब ये सभी बातें, चाहे वे इन खानों को अपने हाथ में लेने के प्रश्न से सम्बन्धित थी अथवा ऐसा करना उचित था अथवा नहीं से, या रकम के बारे में कि क्या दी गइ रकम पर्याप्त थी अथवा नहीं या फिर जितनी राशि हमें देनी चाहिए थी उससे वह ज्यादा थी अथवा कम, पुरानी हो चुकी हैं, और अब इन बातों की उधेड़-बुन से कोई लाभ नहीं होगा ।

श्री एम० कतामुतु : अपने उत्तर के दूसरे भाग में मंत्री जी ने कहा है कि सरकार वर्तमान समस्या से अवगत है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के समक्ष क्या समस्याएं हैं और उसने क्या उपचार कार्यवाही की है ।

श्री शाहनवाज खां : समस्याएं मुख्यत: तकनीकी स्वरूप की हैं । जब खनन कार्य बहुत गहराई पर चला जाता है, तो चट्टानों के अचानक टूटने-गिरने का भय बढ़ जाता है और खानों में काम करने के लिए सुरक्षा का प्रश्न उत्पन्न हो जाता है । दूसरी समस्या यह है कि खानों में निकाली जाने वाली कच्ची धातु की मात्रा धीरे-धीरे कम होती जाती है जो 8 ग्राम प्रति टन से घट-कर $4\frac{1}{2}$ ग्राम प्रति टन रह गई है । जहां तक उपचार कार्यवाही का सम्बन्ध है, में पहले ही बता चुका हूं कि हम नये क्षेत्रों की तलाश कर रहे है ताकि हम वहां खनन कार्य आरम्भ कर सकें ।

डा० जी० एस० मेलकोटे : क्या यह सच नहीं है कि स्वतंत्रता के बाद मैसूम राज्य के भारत संघ में विलय होने से पूर्व ब्रिटश कम्पनी ने सभी अच्छी-अच्छी खानों से धातु निकाल ली थी और केवल घटिया खानें ही हमारे लिए छोड गई थी और यदि हां, तो क्या इतने अधिक घाटे पर इन्हें चलाने के बदले उन सभी खानों को बन्द कर देना आर्थिक दृष्टि से बेहतर नहीं होगा ?

श्री शाहनवाज खां : यह सच है कि हमें इन खानों पर बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ रहा है । किन्तु, जैसा कि पहले बता चुका हूं, हम समीपवर्ती क्षेत्रों में तलाश कर रहे है जहाँ हमें इन खानों के उपलब्ध होने की आशा है और जब इन खानों को चलाना घाटे का सौदा हो जायेगा तो उन नये क्षेत्रों का विकास किया जायेगा ।

श्रीमती शीला कौल : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार को इन खानों को अपने हाथ में लेते समय यह पता था कि उनके निक्षेप समाप्त प्राय हैं और यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार ने उन्हे अपने हाथ में क्यों लिया ?

श्री शाहनवाज खां : इन खानों में कच्ची धातु अब भी पर्याप्त मात्रा में है किन्तु वे आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद हो सकते हैं या नहीं, यह एक दूसरी चीज है । लेकिन ऐसा नहीं है कि केन्द्रीय सरकार यह जानती थी कि वहां कुछ भी बाकी नहीं है । इन खानों में अब भी पर्याप्त मात्रा है । लेकिन चट्टानें टूटने-गिरने की जो घटनाएं वहां हुई हैं उससे वहाँ काम करने के लिए सुरक्षा के सम्बन्ध में कुछ प्रद्योगिकी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं । इसी कारण हम कुछ ऐसे निक्षेपों का खनन नहीं कर पा रहे हैं जहां वास्तव में बहुत अच्छी किस्म की तथा पर्याप्त मात्रा में धातु मौजूद है ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : मंत्री जी के इस उत्तर के संदर्भ में कि सरकार नई खानें खोलने की संभावनाओं की जांच कर रही है, मैं यह जानना चाहता हूं कि नई खानें कोलार स्वर्ण खानों के किस निकटतम स्थान पर पाई गई हैं ?

श्री शाहनवाज खां : मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य इस क्षेत्र से परिचित हैं। वहां कुछ बन्द खानें थीं जिनमें से एक नाइन रीफ माइन है और दूसरी रोडब्लौक माइन, जहां कुछ समय तक खनन कार्य चालू रखा गया था और बाद में उसे बन्द कर दिया गया। अब हमने इन गड्ढों से पानी हटाने का काम शुरू कर दिया है जिससे कि हम इन खानों को पुन: चालू कर सकें।

इसके बाद मैसूर माइन्स के 12 किलोमीटर दक्षिण में भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग ने एक नये क्षेत्र का पता लगाया है जहां काफी मात्रा में धातु उपलब्ध होने की आशा है, इसके अलावा, आन्ध्र प्रदेश के बिसनाथम में भी नये क्षेत्र का पता लगा है किन्तु हम कोलार स्वर्ण खानों की सीमा पर नई खानों का काम आरम्भ करने का विचार कर रहे हैं।

रायलशीमा क्षेत्र में खनिज निक्षेपों का निकाला जाना

***444. श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में कौन से महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ पाये गए हैं ;

(ख) किन-किन स्थानों पर कौन-कौन से खनिज पदार्थ पाये गए हैं तथा इनके अनुमानित भन्डार कितने-कितने हैं; और

(ग) क्या उस क्षेत्र की खनिज सम्पदा को निकालने हेतु कोई व्यवस्थित जाँच-पड़ताल की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) एस्बेस्टास, बैराइटीज, स्टीएटाइट, ताम्र-सीसा, हीरक, लौह अयस्क, स्वर्ण, मिट्टियाँ, और चूनाश्म महत्वपूर्ण खनिज है जो रायलसीमा क्षेत्र में पाए हैं। स्थानों के नाम और खनिजों की प्राक्कलित उपलभ्य राशियां निम्नप्रकार से हैं :—

एस्बेस्टास	चिन्नाकुडाला-ब्रहमानापल्ले पट्टी, कुड्डप्पा जिला	14,400 टन
बैराइटीज	मेंगापेट्टा, कुड्डप्पा जिला	25.00 लाख टन
चूनाश्म	कुड्डप्पा और कुरनूल जिलों में कुड्डप्पा ट्रोणी	लगभग 120000 लाख टनों का प्रारम्भिक अनुमान
स्वर्ण	रामगिरि, अनन्तपुर जिला	6.9 ग्रामटन स्वर्ण के साथ अयस्क के 2527 टन।
लौह अयस्क	वोलडुर्ती-रामल्लाकोटा, कुरनूल जिला	45.00 लाख टन
	रायदुर्ग ताल्लुक, अनन्तपुर जिला	10.00 लाख टन

स्टीएटाइट	पुतसुकोटा, तावजुला, जुलाकालावा और रावुलूदीकि, अनन्तपुर जिला और गोड्डलामाडूगू, यारलापाडू और मुड्डानूरु, कुरनल जिला	100 मीटर गहराई तक लगभग 9 लाख टन
मिट्टियां	कुड्डप्पा जिले में हस्तेवारम कुरनूल जिले में अम्बापुरय	55.00 लाख टन
ताम्र-सीसा	जंगामारजूपाल्ले, कुड्डप्पा जिला	निर्धारित की जा रही है ।
	जोन्नागिरि, कुरनूल जिला	यथोक्त
	गानी-कालवा. कुरनूल जिला	यथोक्त
हीरक	वज्रकूरर, अनन्तपुर जिला	यथोक्त

(ग) पुलिवेन्डला क्षेत्र में एस्बेस्टास के लिए, मेंगमपेट क्षेत्र में बैराइटीज के लिए वज्र कूरर क्षेत्र में हीरक के लिए, आंकीरेड्डीपाल्यी क्षेत्र में स्पन्द श्रेणी चूनाश्म और जंगमराजुपल्ली, गनी-कालवा और जोन्नागिरि क्षेत्रों में ताम्र और सीसे के लिए व्यवस्थित अन्वेषण प्रगति में है । भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा, पहले से ही प्रगतिशील समन्वेषण के अनुक्रम में, आंध्र प्रदेश में खनिज समन्वेषण के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया है । इस कार्यक्रम में रायलसीमा में कुड्डाप्पाद्रोणी में आधार धातुओं, चूनाश्म, बेराइटीज, एस्बेस्टास और मिट्टी, अनन्तपुर और कुरनूल जिलों में हीरक का अन्वेषण सम्मिलित है ।

मैसर्स भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड यप्पामना खान क्षेत्र में स्वर्ण को समुपयोजित करने की सम्भाव्यताओं का परीक्षण कर रहा है ।

श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी : विवरण से पता चलता है कि सरकार रायल सीमा क्षेत्र में खनिज निकलने की सम्भावना का पता लगा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा की गई जाँच पड़ताल के परिणामों से चिरकाल से पिछड़े इस क्षेत्र में खनिज पर आधारित किसी उद्योग को आरम्भ करने की सम्भावना का पता चला है ।

श्री शाहनवाज खां : जैसा कि मैंने बताया है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यरत है और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता होगी कि उन्होंने उस क्षेत्र में बहुत से खनिजों का पता लगा लिया है । वे वज्रव्यरूर क्षेत्र में हरिकों का पता लगाने का काम कर रहे हैं और उनकी काफी मात्रा में मिलने की आशा बन्ध गई है । रायल सीमा बहुत बढ़िया किस्म का क्षेत्र में चूनाशम भी पाया गया है । इन उद्योगों को आरम्भ करना राज्य सरकार पर निर्भर करता है ।

श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी : गैर-सरकारी उद्योग पतियों को दिए गए बहुत से पट्टे बेकार पड़े हैं। ऐसी स्थिति के क्या कारण हैं ।

श्री शाहनवाज खां : यदि कोई व्यक्ति पट्टा ले लेता है और काम नही करता तो पट्टे को रद्द करना राज्य सरकार का काम है ।

श्री पी० वेंकटा सुब्बया : विभिन्न क्षेत्रों में भंडारों के बारे में जानकारी देने वाला विवरण न ही विस्तृत और न सही है । उपलब्ध विभिन्न खनिजों के सामने दिखाए गए स्थान भी सही नहीं है । उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा है कि स्वर्ण क्षेत्र में 2527 टन अयस्क है । यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि अयस्क और स्वर्ण दोनों को कैसे परस्पर मिलाया गया है ।

माननीय मंत्री द्वारा अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में दिए गए उत्तर से उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस क्षेत्र की, यद्यपि यह खनिज का भण्डार है, पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण वहां पर अब नहीं बल्कि कई वर्षों से सर्वेक्षण कर रहा है और यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इन पिछड़े क्षेत्रों का अधिक उद्योग आरम्भ करने की दृष्टि से कोई ऐसा ठोस निर्णय लिया है तथा क्या भारत सरकार इन खनिजों पर आधारित कोई सरकारी परियोजनाएं आरम्भ करेगी ।

श्री शाहनवाज खां : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि स्वर्ण और अयस्क को कैसे परस्पर मिलाया गया है मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वर्ण अयस्क से निकलता है । भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का काम विभिन्न खनिजों के भण्डारों का पता लगाना है तथा एक बार जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें यह पता लग जाता है कि खनिज उपलब्ध हैं तो उनका विकास करना सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों या राज्य सरकारों या गैर-सरकारी लोगों पर निर्भर करता है ।

श्री पी० वेंकटा सुब्बया : मैं यह पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार का विचार उद्योग स्थापित करने का है ।

श्री शाहनवाज खां : मेरा उद्योगों से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री जगन्नाथ राव : विवरण में ही एक शीर्षक के सामने रामल्लाकोटा और वजुकरूर के के बारे में कुछ नहीं कहा गया है । इन क्षेत्रों की क्या स्थिति है ।

श्री शाहनवाज खां : वजुकरूर में जांच पड़ताल करने से हरिक लौह की पांच चट्टानों का पता लगा है जिनमें से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने सिद्ध किया है कि एक अच्छी हैं । करनूल जिले में बंगनापल्ले संपिण्डन क्षितिज में अनेक पुराने काम की जांच की गई थी तथा बंगनापल्ले से मुनियाडुगु और रामल्लाकोट से येबई तक के दोनों क्षेत्रों का सीमांकन किया गया था ।

सप्ताह में 7 दिन कार्य करने की पद्धति को क्रियान्वित करके रोजगार के अवसर पैदा करना

***445. श्री पी० नरसिन्हा रेड्डी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सप्ताह में 7 दिन कार्य करने की पद्धति को क्रियान्वित करने पर कितना अतिरिक्त रोजगार मिल सकेगा ;

(ख) इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया हुई है ; और

(ग) प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) निश्चित रूप से इस बात का मूल्यांकन करना कठिन है कि सात दिन के कार्य सप्ताह का पालन करने से कितना अतिरिक्त रोजगार पैदा हो जायेगा । यद्यपि उन्हें इस विषय पर औपचारिक रूप से सम्बोधित नहीं किया गया है, फिर भी यह सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि राज्य श्रम मंत्री, नियोजक और ट्रेड यूनियनें इस प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं है । इसलिए उनके सहयोग से इस योजना की क्रियान्वित ऐसी इकाइयों अथवा उद्योगों में करने के सम्बन्ध में, जहां सात दिन के कार्य सप्ताह

को प्रारम्भ करने के लिए स्थितियाँ अनुकूल हैं, ब्यौरे तैयार करना कठिन नहीं होना चाहिए ।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव को व्यापक सामान्य समर्थन प्राप्त हुआ है तथा इस दिशा में कार्यक्रम बनाना कठिन नहीं होगा । कार्यक्रम तैयार करने में उन्हें किन-किन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है तथा ठोस कार्यक्रम बनाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : आजकल हम राज्य श्रम मंत्रियों कार्मिक संघों के नेताओं और नियोजकों के माध्यम से कोई करार करने का प्रयास कर रहे हैं । परिणामों को देखकर हम आगे बढ़ेंगे । यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम नियोजकों, कार्मिक संघों के नेताओं और राज्य श्रम मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलायेंगे जिससे यह पता चल सके कि इसे कैसे कार्य रूप दिया जा सकता है ।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या औद्योगिक विकास मंत्रालय के साथ कोई सलाह की गई है जिससे उन उद्योगों का पता लगाया जा सके जिनमें सीधे इस योजना को लागू किया जा सके ?

श्री आर० के० खाडिलकर : हमने सात दिन लगातार काम करने के मामले के सम्बन्ध में जिससे श्रमिकों को साप्ताहिक आराम से भी वंचित न किया जाए, पहल की है । मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि राज्य श्रम मंत्रियों ने भी नियोजकों और श्रमिकों को, जहां सुविधाएं उपलब्ध है, आग्रह करने की पहल की है । परन्तु कुछ कठिनाइयां हैं । जहां कच्चा माल उपलब्ध है वहाँ बिजली की कमी है । उदाहरण के तौर पर बम्बई नगर में लगभग समझौता हो गया था परन्तु बिजली की कमी के कारण हम इसे लागू नहीं कर सके । यह समीति स्वरूप का था । अतः अभी स्थान का पता लगाना कठिन है ।

Shri Rajendra Prasad Yadav : May I know whether Government is aware that the efficiency of works in Public undertakings or nationalised undertakings is decreasing immaterial of the fact whether working week consists of six days or seven days and the loss in them is its proof. May I know whether Government would do anything to improve the situation and it so, the details thereof ?

श्री आर० के० खाडिलकर : इस प्रश्न से सरकारी उपक्रमों में काम करने की क्षमता का प्रश्न नहीं उठता ।

डा० रानेन सेन : इस बात को देखते हुए कि बहुत से उद्योगों को बिजली की कमी का सामना करना पड़ता है तथा बहुत से उद्योग अपनी अधिस्थापित क्षमता को पूरा नहीं कर सकते हैं सरकार ने इन्हें कैसे ठीक करने का विचार किया है ।

श्री आर० के० खाडिलकर : जैसा मैंने पहले कहा है जहां बिजली की कमी है या जहाँ उद्योग आगे रोजगार नहीं दे सकता है उसे छोड़ना ही होगा । परन्तु हमारा अनुभव है कि कुछ मामलों में यद्यपि उन्हें 20 प्रतिशत बिजली कम मिली है तो भी उनमें सात दिन काम हुआ है । अतः ऐसा कुछ मामलों में किया जाता है ।

श्री राजा कुलकर्णी : चूंकि इस योजना को पूर्ण रूप से कार्य रूप नहीं दिया गया है और चूंकि कार्मिक संघ वर्तमान योजना को सहयोग नहीं दे रहे हैं इस लिए क्या सरकार का विचार कारखानों में सात दिन के प्रस्ताव की दृष्टि से प्रति श्रमिक के काम करने के घंटों को 48 से कम करके 40 करने का है ।

श्री आर० के० खाडिलकर : इस योजना का उद्देश्य अतिरिक्त रोजगार और अधिक उत्पादन करना है । अतः काम के घण्टों को कम करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री वसन्त साठे : इस सामान्य अनुभव को ध्यान में रखते हुए कि श्रमजीवी वर्ग सामान्य छुट्टी को छोड़ना नहीं चाहता है जो कार्मिक संघ तथा अन्य कार्यकलापों के लिए आवश्यक है क्या माननीय मंत्री छह छह घंटे की पारी करने पर विचार करेंगे जिससे चौबीस घंटे काम भी होगा और रोजगार भी बढ़ेगा ।

श्री आर० के० खाडिलकर : यह कहना सही नहीं है कि श्रमिक अनिच्छिक है । अपितु कार्मिक संघों के कुछ नेता बहुत अनिच्छिक हैं ।

श्री वसन्त साठे : कार्मिक संघ के नेता श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं आप को अपना अनुभव बताता हूं । कार्मिक संघों के नेताओं से बात-चीत करने की बजाए जब मैं सीधे श्रमिकों से बात-चीत करता हूँ तो वे मेरी बात मान लेते हैं ।

श्री वसन्त साठे : छह घंटे काम करने के बारे में आपका क्या विचार है ।

श्री आर० के० खाडिलकर : जैसा कि मैं श्री कुलकरनी के प्रश्न के उत्तर में कहा है इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है ।

असैनिक बन्दियों के परिवारों और युद्ध बन्दियों को पाकिस्तान वापस भेजा जाना

+

***446. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने असैनिक बन्दियों के परिवारों और युद्धबन्दियों को पाकिस्तान वापस भेजने का प्रस्ताव किया है; यदि हां, तो इस बारे में पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या भारत सरकार को आशा है कि भारत और बंगला देश के असैनिक बन्दियों के सम्बन्ध में पाकिस्तान भी इसी प्रकार की कार्यवाही करेगा; और

(ग) क्या उपर्युक्त प्रस्ताव भारत सरकार ने बंगलादेश सरकार से परामर्श के बाद किया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). भारत और बंगलादेश ने सम्मिलित रूप से इस आशय की पेशकश की थी । ऐसा करते समय उन्होंने यह आशा व्यक्त की थी कि पाकिस्तान सरकार जवाब में उन सभी बंगलादेश राष्ट्रिकों के परिवारों को बंगलादेश लौटने की अनुमति देगी जो पाकिस्तान में अटक गए थे अथवा रोक लिए गए थे । बहरहाल पाकिस्तान सरकार ने पहले कदम के रूप में केवल 10,000 बंगाली स्त्रियों और बच्चों को पाकिस्तान छोड़कर चले जाने की अनुमति देने का निर्णय किया है ।

(ग) जी हां ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन सम्बन्धी हुए करार के

पश्चात् इस सम्बन्ध में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए, क्या असैनिक बन्दियों और युद्ध बन्दियों को पाकिस्तान वापस भेजने का भारत ने कोई नया प्रस्ताव किया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस सम्बन्ध में कोई नया प्रस्ताव नहीं किया गया है क्योंकि हमने जो प्रस्ताव पहले किया था वह बिल्कुल स्पष्ट था। हमने जो पहले प्रस्ताव किया था उसमें पाकिस्तान सरकार से बंगलादेश सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह पेशकश की गई थी कि मानवता के नाते बंगलादेश और भारत की सरकारों ने पाकिस्तानी असैनिक बन्दियों के उन परिवारों (स्त्रियां तथा बच्चों) को, जिन्होंने भारत और बंगलादेश की सेनाओं की सयुक्त कमांड से सुरक्षा की याचना की थी, और युद्धबन्दियों के उन परिवारों को, जिन्होंने संयुक्त कमांड को आत्मसमर्पण किया था, वापस पाकिस्तान भेजने का निर्णय किया है । आशा है कि पाकिस्तान सरकार भी मानवता के नाते बंगलादेश के राष्ट्रिकों के उन सभी परिवारों को, जिन्हें पाकिस्तान में रोक लिया गया था, वापस बंगलादेश आने की अनुमति दे देगी।

अतः हमने आरम्भ में जो प्रस्ताव किया था वह हर तरह से पूर्ण और व्यापक था।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मुख्य उत्तर में माननीय मन्त्री ने बताया है कि पाकिस्तान सरकार ने सर्वप्रथम 10,000 बंगाली स्त्रियों और बच्चों को वापस भेजने की बात मान ली है। क्या वे उनको पहले ही भेज चुके हैं अथवा अभी यह एक प्रस्ताव ही है ? पाकिस्तान में बन्दी बनाये गये बंगालियों की संख्या कितनी है ?

श्री स्वर्ण सिंह : अभी उन्हें भेजा नहीं गया है । इस सम्बन्ध में ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। बंगलादेश सरकार के अनुसार पाकिस्तान में उनके लगभग 80,000 स्त्रियां और बच्चे रुके हुए हैं।

श्री समर गुह : यह सरकार को विदित है कि बंगलादेश के स्वाधीनता संग्राम के दौरान बंगलादेश की हजारों माताओं और बहनों को पाकिस्तान के सैनिक शिविरों में ब्लात ले जाया गया था। यह भी समाचार छपा है कि उनमें से कई स्त्रियों को पश्चिमी पाकिस्तान ले जाया गया था और उनके बारे में बड़े दुःखद समाचार आ रहे है कि वे अब भी वहां पर बड़ी शर्मनाक और गिरी हुई अवस्था में रह रही हैं। उन माताओं और बहनों को, जिन्हें पाकिस्तानी सैनिक ब्लात पश्चिमी पाकिस्तान ले गये थे, वापस लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

दूसरे, क्या सरकार ने दीपक तथा सुरजीत नामक दो भारतीय पत्रकारों के बारे में, जिन्हें टेलीविजन पर जीवित दिखाया गया था, जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : प्रश्न के प्रथम भाग के सम्बन्ध में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमने पाकिस्तान को सुझाव दिया है कि वह भारत और बंगलादेश की संयुक्त पेशकश के प्रतिकारात्मक रूप में उन सभी बंगाली स्त्रियों और बच्चों को, जो पाकिस्तान में हैं, वापस भेज दे.....

श्री समर गुह : जिन्हें ब्लात् ले जाया गया है।

श्री स्वर्ण सिंह : जब मैं कहता हूं—सभी, तो उस में प्रत्येक व्यक्ति शामिल हैं।

दो पत्रकारों के सम्बन्ध में प्रश्न के बारे में माननीय सदस्य ने मुझे एक पत्र लिखा था। मैंने उनको उत्तर भेज दिया है। हमने यह मामला पाकिस्तान सरकार के साथ बार-बार उठाया है। किन्तु उन पत्रकारों की उपस्थिति के बारे में हमें कोई सुराग नहीं मिला है।

श्री बी० के० दास चौधरी : माननीय मंत्री के विवरण को ध्यान में रखते हुए, कि पाकिस्तान में लगभग 80,000 बंगाली बन्दी हैं और उन्हें वापस लाने का प्रबन्ध किया जा रहा है, क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई पहल की है जिससे पाकिस्तान में इन बन्दियों को, जो बेरोजगार हैं और जिनका कोई धन्धा नहीं है, कुछ सहायता मिल सके जिससे वे तब तक जीवन निर्वाह कर सकें जब तक उन्हें बंगलादेश वापस नहीं भेज दिया जाता और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है अथवा पाकिस्तान सरकार के साथ इस सम्बन्ध में क्या विचार-विमर्श किया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : स्पष्टतया बंगला देश मूलक बन्दियों की देखभाल करना पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी है और पाकिस्तान के साथ इस समय जो सम्बन्ध हैं, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत द्वारा उन्हें किसी प्रकार की सहायता देना कठिन है। यही कारण है कि हमने बंगला देश की सरकार से परामर्श करके यह पेशकश की है हम असैनिक बन्दियों तथा युद्धबन्दियों के सभी परिवारों को वापस भेज देंगे और आशा व्यक्त की हैं कि पाकिस्तान भी ऐसा ही करेगा। जैसाकि मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ, उन्होंने सभी बन्दियों में से 10,000 बन्दियों को वापस भेजने का निर्णय किया है। इस प्रकार के मानव हित के कार्य में संख्या का ध्यान रखे बिना उन्हें परिवार के सभी सदस्यों, स्त्रियों तथा बच्चों को, जो पाकिस्तान में अभिरक्षा में हैं या वहां रूके हुए हैं, वापस भेज देना चाहिए।

इटारसी के पास हथियार परीक्षण "रेन्ज" खोलना

*448. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या इटारसी के पास कोई हथियार परीक्षण "रैन्ज" खोला गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) स्थापित किए गए "रैन्ज" पर कितनी राशि खर्च की गई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) : इटारसी में एक सैन्ट्रल प्रूफ रैन्ज स्थापित किया गया है प्रूफ, रैन्ज मुख्यतः गोलाबारूद और उनके संघटकों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश क्षेत्र में स्थित आर्डनेन्स फैक्टरियों में उत्पादित आर्टिलरी और इन्फैंट्री हथियारों और अधिकांश फिल्ड टैंक और एण्टी टैंक उपकरणों से सम्बन्धित विभिन्न मदों की प्रूफिंग आवश्यकताओं को पूरा करता है। सिविल ट्रेड द्वारा सप्लाई किए गए गोला बारूद मदों के लिए उपस्करों को भी इस स्थापना में प्रमाणित किया जाता है।

कुल लागत लगभग 7.15 करोड़ रुपए होने की सम्भावना है।

श्री बी० के० दासचौधरी : आर्टिलरी, इन्फेंट्री और अन्य असैनिकों को दिए गए हथियारों को परीक्षण के बारे में की गई कई शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार ने आर्डनेन्स फैक्टरियों में हमारे सैनिकों तथा अन्य व्यक्तियों को मिले हथियारों में से किस सीमा तक हथियार खराब या कम दूरी तक मार करने वाले पाए गए ? इटारसी और महाराष्ट्र में 3 करोड़ से अधिक रुपयों की लागत से हाल ही में स्थापित की गई फैक्टरी की स्थापना पर सरकार को इतना अधिक समय क्यों लगा ?

दूसरे, परीक्षण का जो अब प्रबन्ध किया गया है उसके बारे में मैं यह जानना चाहता हूं

कि क्या प्रूफ रेन्ज परीक्षण उसी मानक का है जो ऐसे अन्य देशों में है जो हमारे पड़ौसी देशों को विशेषतया पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहे हैं ? मैं मानक के बारे ये जानना चाहता हूं ।

श्री शिव चन्द्र शुक्ल : माननीय सदस्य की यह धारणा सही नहीं है हमारे सैनिकों को जो हथियार, हैंडगन और गोला बारूद दिया जाता है उनकी किस्म के बारे में बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है वास्तविकता तो यह है कि इनकी किस्म बहुत ही उच्चस्तर की पाई गई है । अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता है कि इसकी पहले स्थापना क्यों नहीं की गई थी । मुख्य उत्तर मैं मैंने स्पष्ट कर दिया है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आर्डनेस फैक्टरियाँ और ये फैक्टरियां अधिकांशत 1962 में चीनी आक्रमण के पश्चात् स्थापित की गई हैं अब हमें एक सैंट्रल प्रूफरेन्ज संस्थान की आवश्यकता थी और इसके लिए पूरी तरह से सोच विचार करने के पश्चात् इटारसी को चुना गया था । इस प्रूफ रेन्ज संस्थान की स्थापना करने का आदेश 1967 में दिया गया था । उसके पश्चात् इस प्रूफ रेन्ज की स्थापना की गई यह कुछ नए उपकरणों का परीक्षण कर रहा है जिनका भारत में निर्माण 1962 के पश्चात् आरम्भ किया गया है और यह प्रूफरेन्ज चीनी आक्रमण के पश्चात् आरम्भ की गई विभिन्न परियोजनाओं के लिए बहुत सुविधाजनक रहा है ।

श्री बी० के० दासचौधरी : प्रूफ रेन्ज सम्बन्धी प्रबन्ध के बारे में माननीय मंत्री द्वारा दिये गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि प्रूफ रेन्ज में खराबी या तो मशीनों में अथवा गोला बारूद में खराबी के कारण होती है, क्या गोला बारूद का परीक्षण करने के लिए भी कोई संस्थान है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : ये परिक्षण आवश्यक हैं और वे निर्माण विधि का भाग हैं और हम कोई भी उपकरण, चाहे वे हथियार हों चाहे वह गोलाबारूद हो, सशस्त्र सेनाओं को तब तक नहीं देते जब तक उसका उचित रूप से परीक्षण और मूल्यांकन नहीं कर लिया जाता । यही नहीं, किन्तु सिविल ट्रेड से प्राप्त होने वाली मदों और आयात की गई कुछ मदों को स्थल सेना, नौ-सेना अथवा वायु सेना के उपयोग के लिए आर्डनेन्स डिपुओं को सौंपने से पहले उनका उचित परीक्षण कर लिया जाता है ।

इन प्रूफ रेन्जों से दो प्रयोजन सिद्ध होते हैं । इनसे एक तो उत्पादन की किसी विधि में खराबी का पता लग जाता है और दूसरे समय समय पर बनाये जाने वाले हथियारों की क्रिया-शीलता का मूल्यांकन हो जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे प्रश्नों को बड़ी सावधानी पूर्वक तैयार किया जाना चाहिये और इनके उत्तर भी बड़ी सावधानी पूर्वक दिये जाने चाहिये । कभी कभी इनका सम्बन्ध रक्षा कार्यों से होता है । मेरे विचार में यह कहीं अच्छा होगा कि ऐसे प्रश्न इस सभा में खुलेआम पूछने की बजाये रक्षा सलाहकार समिति में पूछे जाया करें ।

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा—यहाँ नहीं हैं ।

सैनिक शहीदों के माता पिता को पेन्शन देने के बारे में अभ्यावेदन

***450. श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक शहीदों के माता पिताओं से ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि युद्ध में

वीरगति प्राप्त करने वालों की विधवाओं को सामान्यत: दी जाने वाली परिवार पेंशन का एक भाग उनको दिया जाय; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां श्रीमन्, हाल ही के भारत-पाक संघर्ष में मारे गये सशस्त्र सेना के अफसरों के कुछ माता-पिताओं के अफसरों की विधवाओं को देय विशेष पारिवारिक ऐन्शन का एक भाग दिए जाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ।

(ख) अफसर पद से नीचे के कार्मिकों के बारे में रक्षा लेखा नियंयक (पेन्शन) को ऐसे मामलों में विशेष परिवार पेंशन पात्र उत्तराधिकारियों के बीच बांटने के लिए अधिकार है । अफसरों के बारे में आदेश जारी कर दिये गये हैं जिसके अधीन विशेष परिवार पेंशन युद्ध में मारे गये अफसर की विधवा तथा माता-पिता के बीच बाँटी जा सकती है । पृथक-पृथक अभ्यावेदनों पर आवश्यक जांच-पड़ताल के पश्चात तथा हरेक मामले के गुणों के आधार पर निर्णय किये जाते हैं ।

श्री नारायण चन्द पाराशर : यह आदेश किस तारीख को जारी किये गए थे और पेंशन को किस अनुपात से बाँटा जायेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : आदेश 11 अक्तूबर, 1972 को जारी किये गए थे और इस पेंशन को दोनों दावेदारों अर्थात माता-पिता और विधवा में बाँटने का वही आधार होगा कि राशि वही रहेगी जो उन्हें मिलती यदि अधिकारी अविवाहित होता और उसकी मृत्यु हो जाती । इसका अर्थ यह है कि दावों को समानता के आधार पर तय किया जायेगा ।

श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या 11 अक्तूबर, 1972 के बाद कुछ दावों को तय किया गया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : कुछ एक दावे प्राप्त हुए उनपर सम्बन्धित मुख्यालयों पर विचार हो रहा है । अभी तक ऐसे किसी दावे पर निर्णय नहीं किया गया है ।

Shri Ram Sahai Pandy : I want to know as to why a separate amount is not being sanctioned for the parents and why is it being deducted from the pension of the widows?

Shri Vidhay Charan Shukla : This question is with regard to officers. The rules regarding distribution of pension among wife, children and parents of Jawans are already there. The distribution is made according to those rules. The hon. Member wants that they should get separate amount. The pension rules we have made are very liberal and our armed force personel are quite satisfied with them. Therefore, there is no need of making any change in them.

श्री मधु दंडवते : गत युद्ध के समाप्त होने पर प्रतिरक्षा मंत्री श्री जगजीवन राम जी ने एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया था । उसमें उन्होंने कहा था कि सरकार जवानों और अधिकारियों को उनके वेतन के समान पेंशन देगी । क्या सरकार इस निर्णय को लागू करेगी ताकि विभिन्न आश्रितों के बीच बांटने का प्रश्न ही न उठे ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अधिकारी के बीच के दर्जे के व्यक्तियों के मामले में यह किया जा रहा है, परन्तु जहां बंटवारे के लिए दावे किये जायें वहां समानता के आधार पर तय किया जाता है और यह फार्मूला तैयार किया गया है । इसी के आधार पर दावों का निर्णय किया जाता है ।

Low Production of Hindustan zing Ltd. Udaipur

*455. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether the Hindustan Zinc Ltd., Udaipur (Rajasthan) is not producing at its rated capacity :

(b) whether non-achievement of the production targets is due to design defects ; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) : (क से ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

इस समय हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, जस्ता और सीसा धातुओं और अन्य उपोत्पादों के उत्पादन के लिए आनुषंगिक संयंत्रों सहित, 18000 टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले देबरी (उदयपुर के समीप) स्थित जस्ता प्रद्रावक और 5,400 टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाले टुण्डु (बिहार) स्थित सीसा प्रद्रावक पर कार्यरत् है । सीसा और जस्ता दोनों प्रद्रावक राजस्थान के जाबर क्षेत्र के सीसा और जस्ता अयस्क निक्षेपों पर आधारित है ।

जस्ता और सीसा प्रद्रावकों में उत्पादन संयंत्रों की निर्धारित क्षमता से निम्न रहा है । जस्ता प्रद्रावक के मामले में निम्न उत्पादन का कारण सक्रियात्मक कठिनाईयां और संयंत्र के कतिपय अनुभागों, विशिष्टता : भर्जक के डिजाइनों में त्रुटियों का होना है । इसके अतिरिक्त, गल भतट्टी भी कमियां विकसित होने के कारण पूर्ण क्षमता पर सक्रिय्शील नहीं हो सकी है ।

सीसे के मामले में, निम्न उत्पादन का कारण प्रद्रावक का बहुत पुराना और अप्रचलित होना है ।

जस्ता और सीसा दोनों प्रदावकों की सक्रियात्मक दक्षता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाये गये हैं । जस्ता प्रद्रावक जो 1668 के आरम्भ में चालू किया गया था, कि सक्रियात्मक कठिनाइयों का परीक्षण किया गया है और उनमें से कुछेक का निवारण किया गया है । जस्ता प्रद्रावक के प्रचालन में सुधार नीचे दिए गये जस्ता उत्पादन के आँकड़ों से सुस्पष्ट है:-

1969-70	—	9,926 टन
1970-71	—	10,738 टन
1971-72	—	12,251 टन
1972-73	—	13-14,000 टन (अनुमानित)

भर्जक को सम्मिलित कर, संयंत्र की डिजाइन त्रुटियों का संशाधन जस्ता प्रद्रावक के विस्तार, जिसके पंचम योजना के आरम्भ में संपूरित होने की आशा है, साथ-साथ करना प्रस्तावित है ।

जहां तक गलन भट्टी की कमियों के संशोधन का सम्बन्ध है,उन को शीघ्रातिशीघ्र नए एकक द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है । आशा की जाती है कि नया एकक 1973 की अन्तिम तिमाही के लगभग तक प्रतिष्ठापित हो जायेगा ।

पुराने सीसा द्रावक का आधुनिकीकरण किया जा रहा है आधुनिकीकरण की प्रथम प्रावस्था, जिससे 3,600 टन प्रतिवर्ष का सीसा उत्पादन करना संभव होगा, आरम्भ की गई है। द्वितीय प्रावस्था में उत्पादन 6,000 टन प्रतिवर्ष तक वर्जित किया जाएगा। इस प्रायोजनार्थ साध्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है। वितरण की द्वितीय प्रावस्था के 1974 के मध्य में सपूरित होने की आशा है।

Dr. Lukshminrain pandeya : Sir, the hon. Minister has admitted that there was a defect in design and due to this there was shortfall in production. I want to know the names of the guilty officers and the action taken against them. I want to know the amount spent on its rectification and the extent of loss sustained.

Shri Shah Nawaz Khan : As the hon. Member knows that the Zinc factory at Udaipur was previously under the Metal Corporation of India and later on it was brought under Government's control. These defects were noticed afterwards. Efforts are being made to set them right. Asaresult of this cur production has increased from 9900 tones to 13.14 thousand tones. In future it is likely to be expanded and it is hoped that it will go up to 36,000 tones annually. At that stage all these minor defects will be removed,

Dr. Lukshminarain Pandeya : Will the hon. Minister indicate a time limit when after the expansion, the production will be increased from 18,000 tones to 36,000 tones ?

Shri Shah Nawaz Khan : We hope that this factory will work to full capacity by first or second year of fifth five year plan.

Shri Lakshminarain Pandeya : He has not stated anything about the guilty officers and what action has been taken against them. Is it because these persons were there at the time of take over of the factory ?

Shri Shah Nawaz Khan : This factory was set up by a foreign firm. No official is responsible for that

इस्पात के आवंटन के लिए महाराष्ट्र सरकार की मांग

*456. **श्री अण्णासाहिब गोटखिडे :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने, राज्य में अभाव की गम्भीर स्थिति का तुरन्त मुकाबला करने के लिए अपना लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के कार्यक्रम के प्रयोजनार्थ आर०सी०सी० पाइप के लिए इस्पात और सीमेंट प्राप्त करने हेतु सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी-कितनी मात्रा की मांग की गयी है और कितनी-कितनी मात्रा आंवटित की गई /भेजी गई है ; और

(ग) ये मांगे पूर्णरूप से कब तक पूरी किये जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) (क) : जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने अपनी लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए 9,550 टन इस्पात और 9,950 टन सीमेंट की सप्लाई की मांग की थी अभी तक 7 मिलिमीटर की लगभग 400 टन तार छड़ सप्लाई की गई है इसके अतिरिक्त सम्बन्धित उत्पादकों को राज्य सरकार को अति अग्रता के आधार पर 6 मि०मी० की 2500 टन तार छड़ भेजने के लिए अनुदेश दिये जा चुके हैं।

जहाँ तक सीमेंट की सप्लाई का सम्बन्ध है यह पता चला है कि राज्य सरकार को अभी कोई सप्लाई नहीं हुई है।

जहां तक हो सकेगा माँगों को शीघ्रता से पूरा किया जायेगा ।

श्री अण्णासाहिब गोटखिडे : वहां पर की अभाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्या राज्य सरकार ने कुछ लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का प्रस्ताव रखा है और इसके लिए इस्पात बहुत आवश्यक है । यदि इस मांग को तुरन्त पूरा नहीं किया जा सकता तो क्या सरकार महाराष्ट्र सरकार की अपेक्षित मात्रा में इस्पात तथा बिलेट आदि का आयात करने की अनुमति देगी ?

श्री शाहनवाज खां : जैसे ही उन्हें सीमेंट मिलेगा, हम इस्पात सप्लाई करेंगे ।

श्री अण्णासाहिब गोटखिडे : मैंने इस्पात के आयात के बारे में पूछा है ।

श्री शाहनवाज खां : इसका आयात आवश्यक नहीं है । हम उनकी आवश्यकता पूरी करेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पश्चिम बंगाल के पुरूलिया में लघु इस्पात संयंत्र की स्थापना

***442. श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरूलिया में शीघ्र ही एक लघु इस्पात संयंत्र स्थापित किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल के अन्य स्थानों में भी इसी प्रकार के संयंत्र स्थापित किये जा सकते हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) मैसर्स जनरल एलाय स्टील लि०, कलकत्ता को पुरलिया (पश्चिम बंगाल) में कारखानें तथा उपस्करों के अधिकाधिक उपयोग के आधार पर प्रतिवर्ष 25,000 टन इस्पात बिलेट, स्ट्रिप्स तथा तार छड़ के निर्माण के लिए एक औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने हेतु उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन 26 सितम्बर, 1972 को एक आशय-पत्र जारी किया गया है ।

(ख) प्रत्येक प्रस्ताव पर तकनीकी तथा आर्थिक बातों और संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखकर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा ।

Progress Regarding Settlement of Indo-Pak Border

***447 Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the latest position in regard to the settlement of Indo-Pak border;

(b) whether any meeting between the Army Commanders India and Pakistan is likely to be held in the near future; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidhya Charan Shukla) : (a) The Hon'ble Member may kindly refer to the statement made by the Videsh Mantri in Lok Sabha on 12th December 1972 which gives the latest position.

(b) No meeting between the Army Chiefs of India and Pakistan has been arranged in the near future.

(c) Does not arise.

पाकिस्तान में "ननकाना साहिब" को वेटिकन के समान दर्जा देने के लिए ज्ञापन

449. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिख ब्रदरहुड इन्टरनेशनल नामक संस्था ने हाल ही में प्रस्तुत किए अपने ज्ञापन में माँग की हैं कि पाकिस्तान में स्थित ननकाना साहिब को वेटिकन के समान दर्जा दिया जाए; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार इस प्रश्न को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाना मुनासिब नहीं समझती।

शिशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास

*451. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम (एप्रैंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम) के विकास के लिए लगाई गई पूंजी का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के प्रयोजन से सरकार ने श्रमिकों के लिए कोई ऐसे विशेष उपाय किये हैं जिससे वे अपने स्थानीय एककों से कह सके कि मालिकों के साथ अधिक सहयोग करें; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी सफलता मिली है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) केन्द्रीय शिक्षुता परिषद, क्षेत्रीय सलाहकार समितियां और राज्य शिक्षुता परिषदों में क्रमशः राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तरों पर श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। इससे शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम के विकास और निर्बाध कार्यान्वयन में सहायता मिलती है तथा स्थानीय यूनिटों का सहयोग सुनिश्चित होता है। इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि इस समय लगभग 50,000 शिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। भूतपूर्व शिक्षुओं की रोजगार स्थिति को जानने के लिए कुछ समय पूर्व किए गए सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 75 प्रतिशत उत्तीर्ण शिक्षुओं को रोजगार प्राप्त था। यह महसूस करते हुए कि स्थानीय यूनिटों के सहयोग से नियोजक शिक्षुओं की भारी संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने के बाद रोजगार सुनिश्चित कर सकेंगे, नवम्बर, 1972 में हुई केन्द्रीय शिक्षुता परिषद की बैठक में यह अनुरोध किया गया कि परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले श्रमिक संगठनों को विशेष प्रयास करना चाहिये कि उनके स्थानीय यूनिट इस बारे में नियोजकों को अधिकाधिक सहयोग प्रदान करें। आशा है कि इन प्रयासों के फलस्वरूप भूतपूर्व शिक्षुओं की रोजगार की स्थिति में और सुधार होगा।

मद्रास पत्तन पर गोदी कर्मचारियों की हड़ताल

*452. **श्री एस० ए० मुरुगनंतम** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास पत्तन पर गोदी कर्मचारियों ने हाल ही में हड़ताल कर दी थी;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मांगें क्या थी; और

(ग) सरकार ने इस विवाद को किस प्रकार हल किया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां ।

(ख) मांग हरेक श्रमिक को 1000/—रुपये के भुगतान की बाबत थी जोकि उजरती दर पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों पर उजरती दर आय की देय राशि के अग्रिम के रूप में होगा ।

(ग) समिति की सिफारिशों की उसकी रिपोर्ट की प्राप्ति पर, जो अभी प्रतीक्षित है, जांच की जायेगी । अनुनय के फलस्वरूप श्रमिकों ने बिना-शर्त के हड़ताल वापस ले ली थी ।

प्रशांत महासागर में माइक्रोनेशिया द्वीप समूह में अमरीकी अड्डों का समाचार

*454. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सोवियत रैड आर्मी के समाचार-पत्र "रैडस्टार" में प्रकाशित उस समाचार की जानकारी है जिससे विश्व को सूचित किया गया है कि अमरीका उपरी तौर पर अपनी प्रत्यक्ष उपस्थिति कम करने का दिखावा करके एशिया पर अपना प्रभाव सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रशान्त महासागर में माइक्रोनेशिया द्वीप समूह में नये महत्वपूर्ण अड्डे बना रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 19 नवम्बर, 1972 के सोवियत समाचार-पत्र ',क्रस्नाया जवेदा" (रेडस्टार) में प्रकाशित इस आशय के लेख की जानकारी सरकार को है ।

(ख) सैनिक अड्डों के सम्बन्ध में सरकार की नीति सुविदित है और वह बदली नहीं है । इस प्रकार के अड्डे स्थापित करने से तनाव एवं शत्रुता बढ़ती है । संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी औपनिवेशिक ताकतों द्वारा अपने प्रशासन के अधीन क्षेत्रों में इस प्रकार की सैनिक गतिविधियों एवं प्रबन्धों के प्रति अपना विरोध प्रकट किया हैं । भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ की इस नीति का पूरा समर्थन करती है ।

भारत में पाकिस्तानी युद्ध बंदियों की रिहाई के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ में पश्चिमी देशों का प्रयास

*457. **श्री गिरिधर गोमांगो** :

श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 नवम्बर, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "पाकिस्तानी युद्ध बंदियों की रिहाई के लिए पश्चिमी देशों का प्रयास" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन देशों का विचार इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करने का है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) 29 नवम्बर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्वीकृत दो प्रस्ताव, जिन्हें आम तौर पर युगोस्लाव और अर्जेन्टाइना प्रस्ताव कहते हैं, के बारे में सदन को जानकारी है । जैसा मैंने 8 दिसम्बर, 1972 को सदन में कहा हैं अर्जन्टाइना ने अपने प्रस्ताव में बंगला देश के संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश के प्रश्न को इस शर्त पर नहीं उठाया है कि युद्धवन्दी रिहा कर दिये जायें । वास्तव में इस प्रस्ताव में प्रवेश का प्रश्न बिलकुल नहीं उठाया गया है; और हम उन प्रस्तावों में व्यक्त दृष्टि कोणों के बीच अंत: निर्भरता के बारे में महासभा के अध्यक्ष का संदर्भ लेते हुए कह सकते हैं कि जब तक पाकिस्तान बंगला देश को मान्यता देने से मना करता है और बंगला देश संयुक्त राष्ट्र से बाहर रखा जाता है तब तक विचाराधीन समस्याएं जिसमें युद्ध बंदियों की वापसी भी सम्मिलित हैं; को हल करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य होगा ।

अन्य देशों की तरह पाकिस्तान को भी इस बात का बोध होता जा रहा है कि युक्त-बंदियों को लौटाने से सम्बद्ध किसी भी बातचीत में बंगलादेश का भाग लेना आवश्यक हैं ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अधिकारियों का स्थानान्तरण

***458. श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री भोला मांझी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगटन के अधिकारियों का एक स्थान पर तीन वर्ष की अवधि पूरी करने के उपरान्त अन्य स्थान पर स्थानान्तरण कर दिया जाता है;

(ख) क्या देश में ऐसे कुछ मामले हैं जिनमें इस आदेश का कठोरता से पालन नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है तथा उनके पद क्या है; और प्रत्येक मामले में इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). भविष्य निधि निरीक्षकों (ग्रेड-1) के स्तर से ऊंचे स्तर वाले अधिकारियों के स्थानान्तरण के मामले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जिस नीति का अनुसरण करता है, वह यह है कि प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं और अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए उनके स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में सामान्यत: किसी स्थान विशेष पर तीन वर्ष की सेवा के पश्चात विचार किया जाता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

शस्त्रास्त्रों में कटौती न करने के बारे में पाकिस्तान के राष्ट्रपति का कथित वक्तव्य

***459. श्री रामसहाय पांडे** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के राष्ट्रपति के इस कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि भारत-पाकिस्तान विवादों के हल न हो जाने तक पाकिस्तान अपने शस्त्रास्त्रों में कटौती नहीं कर सकता; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकर की क्या प्रतिकिया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :(क) और (ख) सरकार ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति के 5 सितम्बर 1972 के कथित वक्तव्य के समाचार को देखा है। तब से शिमला समझौते के कार्यान्वियन मे कुछ प्रगति हुई है। सरकार की यह नीति है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवादों को सुलझाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता का सहारा लेने का प्रयत्न किया जाए।

खेतड़ी तांबा खानों में हो रही वार्षिक हानि

***460. श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी तांबा खानें घाटे में चल रही हैं और यदि हाँ, तो खेतड़ी स्थित खानों में अनुमानत: प्रति वर्ष कितना घाटा हो रहा है;

(ख) क्या सरकार ने घाटे के कारणों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है; यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट कब तक सरकार को मिल जाने की आशा है; और

(ग) क्या राष्ट्रसंघ तकनीकी सहायता योजना के अन्तर्गत तत्कालीन खनन सलाहकार ने भी खानों में कम उत्पादन के बारे में सरकार को सलाह दी थी; और यदि हां, तो उक्त सलाह की उपेक्षा करने और वहां निरन्तर घाटा बर्दाश्त करने के क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) खेतड़ी ताम्र प्रायोजना सन्निर्माणावस्था में है। खेतड़ी और कोलिहान खानें कुछ ताम्र अयस्क का उत्पादन कर रही हैं जो खान विकास कार्य का आनुषंगिक है। इसलिए इस समय खेतड़ी ताम्र खानो से नियमित आधार पर प्राक्कलित वार्षिक हानि का प्रश्न नहीं उठता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

संयुक्त राष्ट्र संघ में भाग लेने के लिए संसद सदस्यों के चयन का सिद्धान्त

4313. श्री रण बहादुर सिंह : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र सघ में भाग लेने हेतु संसद सदस्यों का चयन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कसौटी रखी गई है;

(ख) क्या संसद के भूतपूर्व सदस्य भी सूची में सम्मिलित किए जाते हैं; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र महासभा को भेजे जाने वाले भारतीय शिष्टमण्डल के सदस्य भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अत: मुख्य कसौटी यह है कि उन्हें भारत सरकार की नीतियों से सहमत होना चाहिए।

(ख) और (ग) भूतपूर्व संसद सदस्य (लोक सभा) सर्वश्री पी० एस० नस्कर और जोचिप अल्वा सन् 1967 में संयुक्त राष्ट्र के बाइसवें अधिवेशन के लिए भारत के शिष्टमण्डल में शामिल किए गए थे।

भूतपूर्व ससद सदस्या और आजकल संयुक्त राष्ट्र एसोसिएशन के भारतीय संघ की अध्यक्षा श्रीमती सावित्री निगम को भी महासभा के चालू सत्ताइसवें अधिवेशन में भारतीय शिष्टमण्डल का विशेष सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है।

कैन्टीन एण्ड स्टोर डिपार्टमेंट में सहायक प्रबन्धक और प्रबन्धकों का चयन

4314. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में कैन्टीन तथा स्टोर डिपार्टमेन्ट (आई) में सिलेक्शन ग्रेड प्रबन्धकों सहित श्रेणी (i) और (ii) के सहायक प्रबन्धकों और प्रबन्धकों के पदों के लिए कोई चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन दो वर्षों में से प्रत्येक में अलग-अलग चयन किए गए व्यक्तियों के नाम क्या हैं और इनका चयन किस आधार पर किया गया है; और

(ग) इन पदों पर वास्तव में कितने व्यक्ति-पदोन्नत किए गए हैं और कितने व्यक्तियों के नाम भविष्य में रिक्त स्थानों के लिए अभी प्रतीक्षा-सूची में हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमन्।

(ख) चयन किए गए व्यक्तियों की सूची का विवरण सलंग्न है [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4023/72। चयन करने के लिए मानदण्ड निम्नलिखित है :—

प्रबन्धक सलैक्शन ग्रेड

प्रबन्धक ग्रेड-1 अनुभाग अधिकारियों में से गुण के आधार पर चयन द्वारा।

प्रबन्धक ग्रेड-1

चयन सीधी भर्ती द्वारा किया गया था। विभागीय उम्मीदवार भी इसके पात्र थे।

सहायक प्रबन्धक

स्टोर कीपर क्लास-1 और सुपरिन्टेन्डेटों में से उनके गुणों के आधार पर चयन।

(ग) सभी रिक्त स्थानों को चयन किए गए व्यक्तियों द्वारा भरा जाता है। एक व्यक्ति को छोड़कर जो प्रतीक्षा सूची में है, शेष नामिक समाप्त हो चुकी है।

सी० एस० डी० (एक) के नियंत्रण मंडल के मुख्य कैंटीन अधिकारी तथा सचिव के पद पर नियुक्ति

4315. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्मी हैड क्वार्टर्स में सी० एस० डी० (एक) के नियंत्रण मंडल के मुख्य कैंटीन अधिकारी तथा सचिव के पद पर हाल ही में नई नियुक्ति की गई है;

(ख) क्या वायु सेना और नौसेना के प्रतिनिधि इस बात से नाराज हैं कि सी० एस० डी० (एक) और इसके कार्य में संबंधित सभी उच्च पदों पर स्थल सेना के अधिकारियों की नियुक्ति होती है वायु सेना तथा नौसेना का कोई अधिकारी नहीं लिया जात है;

(ग) क्या वह इस बात से भी अवगत है कि इन असंतुष्ट अधिकारियों का यह विचार है कि सी० सी० ओ०, उप-सहायक कैंटीन अधिकारी, सी० एस० डी० (एक) के महाप्रबन्धक तथा उपमहाप्रबन्धकों जैसे उच्च पदों पर सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों के अधिकारियों को समानता के आधार पर बारी-बारी से नियुक्त किया जाये; और

(घ) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) थल सेना मुख्यालय में सी० एस० डी० (आई) ने नियंत्रण मंडल के मुख्य कैंटीन अधिकारी तथा सचिव के पद पर किये गये वर्तमान अधिकारी ने 1 मई 1972 से कार्यभार सम्भाला है ।

(ख) और (ग) : वायु सेना और नौसेना के बीच पाये जाने वाले इस प्रकार के असंतोष अथवा भावना से सरकार अवगत नहीं है ।

(घ) भाग (ख) और (ग) में दिए गए उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

Introduction of Passport system Between India and Bangla Desh

*4316. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state whether passport system has since been introduced between India and Bangla Desh ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): Yes, Sir. A passport and visa system for regulating travel between India and Bangladesh has been introduced with effect from the 1st September, 1972.

भारी इन्जीनियरी निगम के प्रबन्ध को सुव्यवस्थित करना

4317. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरी निगम ने अपने प्रबन्धकों को सुव्यवस्थित करने के लिए कोई प्रशासनिक नियमावली बनाई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान): (क) भारी इंजीनियरी निगम ने प्रशासनिक नियमावली बनाने का काम हाथ में ले लिया है ।

(ख) प्रशासनिक नियमावली में निम्नलिखित विषय होगें:-भारी इंजीनियरी निगम के विभिन्न

संवर्गों का गठन, भर्ती, पदोन्नति, वेतन तथा भत्ते, अग्रिम धन, यात्रा भत्ता तथा मंहगाई भता, आचरण तथा अनुशासन, प्रोत्साहन, इनाम तथा सेवा शर्तों से सम्बन्धित अन्य मामले तथा निगम के कर्मचारियों के लिए सुख-सुविधाएं आदि।

सिविलियन सहायक मंत्री अधिकारियों की पदोन्नति

4318. श्री राम नरायण शर्मा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सिविलियन सहायक भर्ती अधिकारियों (पहले अतिरिक्त सहायक भर्ती अधिकारी कहे जाने वाले) की संख्या कितनी है और कितने अधिकारी अपने वेतन मानों की अधिकतम राशि प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) क्या उनकी पदोन्नति के और अवसर नहीं हैं और उन्होंने वर्तमान पद पर कितनी अवधि तक काम किया है; और

(ग) यदि हाँ तो क्या सरकार को उपरोक्त अधिकारियों में व्याप्त निराशा की जानकारी है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) 23 सिविलियन सहायक भर्ती अधिकारी हैं जिनमें से 22 अपने वेतनमानों की अधिकतम सीमा पर पहुंच चुके हैं। उनमें से अधिकांश ने 16-25 वर्ष के बीच सेवा पूरी कर ली है।

वेतनमान की आपर्याप्तता के विरुद्ध अथवा अन्य आधारों पर नैराश्य प्रकट करते हुए उनसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा भर्ती संगठन में इस सिविलियन संवर्ग के छोटे आकार को ध्यान में रखते हुए जिसमें कोई नवीन भर्ती वहीं की जा रही है, इन सिविलियन सहायक भर्ती अधिकारियों की पदोन्नति के लिए आगे और क्षेत्र ढूंढना सम्भव नहीं हो सका।

सरकारी क्षेत्र में संविद श्रमिक

4319. श्री पम्पन गौडा : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

केन्द्रीय सरकार के उन उपक्रमों, संस्थानों और विभागों के नाम क्या हैं जिनमें संविद श्रमिक रखे जाते हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

Revenue Earned by Defence exhibition organised in L.I.C. ground, New Delhi

4320. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the revenue received by Government from the Defence Exhibition organised in L.I.C. Ground, New Delhi during the months of August and September, 1972; and

(b) the expenditure incurred by Government thereon?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) An amount of Rs. 45,223.30 Paise has been realised by sale of tickets and licence fee from Stall Holder.

(b) A sum of Rs. 1,38,675.16 Paise has been spent on the construction of the pavilion as well as other miscellaneous items.

Burning of 'Amar Jawan Jyoti' at India Gate

4321. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the date upto which it has been finally decided to keep burning the 'Amar Jawan Jyoti' at India Gate;

(b) the type of fuel being used for it at present; and

(c) the expenditure incurred on it so far?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) The present arrangement will continue until more permanent arrangement is made at the present or at an alternative site.

(b) Indian Oil Cooking Gas is being used.

(c) Total running expenditure up to 30th November, 1972, was Rs. 58,016.47.

पन्ना का पता लगाने के लिये अजमेर और उदयपुर में रूसी विशेषज्ञों द्वारा अन्वेषण

4322. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी विशेषज्ञों ने अजमेर-उदयपुर क्षेत्र में इस बात का पता लगाने के लिए कोई अन्वेषण किया था कि वहाँ पर पन्ना है या नहीं;

(ख) यदि हां, तो अन्वेषण के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) निक्षेपों का ठीक ढंग से अन्वेषण करने के लिए यदि कोई योजनाएं बनाई गई हैं, तो वे क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

पूर्वी अफ्रीका से भारतीय पार-पत्र प्राप्त व्यक्तियों का प्रत्यावर्तन

4323. **श्री वयालार रवि** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी अफ्रीका में कुछ घटनाओं के कारण भारतीय पार-पत्र प्राप्त कितने व्यक्तियों के स्वदेश लौटने की आशा है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : पूर्व अफ्रीकी देशों से भारत लौटने वाले भारतीय पासपोर्टधारियों की संख्या निकट भविष्य में अधिक बढ़ने की संभावना नहीं है क्योंकि इस तरह की उस क्षेत्र में कोई नई घटना नहीं हुई है।

खनिज अन्वेषण निगम के कार्यकरण का प्रसार

4324. **श्री वयालार रवि** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नवगठित खनिज अन्वेषण निगम के कृत्यों में विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निगम द्वारा केरल के खनिज प्रधान क्षेत्रों में आरम्भ की जाने वाली योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग). विस्तृत खनिज समन्वेषण कार्य करने के लिए हाल ही में खनिज समन्वेषण निगम स्थापित किया गया है। इस समय निगम देश के विभिन्न स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित करने और उपस्कर की उपाप्ति हेतु प्रारम्भिकाओं का निर्धारण कर रहा है ताकि वह अपने सामान्य कार्य आरम्भ कर सके। उसके कार्य के कार्यक्षेत्र के विस्तार के विषय में अभी कुछ कहना समयपूर्व की बात है और उसके द्वारा विभिन्न सम्भावनाओं के विस्तार में अध्ययन करने का समय प्राप्त करने से पूर्व निगम द्वारा केरल में किए जाने वाले सम्भाबित कार्य को उपदर्शित करना भी सम्भव नहीं होगा।

ब्रिटेन में मजगांव डाक लिमिटेड का कार्यालय

4325. **श्री वयालार रवि** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजगांव डाक लिमिटेड बम्बई ने ब्रिटेन में "इण्डिया फ्रिगेट प्रोजेक्ट आफिस" नाम से एक कार्यालय खोल रखा है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यालय के कृत्य क्या हैं;

(ग) क्या गत दो वर्षों से प्रबन्धक इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि इस कार्यालय को बन्द किया जाये या नहीं; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) इस कार्यालय के संक्षेप में कृत्य हैं।—

(1) फ्रीगेट परियोजना के लिए सहयोगियों के साथ तकनीकी सम्पर्क तथा समन्वय करना। अर्थात मैसर्स विकर्स एण्ड पारो, और इंगलैंड की सरकार, रक्षा मंत्रालय (नौसेना), (2) फ्रीगेट के लिए इंगलैंड से मशीन तथा उपस्करों आदि का प्राप्त करना; और (3) फ्रोगेट के लिए तकनीकी सूचना प्राप्त करने अथवा मशीनों तथा उपस्करों के पदों का स्वदेश में विकास तथा उत्पादन करने के लिए अपेक्षित ब्यौरों को प्राप्त करने के विचार से इंगलैंड में उत्पादकों के साथ समन्वय।

(ग) और (घ). कार्यभार को ध्यान में रखते हुए इस संगठन को जारी रखने का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है और इस समय इसे 31 दिसम्बर 1974 तक चालू रखने का निर्णय किया गया है।

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में रोजगार ब्यूरो

4326. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशक ने गोविन्द वल्लभ-पन्त कृषि एवं प्रौद्यो-

गिकी विश्वविद्यालय में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थापित ब्यूरो जैसा रोजगार ब्यूरो स्थापित किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अन्य कृषि विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के ब्यूरो हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये ब्यूरो रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा स्थापित नहीं किये जाते, परन्तु ये सम्बन्धित राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों द्वारा स्थापित किये जाते हैं। इस समय ये निम्नलिखित तीन कृषि विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे हैं :—

(1) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना;

(2) हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार; और

(3) उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर।

रोजगार दफ्तरों में दर्ज ग्रेजुएट कृषि इन्जीनियर

4327. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और उत्तर प्रदेश के रोजगार दफ्तरों में कुल कितने ग्रेजुएट कृषि इन्जीनियरों का नाम दर्ज है और उनका नाम कब से दर्ज है ;

(ख) कितने पंजीकृत ग्रेजुएट कृषि इन्जीनियरों को पंजीकरण के एक अथवा दो वर्ष के अन्दर ही काम मिल गया था ; और

(ग) क्या लार्सेन एण्ड टोब्रो लि०, वोल्टास, एक्स्कोर्ट्स जैसे गैर-सरकारी नियोक्ताओं की ग्रेजुएट कृषि इन्जीनियरों सम्बन्धी मांगों को रोजगार दफ्तरों और रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय को भेजा जा रहा है अथवा कृषि विश्वविद्यालयों को ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न हैं, जिसमें उपलब्ध सूचना दी गई है।

विवरण

(क) **उत्तर प्रदेश**

चूंकि रोजगार कार्यालयों का प्रशासन और नियंत्रण पूर्णत. राज्य सरकार के हाथ में है, इसलिए सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(ख) **दिल्ली**

उपलब्ध सूचना निम्नानुसार है :—

(क) 30 नवम्बर, 1972 को 9 स्नातक कृषि इंजीनियर चालू रजिस्टर पर थे। इनमें से 7 एक वर्ष से कम अवधि और शेष 2 एक से दो वर्ष की अवधि से चालू रजिस्टर पर थे।

(ख) 1972 के दौरान 3 स्नातक कृषि इंजीनियरों को रोजगार दिलाया गया और उन सभी को पंजीकृत होने की तारीख से एक वर्ष के अन्दर-अन्दर रोजगार मिल गए।

(ग) रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के उपबन्धों के अधीन निजी क्षेत्र के ऐसे सभी प्रतिष्ठानों के लिए, जिनमें 25 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, स्थानीय रोजगार कार्यालयों की और यदि नियोजक रिक्तियों को उस राज्य/संघीय क्षेत्र के बाहर जिसमें प्रतिष्ठान स्थित है, रोजगार कार्यालयों में परिचालित करना चाहता है, तो रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन केन्द्रीय रोजगार कार्यालय को, रिक्तियां (कुछ अपवादों को छोड़कर) अधिसूचित करना आवश्यक है।

नियमित-अल्प सेवा कमीशनों के लिए समय समय पर स्नातक इंजीनियरों की भर्ती

4328. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियमित या अल्प सेवा कमीशनों के लिए स्नातक इंजीनियरों सिविल मेकेनिकल और इलैक्ट्रीकल - की भर्ती करने के लिए समय समय पर एक परीक्षा ली जाती है ;

(ख) क्या इन परीक्षाओं के कृषि इंजीनियरी स्नातक नहीं बैठ सकते ;

(ग) क्या ट्रैक्टरों, अर्थमूवर्स व्हास्वैटर्स (सैनिक फार्मों के लिए), सिंचाई कार्यों (फार्मों में) से सम्बन्धित सेनाओं का प्रबन्ध करने के लिए रक्षा प्रतिष्ठानों को भारतीय कृषि विश्व-विद्यालयों के कृषि इन्जीनियरी स्नातकों की आवश्यकता होती है ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार सेवा में कमीशन के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में कृषि इन्जीनियरी स्नातकों को बैठने की अनुमति देने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) नियमित या अल्प सेवा कमीशनों के लिए सिविल मैकेनिकल और इलैक्ट्रीकल के स्नातक इन्जीनियरों की भर्ती के लिए कोई परीक्षा नहीं ली जाती है। इन कमीशनों के लिए उन्हें सर्विस सेलेक्शन बोर्डों द्वारा लिए जाने वाले साक्षात्कारों के माध्यम से चुना जाता है। कमीशन रेंकों में कृषि इन्जीनियरी स्नातकों की कोई आवश्यकता नहीं है और परिणामस्वरूप उन्हें कमीशन के लिए एस० एस० बी० के समक्ष भेजने पर मनाही है, तथापि सैनिक फार्मों में सिविलियन अफसर संवर्ग में प्रवेश के लिए केन्द्रीय लोक सेवा आयोग को आवेदन भेजने के लिए पात्र है, केवल वहीं उनकी आवश्यकता होती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला मंत्रणा परिषद् की कोयले के उत्पादन के बारे में सिफारिशें

4329. श्री राम नारायण शर्मा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को 29 सितम्बर, 1972 को हुई कोयला मंत्रणा परिषद् की बैठक के बाद अक्तूबर, 1972 में कोयला उद्योग सम्बन्धी मामलों के बारे में कोई यादनामा/लिखित टिप्पण मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन टिप्पणों का सारांश क्या है ; और

(ग) पांचवीं योजना में विद्युत और भाप प्रजनन के लिए कोयला के उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि के संदर्भ में कोयला उद्योग के टिप्पणों में उल्लिखित तत्वों के बारे में सरकार की क्या रिपोर्ट है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं ।

सेना मुख्यालय कैनटीन का प्रबन्धसी० एस० डी० (एक) से लिया जाना

4330. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना मुख्यालय के अधिकारियों ने निर्णय किया है कि ए० एच० क्यू० कैनटीन को सी० एस० डी० (आई) से लेकर विभागीय तौर पर चलाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो प्रबन्ध में परिवर्तन किस तारीख से प्रभावी होगा और इस निर्णय के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सी० एस० डी० (आई) के वर्तमान स्टाफ को नई प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत ले लिया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है सी० एस० डी० के स्टाफ और उनके परिवारों को दिल्ली से विस्थापित न होना पड़े तथा उनके सी० एस० डी० के अपकन्टरी प्रतिष्ठानों में स्थानान्तरण से उन्हें अनेक असुविधाओं का सामना न करना पड़े ।

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) 1-3-1973 से, कैन्टीन सेवाओं के नियंत्रण मंडल की नीति के निर्णयानुसार जो विचरना मुख्यालय, सी० एस० डी० (आई०) स्टेशन कैन्टीनों को स्वेच्छापूर्वक लेने को तैयार हों, वे उन्हें दे दी जानी चाहिए ।

(ग) जी नहीं, श्रीमन् ।

(घ) सी० एस० डी० (आई०) के कर्मचारियों पर देश के किसी भी भाग में सेवा करने का दायित्व है और उन्हें अन्य सी० एस० डी० (आई) संस्थानों में खपा लिया जाएगा ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उद्यान विभाग में श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी

4331. श्री चन्द्रशेखर सिंह : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उद्यान डिवीजन से दैनिक न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने और इसके बहिरंग श्रमिकों को दी जाने वाली 3 रुपये 70 पैसे की न्यूनतम मजूरी और कार्यालय में नियुक्त तथा अन्तरंग कार्यों के लिए रखे गए श्रमिकों को दी जाने वाली 4 रुपये की मजूरी में अन्तर दूर करने के प्रश्न पर कोई पत्र मिला है ।

(ख) क्या इस मामले पर कोई निर्णय किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या श्रम आयुक्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उद्यान डिविजन को निदेश देगा कि बिना मजूरी की साप्ताहिक छुट्टी की वर्तमान प्रथा के स्थान पर दैनिक श्रमिकों को मजूरी सहित साप्ताहिक छुट्टी दी जाए ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी में साप्ताहिक विश्राम के दिन की मजदूरी शामिल है और इस प्रकार साप्ताहिक छुट्टी के लिए अलग मजदूरी देय नहीं है ।

बोकारो स्टील लिमिटेड का निदेशक मंडल

4332. श्री आर० पी० उलगनम्बी : क्या **इस्पात और श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारों स्टील लिमिटेड के निदेशक मंडल में वर्तमान निदेशक कितनी बार शामिल किए गए है और उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) निदेशक मंडल में प्रत्येक निदेशक को कब शामिल किया गया था और उन्होंने मंडल को कब छोड़ा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) और (ख) बोकारो स्टील लिमिटेड की अन्तर्नियमावली के अनुसार, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक निदेशक तथा निदेशकों को जो इस्पात तथा भारी इन्जीनियरी तथा वित्त मंत्रालय के अधिकारी होते हैं को छोड़ कर सभी निदेशक वार्षिक बैठक पर रिटायर हो जाते हैं । वे निदेशक जो इस्पात विभाग तथा मंत्रालय के अधिकारी होते हैं तभी तक निदेशक रहते हैं जब तक वे इन मंत्रालयों में अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं । रिटायर होने वाले निदेशकों को पुनः नियुक्त किया जा सकता है । वर्तमान गैर-सरकारी निदेशकों के विवरण जो पहले कम्पनी के निदेशक थे नीचे दिये गये हैं ।

निदेशक का नाम	नियुक्ति की अवधि	पुनः नियुक्ति की अवधि
श्री एस०के० नानावती	24-12-70 से25-9-71	(1) 2-1-72 से 28-9-72 (2) 26-10-72 से अब तक चल रहे है ।
श्री एच० माया	20-1-72 से 28-9-72	26-10-72 से अब तक चल रहे हैं ।
श्री एस०सी० वडेरा	20-1-72 से 28-9-72	26-10-72 से अब तक चल रहे हैं ।

कम्पनियों द्वारा स्वर्ण निक्षेपों का खनन

4333. श्री मूलचन्द डागा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सोना किन किन स्थानों पर उपलब्ध है तथा गत वर्ष इनमें से प्रत्येक स्थान से कितना कितना सोना निकाला गया;

(ख) उक्त स्थानों से सोना निकालने के कार्य में लगी कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा वे कम्पनियाँ किस तिथि से यह कार्य कर रही है; और

(ग) उनमें से प्रत्येक कम्पनी को 1970 और 1971 में कितनी हानि हुई और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) स्वर्ण मसूर चैम्पियन रीफ और कोलार जिले की नंदीद्रुग खानों और मैसूर के रायचुर जिले मे हुट्टी गोल्ड माइन्स से उत्पादित होता है। 1971-72 के दौरान कोलार गोल्ड माईनिंग उपक्रम और हुट्टी गोल्ड माइन्स में खनिज स्वर्ण इस प्रकार है :—

	1971-72 (ग्रामों में)
कोलार गोल्ड माइन्स उपक्रम	22,46,487
हुट्टी गोल्ड माइन्स	12,79,200
	35,25,687

कोलार स्वर्ण क्षेत्र से 1880/1884 से और रायचुर से 1886 से स्वर्ण का खनन किया जाता रहा है

(ग) कोलार गोल्ड माईनिंग उपक्रम द्वारा 1970-71 और 1971-72 के दौरान उपगत हानि की राशि इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

1970-71	1971-72	
482.45	486.41 (अनन्तिम, लेखा-परीक्षा के अध्यधीन)	व्यय और अ०वि०नि० की दर से स्वर्ण के मूल्य में अन्तर जिस पर यह रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को बेचा जाता है।

केन्द्र द्वारा खानों का प्रबन्ध ग्रहण करने के पश्चात, कोलार गोल्ड माइन्स में उत्पादन आग, खानों में पानी भर जाने और शैल-फटने जैसे प्राकृतित संकटों के, जो 1965 और 1966 के दौरान घटित हुए, कारण प्रतिकूलत: प्रभावित हुआ था। अयस्क की श्रेणी में भी कमी हुई है। मैसूर खान के अयस्क की उपलब्ध राशियाँ सीमित हैं और इस लिए उत्पादन कम हुआ है। नंदीद्रुग खान के अयस्क की श्रेणी, जिसमें बृहद निक्षेप हैं, तुलनात्मक दृष्टि से निम्न है। मजदूरी में वृद्धि और खनन की लागत मे अधिक वृद्धि को सम्मिकित कर यह सब पहलू हानि के लिए उत्तरदायी हैं।

हुट्टी गोल्ड माइन्स के बारे में जानकारी मैसूर सरकार से प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत स्नातक तथा स्नातकोत्तर व्यक्ति

4334 श्री बनमाली पटनायक : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय रोजगार कार्यालयों में प्रथम/द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अनेक स्नातक तथा स्नातकोत्तर व्यक्ति पंजीकृत हैं और यदि हाँ, तो 1971 में कितने उम्मीदवार रजिस्टर्ड किए गए और कितने व्यक्तियों को रोजगार पाने में सहायता की गई ।

(ख) क्या उनकी अर्हताओं के अनुसार नौकरियों के अभाव में उनको तकनीकी आधारों पर कनिष्ठ पदों से वंचित किया जा रहा है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही करने का है जिसमें नौकरी के अवसर प्रदान करने में तीसरी श्रेणी में उत्तीर्ण स्नातकों की अपेक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण स्नातकों को वीरीयता दी जाए ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : जी हां। दिल्ली में दो विश्वविद्यालय रोजगार ब्यूरो द्वारा पंजीकृत और नियुक्त कराए गए ऐसे उम्मीदवारों की संख्या निम्नानुसार थी :—

	पंजीकृत	नियुक्त कराए गए
विश्वविद्यालय रोजगार ब्यूरो, दिल्ली विश्वविद्यालय ।	2,954	429
विश्वविद्यालय रोजगार ब्यूरो, जामिया-मिलिया ।	609	61

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि अधिसूचित रिक्तियों के लिए रोजगार कार्यालयों द्वारा सम्प्रेषित किए जा रहे उम्मीदवारों की पात्रता विभिन्न पदों के लिये नियोजकों द्वारा निर्धारित योग्यता आदि के अनुसार निश्चित की जाती है ।

ब्रिटेन में भारतीय संस्कृति का प्रसार करने का कार्यक्रम

4335 श्री धर्मराव अफजलपुरकर : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विद्या भवन ने ब्रिटेन में भारतीय संस्कृति का प्रसार करने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं और सरकार उसके लिए कितनी आर्थिक सहायता देने को सहमत हुई और इस बारे में गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त दान का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार को मालूम है कि भारतीय विद्या भवन की लंदन में भवन का केन्द्र स्थापित करने की योजना है।

भवन की पुस्तकें बेचने तथा अन्य कार्यकलापों की व्यवस्था है। जहां तक सरकार को पता हैं, ये योजनाएं अब भी अस्थायी हैं। फिलहाल सरकार की ओर से न तो कोई सहायता दी गई है और न उससे मांगी गई है। सरकार के पास प्राईवेट संस्थानों की ओर से दिए गए दान का ब्यौरा नहीं है।

आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी

4337. कुमारी कमला कुमारी : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपने कर्मचारियों के लिए आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी देने के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों नियोक्ताओं के लिए कोई नियम बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) : जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सप्ताह में दिन काम करने के बारे में एन०सी०टी०यू० की बैठक में विचार विमर्श

4337. श्री एम०एस० जोजफ
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन०सी०टी०यू० की कोई बैठक हाल ही में बम्बई में हुई थी जिसमें सप्ताह में सात दिन कार्य करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस बैठक में क्या निर्णय किए गए ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : एन०सी०टी०यू० की बैठक 10 और 11 नवम्बर, 1972 को बम्बई में हुई। सरकार के पास सात दिवसीय सप्ताह के प्रस्ताव पर बातचीत के सम्बन्ध में, यदि कोई हो, कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान के युद्ध बन्दियों को सप्लाई की गई औषधियों का मूल्य तथा पाकिस्तान में भारतीय युद्ध बन्दियों को दी गई चिकित्सा सहायता।

4338. कुमारी कमला कुमारी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पाकिस्तान के युद्ध बन्दियों को 30 नवम्बर, 1972 तक कुल कितने मूल्य की औषधियां सप्लाई की गई थीं; और

(ग) क्या सरकार पाकिस्तान में हमारे युद्ध-बन्दियों को चिकित्सा संबंधी कुछ सहायता भेजेगी क्योंकि पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान में हमारे युद्ध बंदियों की भली-भांति देखभाल नहीं कर रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) पाकिस्तान युद्ध बन्दियों/संरक्षणात्मक हिरासत के

अधीन नागरिकों के लिए चिकित्सा स्टोरों/उपस्करों पर 31 अक्तूबर 1972 तक कुल 20,68,000.00 रुपए व्यय हुआ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि भारतीय युद्धबन्दी अब स्वदेश लौट चुके हैं।

हिंदालकों का राष्ट्रीयकरण

4339. श्री एस०एम० बनर्जी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हिंदालकों का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में उत्तर प्रदेश की सरकार के सुझाव को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार कर लिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : सरकार को राज्य सरकार से इस प्रकार का कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा दिखाया गया लाभ तथा उत्पादन

4340. श्री राजदेव सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने वर्ष 1971-72 में अपने कर-पूर्व लाभ में एक करोड़ रुपये की वृद्धि दिखाई है;

(ख) क्या उसने गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1971-72 में अपने उत्पादन में 3 करोड़ 42 लाख रुपये के मूल्य की वृद्धि की है; और

(ग) यदि हां, तो यदि कल पुर्जों तथा अन्य वस्तुओं का आयात किया जाता है तो उसकी वार्षिक प्रतिशतता कितनी है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारत इलैक्ट्रानिक्स लि० द्वारा पिछे दो वित्तीय वर्षों में कर-पूर्व अर्जित किया गया लाभ इस प्रकार है :—

वर्ष	कर-पूर्व लाभ
1970-71	520.79 लाख रुपये
1971-72	605.78 लाख रुपये

अतः 1971-72 के दौरान कर-पूर्व अर्जित किए गए लाभ में पिछले वर्ष की तुलना में केवल लगभग 85.00 लाख रुपये की वृद्धि हुई थी।

(ख) जी हां, श्रीमन्।

(ग) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत इलैक्ट्रानिक्स लि० में पूर्ण उत्पादित उपस्करों और उपकरणों में विदेशी मुद्रा के अंश का प्रतिशत निम्नलिखित है :—

वर्ष	पूर्ण उत्पादन का मूल्य (लाख रुपयों में)	विदेशी मुद्रा के अंश का प्रतिशत
1970-71	2806	29 प्रतिशत
1971-72	3230	26 प्रतिशत

Expenditure on Maintenance of 6-Door Mercedez Benz Car

***4341. Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the total amount of expenditure incurred on the maintenance of 6-door Mercedez Benz Car to meet ceremonial requirements of Ministry of External Affairs so far; and

(b) the monthly average mileage covered by it ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Rs. 734.16.

(b) 65 miles.

देश में उपलब्ध कोयला और ईंधन का अधिकतम उपयोग

4342. श्री प्रसन्नभाई मेहता :
श्री के० लकप्पा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उपलब्ध कोयले तथा अन्य ईंधन को बरबादी से रोकने तथा उनका अधिकतम उपयोग करने के लिए कतिपय विनियमन लागू किए हैं;

(ख) क्या बायलर गैस का उत्पादन करने वाले भट्ठे तथा धमन भट्ठियों जैसे जलने वाले नए उपकरणों को लगाने के लिए ईंधन बचत समिति तथा कोयला बोर्ड से परामर्श करना पड़ेगा;

(ग) क्या यह दोनों निकाय कोयले की उपलब्धता की दृष्टि में रखते हुए ऐसे सभी उपकरणों को लगाने की जांच करेगी; और

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने यह निर्णय किया है कि यदि उद्यमकर्ता पूंजीगत माल लगाने से पूर्व कोयला बोर्ड से परामर्श नहीं करते हैं तो इन यूनिटों द्वारा अपेक्षित कोयले के ग्रेड तथा आकार के बारे में बोर्ड कोई दायित्व नहीं लेगा ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग). औद्योगिक विकास मंत्रालय ने 19 अक्तूबर, 1972 को, आशय पत्र में एक खण्ड को पुर:स्थापित करते हुए, एक परिपत्र जारी किया, जिसके अनुसार, यदि किसी परियोजना में बृहद् दहन उपस्कर का प्रतिष्ठापन अन्तर्वलित है तो प्रमुख वस्तुओं के आयात के लिए आवेदनों को प्रस्तुत करने से पूर्व उद्यमों का कोयला बोर्ड से परामर्श आवश्यक है।

(घ) प्रश्नगत खण्ड में ऐसा अनुबंध अन्तर्विष्ट है।

"ट्रांसपोर्ट प्लैनिंग नो मैच फार कोल टारगेट्स सेट" का समाचार

4343. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 नवम्बर, 1972 के 'हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड में "ट्रांसपोर्ट प्लैनिंग नो मैच फार कोल टारगेट्स सेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख). प्रश्नगत लेख का संदर्भ कोयले के लिए पंचम योजना लक्ष्यों और कोयले के उत्पादन और परिवहन के लिए योजना में समन्वय की अभिकथित कमी से है। कोयले को सम्मिलित कर, समस्त उद्योगों

के लिए पंचम योजना के लिए लक्ष्य बनाए जा रहे हैं और कोयले को सम्भावित मांग को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक परिवहन योजनाएं भी बनाई जाएंगी। रेल मंत्रालय ने चतुर्थ योजना में कोयले को रेल द्वारा संचलन के लिए अपेक्षित आधारिक प्रसुविधाओं की योजना बनाने के लिए विशेष स्कंध की स्थापना की है और यदि एक बार पांचवीं योजना में कोयला उत्पादन का लक्ष्य नियत हो जाता है तो यह अधिनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि माँगों की पूर्ण पूर्ति के लिए रेल परिवहन क्षमता बढ़ाई जा सके।

सन्तालडीह परियोजना के लिए इस्पात के लिए पश्चिमी बंगाल के मुख्यमन्त्री द्वारा की गई अपील

4344. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन्तालडीह परियोजना से ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण करने के लिए इस्पात की शीघ्र सप्लाई के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने इस्पात मत्रालय से एक अत्यावश्यक अपील की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) जी, हां।

(ख) सन्तालडीह तापीय विद्युत संयंत्र के प्रथम यूनिट के लिए, जिसके जून 1973 में चालू किये जाने की सम्भावना है, की ट्रांसमिशन लाइनों के लिए 1074 मीटरी टन इस्पात की तुरन्त सप्लाई के लिए प्रार्थना की है। सन्तालडीह के दूसरे यूनिट के दिसम्बर, 1973 में चालू किये जाने की सम्भावना है, इसके लिए उन्होंने लगभग 3,000 टन इस्पात की आवश्यकता बताई है।

नवम्बर, 1972 में मुख्य इस्पात उत्पादकों के स्टाक यार्डों से सन्तालडीह दुर्गापुर ट्रांसमिशन लाइन के लिए 359 टन इस्पात दिया गया है और इस्पात प्राथमिकता समिति ने 1973 की प्रथम तिमाही में पश्चिमी बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड को 3553 टन इस्पात का आवंटन किया है।

मारुति लिमिटेड को इस्पात का आवंटन

4345. श्री आर० पी० उलगनम्बी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारूति लिमिटेड को कारों के निर्माण के लिए छः हजार मीटरी टन इस्पात का आवंटन किया गया था; और

(ख) क्या वह आवंटन मारूति लिमिटेड की वास्तविक आवश्यकता के बारे में आवंटन प्रधिकारियों द्वारा किये गये किसी मूल्यांकन के आधार पर किया गया था ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय वायु सेना की प्रशिक्षण उड़ानों में होने वाली दुर्घटनाओं में वृद्धि

4346. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि भारतीय वायुसेना की प्रशिक्षण उड़ानों में बार-बार होने वाली हाल की दुर्घटनाओं पर, जिसके कारण कई प्रशिक्षार्थी पायलटों की मृत्यु हो गई है, जनता में व्याप्त चिंता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन दुर्घटनाओं के कारणों की कोई उच्च स्तरीय जांच कराई जायेगी ।

(ग) क्या कुछ प्रशिक्षण विमानों में पृथ्वी से सम्पर्क स्थापित रखने के लिए रेडियो संचार की व्यवस्था नहीं है; और

(घ) क्या प्रशिक्षणार्थियों के जीवन का और प्रशिक्षण विमानों का बीमा कराया जाता है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). भारतीय दुर्भाग्यवश भारतीय वायुसेना की प्रशिक्षण उड़ानों के दौरान कुछ दुर्घटनाएं हुई है । हमारा लगातार प्रयास वायुयान दुर्घटनाओं को यथा सम्भव समाप्त करना है । प्रत्येक दुर्घटना की विस्तार से जांच-पड़ताल की जाती है और जो जांच अदालत अथवा अन्वेषण दलों द्वारा लिए गए निष्कर्षों को सम्बन्धित उपकरणों के सुधार अथवा वायु तथा ग्राउंड कर्मीदल के प्रशिक्षण के काम में नियन्त्रण और निरीक्षण, जहां आवश्यक होता है प्रक्रियाओं के सुधार के लिए काम में लाया जाता है ।

(ग) सभी वायुयानों में पृथ्वी से सम्पर्क स्थापित रखने के लिए रेडियो संचार की व्यवस्था की गई है ।

(घ) जी नहीं । तथापि निकटतम सम्बन्धी निर्धारित राशि और लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं ।

संयुक्त राष्ट्र में बंगला देश का दर्जा

4347. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र में बंगला देश को स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अन्य स्थायी पर्यवक्षकों के नाम क्या है ?

विदेश मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) दूसरे, जिनको प्रेक्षक का दरजा दिया गया है, उनके नाम है :—

1. स्विटजरलैंड
2. कोरिया गणराज्य
3. जर्मन संघीय गणराज्य
4. वियतनाम गणराज्य
5. मोनाको
6. होली सी
7. जर्मनी जनवादी गणराज्य

भारत द्वारा शस्त्रास्त्रों का निर्यात

4348. श्री अर्जुन सेठी :

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आयुध कारखाने इस वर्ष 10 करोड़ मूल्य के रक्षा उपकरणों का निर्यात करेंगे; और

(ख) यदि हाँ, तो आयात करने वाले देशों के नाम क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). रक्षा उत्पादन विभाग ने 1972-73 वर्ष के लिए भारतीय आर्डनेन्स कारखानों से रक्षा उपस्करों के निर्यात के लिए 10 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत से रक्षा उपस्कर आयात करने वाले देशों के नामों को बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

एशियाईयों को अपना कारोबार अफ्रीकियों को बेचने के बारे में कीनिया सरकार की घोषणा

4349. श्री अर्जुन सेठी :

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार कीनिया सरकार के वक्तव्य से अवगत है कि देश की अर्थ-व्यवस्था कीनिया निवासियों को हस्तान्तरित करने के क्रमबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत गैर-राष्ट्रिकों, अधिकांशतः एशियाईयों को, अपना कारोबार अफ्रीकियों को बेचने के बारे में शीघ्र आदेश दिया जायेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द पाल सिंह) : (क) कीनियाईकरण की नीति का अनुसरण करते हुए कीनिया सरकार ने 1967 में व्यापार अनुज्ञापन अधिनियम बनाया था। 1969 में संशोधित इस अधिनियम द्वारा आवश्यक है कि सारा अनुज्ञापित हो, केवल कीनिया के नागरिकों को ही यथासम्भव नगरीय क्षेत्रों के बाहर व्यापार करने की अनुमति मिले तथा यथा-सम्भव विशिष्ट वस्तुओं का व्यापार कीनियाई नागरिकों तक ही सीमित हो। ये लाइसेंस एक वर्ष की अवधि के लिए ही दिये जाते हैं, और फिर वार्षिक आधार पर इन का नवीकरण किया जाता है।

1968 से प्रति वर्ष कीनिया सरकार उन गैर-नागरिकों का नाम अधिसूचित करती रही है जिनके लाइसेंसों का भविष्य में नवीकरण न होना हो। इससे प्रभावित व्यक्ति धन लेकर अपना व्यापार अनुज्ञाप्राप्त कीनियाई नागरिकों को हस्तांतरित कर देते हैं।

(ख) कीनिया सरकार की अपनी अर्थव्यवस्था के कतिपय क्षेत्रों में क्रमिक कीनियाई की नीति तो ठीक ही है, फिर भी सरकार को कीनिया सरकार के इन आश्वासनों में विश्वास है कि वह ऐसे गैर-नागरिकों को सुव्यवस्थित रूप से ही निकालेगी।

बाल श्रम का समाप्त किया जाना

4350. श्री के० कोडंडारामी रेड्डी : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा किए गये सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 140 लाख बालक काम करते हैं ;

(ख) वे किस प्रकार का काम करते हैं और उन्हें औसतन मजूरी कितनी-कितनी मिलती है ; और

(ग) क्या सरकार बाल श्रम को समाप्त करने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत में काम करने वाले बच्चों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया । लेकिन जून, 1972 में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 57वें सत्र में, रोजगार में प्रवेश की न्यूनतम उम्र के सम्बन्ध में, 15 से कम उम्र वाले ऐसे बच्चों की संख्या, जो भारत में आर्थिक रूप से सक्रिय माने गए, एक करोड़ पैंतालिस लाख बताई गई है । यह 1961 की जन गणना के आँकड़ों पर आधारित है ।

(ख) एक करोड़ 45 लाख बच्चों में से, लगभग एक करोड़ पांच लाख कृषि और सहायक उद्योगों में लगे हुये थे जिनमें से बहुत बड़ी संख्या "काश्तकार" शीर्ष के अन्तर्गत शामिल थी । इस प्रकार बच्चे श्रमिकों के रूप में नियोजित नहीं हैं । श्रमिकों के रूप में नियोजित बच्चों से सम्बन्धित औसत मजदूरी सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

(ग) बच्चों के श्रम को अन्ततः समाप्त करने की सरकार की नीति है, यद्यपि ऐसा तुरन्त करना व्यावहारिक नहीं है । जब तक पूर्ण रूप से उन्मूलन नहीं होता, सरकार ने विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत न्यूनतम उम्र को विनियमित कर दिया है । ब्यौरे परिशिष्ट में दिए गए हैं । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4024/72]

केन्या में एशियाईयों को केन्या छोड़ने के नोटिस दिए जाने का समाचार

4351. श्री के० कोडंडारामी रेड्डी :
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि केन्या में एशियाईयों को केन्या छोड़े जाने के नोटिस दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द पाल सिंह): (क) जी हां । कीनियाईकरण की नीति का अनुसरण करते हुये कीनिया सरकार ने 1967 में व्यापार अनुज्ञापन अधिनियम बनाया था । 1969 में संशोधित इस अधिनियम द्वारा यह आवश्यक है कि सारा व्यापार अनुज्ञापित हो, केवल कीनिया के नागरिकों को ही यथासम्भव नगरीय क्षेत्रों के बाहर व्यापार करने की अनुमति मिले तथा यथासम्भव विशिष्ट वस्तुओं का व्यापार कीनियाई नागरिकों तक ही सीमित हो । ये लाइसेंस एक वर्ष की अवधि के लिए ही दिये जाते हैं, और फिर वार्षिक आधार पर इन का नवीकरण किया जाता है ।

1968 से प्रति वर्ष कीनिया सरकार उन गैर-नागरिकों का नाम अधिसूचित करती रही है जिनके लाइसेंसों का भविष्य में नवीकरण न होना हो । इसके प्रभावित व्यक्ति धन लेकर अपना व्यापार अनुज्ञाप्राप्त कीनियाई नागरिकों को हस्तांतरित कर देते हैं ।

(ख) कीनिया सरकार की अपनी अर्थव्यवस्था के कतिपय क्षेत्रों में क्रमिक कीनियाई की

नीति तो ठीक ही है, फिर भी सरकार को कीनिया सरकार के इन आश्वासनों में विश्वास है कि वह ऐसे गैर नागरिकों का सुव्यवस्थित रूप से ही निकालेगी ।

आन्ध्र प्रदेश में सोने और हीरों का पता लगाने के लिए जांच

4352. **श्री के० कोडंडारामी रेडडी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में सोने और हीरों का पता लगाने के लिये कोई जांच की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो किन किन स्थानों पर जाँच कार्य किया गया है और उक्त जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) इस समय आँध्र प्रदेश में स्वर्ण के लिए कोई अन्वेषण नहीं किया जा रहा है । भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हरिक के लिए अनन्तपुर जिले के वज्रकूरर क्षेत्र में और कृष्णा जिले के पार्टीयाला क्षेत्र में किए जा रहे अन्वेषण प्रगति पर हैं ।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए जा रहे अन्वेषण के परिणामस्वरूप वज्रकूरर और लत्तावरम के समीप किम्बरलाइट की किस्म के नलिका-शैल, हरिकप्रद प्रमाणित किए गए । अभी तक 28.432 कैरेट वजन के 28 हीरे प्रति प्राप्त किए गए हैं । पार्टीयाला के समीप कृष्णा नदी के कंकड भी अन्वेषित किए गए और 4.270 कैरेट वजन के 3 अस्वस्थ हीरे प्रति प्राप्त किए गए ।

चित्तूर जिले के भूतपूर्व सैनिक एसोसियेशन से प्राप्त ज्ञापन

4353. **श्री पी० नरसिम्हा रेडडी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तूर जिले के भूतपूर्व सैनिक एसोसियेशन ने रक्षा उत्पादन मंत्री को अभी हाल की तिरुपति की यात्रा के दौरान उन्हें एक ज्ञापन पेश किया है;

(ख) उस में किन किन मुख्य बातों का उल्लेख है; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) चित्तूर जिले के भूतपूर्व सैनिक एसोसियेशन ने 3 नवम्बर 1972 को रक्षा उत्पादन मंत्री को उनके चित्तूर जिले में तिरुपति की यात्रा के अवसर पर एक ज्ञापन पेश किया था । ज्ञापन में उल्लिखित मुख्य मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

1. कृषि और गृह के लिए भूमि का आवंटन;
2. सिविल पदों में भर्ती के लिए भूतपूर्व सैनिकों और उनके बच्चों को प्राथमिकता देना;
3. भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को मुफ्त पुस्तकें और निःशुल्क शिक्षा देना;
4. सरकारी फोर्मों और स्थानों निकायों में भूतपूर्व सैनिकों को उपयुक्त प्रतिनिधित्व दिया जाए;
5. बस मार्गों का आरक्षण;

6. भूतपूर्व सैनिकों और उनके बच्चों को रोजगार के अवसर देने के लिए चित्तूर जिले में एक रक्षा औद्योगिक स्थापना खोली जाए।

राज्य सरकार की सलाह से इन बातों पर विचार किया जा रहा है।

अग्निगुन्डाला सीसा और तांबा खानों का कार्यकरण

4354. श्री पी० नरसिम्हा रेडडी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की अग्निगुण्डाला सीसा/तांबा खानों के कार्य में निर्धारित गति से प्रगति चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) बण्डालामोट्टु सीसा निक्षेप में लगभग 1500 मीटर कुल कार्य में से खान प्रविष्टियों की कुल प्रगति लगभग 1330 मीटर है। इसके अतिरिक्त, खान विकास कार्य में लगभग 700 मीटर प्रगति हुई है। नल्लाकोण्डा खान में 144 मीटर कुल कार्य में से खान प्रविष्टियों की प्रगति 124 मीटर है। खान विकास कार्य की प्रगति लगभग 55 मीटर है।

रक्षा उपकरणों की योजना-रूप रेखा (ब्लू प्रिन्ट) का आयात

4355. श्री नरेन्द्र कुमार साँघी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारी रक्षा उपकरणों के निर्माण के मामले में, भारत अभी भी योजना रूप रेखा (ब्लू प्रिन्ट) के आयात के लिए विदेशों पर निर्भर है;

(ख) मंत्रालय को विदेशी सहायता पर कहां तक निर्भर रहना पड़ता है; और

(ग) इस बारे में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) माननीय सदस्य का अभिप्राय शायद भारत में निर्मित वस्तुओं तथा टैंकों के बारे में पूछने का है। स्वदेश में डिजाइन तथा विकसित की गई 75/24 होविटजर (माऊंटेन गन) पहले ही देश में बनाई जा रही हैं। स्वदेश में डिजाइन तथा विकसित की गई 105 एफ० एफ० इण्डियन फिल्म का शीघ्र ही देश में उत्पादन आरम्भ होने वाला है। तथापि भारी गन का उत्पादन करने की अभी योजना नहीं है। मौले टैंक पहले ही भारत में निर्मित किए जा रहे हैं। इन उपकरणों के निर्माण के के लिए तकनीकी मामले में सब मिलाकर हम आत्मनिर्भर हैं। तथापि, तकनीकी तौर पर अन्यत्र नवीनतम प्रगति को ध्यान में रखते हुए यदि किसी कमी का पता लगता है जिसे हमारे अपने अनुसंधान तथा विकास संगठन से पूरा नहीं किया जा सकता है तो उसे उत्तम सम्भव शर्तों पर प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है।

रक्षा उत्पादन एककों के साथ गैर-सरकारी क्षेत्र में असैनिक उत्पादन करने वाली मशीनरी

4356. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा उत्पादन कारखानों के साथ गैर सरकारी क्षेत्र के असैनिक उत्पादन का स्थायी तौर पर सामंजस्य स्थापित करने के लिए कोई व्यवस्था है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसी व्यवस्था करने का है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जहाँ क्रियात्मक पहलू की आवश्यकता नहीं होती और किसी उपकरण, एसेम्बली अथवा सब-असेम्बली का उत्पादन स्थापित हो जाता है तो रक्षा उत्पादन यूनिटें संक्षम प्राइवेट सैक्टर यूनिटों पर या तो दीर्घकालीन अवधि अथवा थोड़ी अवधि के आधार पर जैसा आवश्यक हो सीधा ही आर्डर दे देती हैं। तथापि, उन मामलों में जहां विकास की आवश्यकता नहीं होती और उत्पादन स्थापित करना होता है, तो वे रक्षा पूर्ति विभाग को माँग पत्र भी दे देते हैं। रक्षा पूर्ति विभाग अपनी तरफ से सिविल सेक्टर में सक्षम यूनिटों के निविदाएं मांगता है और चुनी हुई पार्टी को पदों के विकास उत्पादन में यथावश्यक सहायता प्रदान करता है। तथापि, सिविल उत्पादन को रक्षा उत्पादन के साथ स्थायी आधार पर जोड़ना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बंगला देश की सशस्त्र सेनाओं को सप्लाई और प्रशिक्षण सुविधायें देने के लिए स्थान निश्चित करना

4357. श्री बी० के० दास चौधरी :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगला देश के बीच एसे स्थान निश्चित करने के लिए कोई समझौता हुआ है जहां भारत-बंगला देश को सशस्त्र सेनाओं को सप्लाई और प्रशिक्षण सुविधायें देने में सहायक हो सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) जी नहीं श्रीमन्। तथापि सरकार मित्र सरकारों के प्रति सहयोग की अपनी आम नीति के अनुसार बंगला देश रक्षा सेनाओं को सप्लाई और प्रशिक्षण सुविधाओं के मामले में सहायता दे रही है।

चीन और नेपाल के बीच आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए करार

4358. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन और नेपाल के प्रधान मंत्रियों ने आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए किसी करार पर हाल ही में हस्ताक्षर किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दोनों सरकारों में से किसी ने भी सरकारी तौर पर कोई विवरण नहीं दिया है।

पाकिस्तानी संवाददाता की जनसंघ के अध्यक्ष से भेंट

4359. श्री सत्य चरण बेसरा : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक पाकिस्तानी संवाददाता ने, जिसने अक्तूबर, 1972 में भारत की यात्रा की थी, जनसंघ के अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी से भेंट की थी ;

(ख) क्या पाकिस्तानी संवाददाताओं को यह हिदायत दी गई थी कि वे विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ही भारत के विपक्षी नेताओं से भेंट करें ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के आदेशों का क्या औचित्य है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विशाखापत्तनम और विजयनगरम् स्थित इस्पात कारखानों की क्षमता

4360. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :
श्री एम० सुदर्शनम् :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम और विजयनगरम में स्थापित दो नये इस्पात कारखानों की धमन भट्टियों की कितनी क्षमता होने का अनुमान है ; और

(ख) उपरोक्त कारखानों के विभिन्न एककों का आकार क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) ये विचाराधीन हैं । आशा है अंतिम निर्णय शीघ्र ही ले लिया जाएगा ।

युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को उनके पुन: विवाह करने पर पेंशन का दिया जाना

4361. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निर्णय किया गया है कि युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं को उनके पुन: विवाह करने के बाद भी पेंशन दी जाती रहेगी; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त निर्णय किस तारीख को लिया गया और उसे किस तारीख से क्रियान्वित किया जायेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) जे० सी० ओज तथा ओ अरज (नौ सेना तथा वायुसेना में उसके समकक्ष) के बारे में पेन्शन विनियमों में पहले ही यह व्यवस्था है कि जो विधवा अपने मृत पति के भाई से पुनर्विवाह करती है और सामुदायिक जीवन व्यतीत करती रहती है और अथवा रह रहे अन्य पात्र उत्तराधिकारियों की सहायता करती रहती है तो उसे विशेष परिवार पेन्शन जारी रखी जा सकती है । अफसरों के बारे में भी 20 जून 1972 से ऐसी ही व्यवस्था कर दी गई है ।

नियमों के अधीन, अफसरों तथा जवानों दोनों के मामले में विधवा को ग्राह्य विशेष पेंशन बन्द कर दी जाती है यदि यह अपने मृत पति के सगे भाई के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से पुनर्विवाह करती है। तथापि, युद्ध के कारण हुई विधवाओं के बारे में इस आशय की एक विशेष व्यवस्था की गई है कि ऐसे पुनर्विवाह पर विधवा को सैनिक के आम परिस्थिति में मर जाने पर मिलने वाली साधारण परिवार पेंशन के बराबर पेंशन दी जाए तो। इस व्यवस्था सम्बन्धी आदेश 24.2.1972 को जारी किए गए थे और पहली फरवरी 1972 से प्रभावी हैं।

हिमाचल प्रदेश के लिए प्रादेशिक सेना की अलग यूनिट का गठन

4362. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार से राज्य के लिए प्रादेशिक सेवा का एक पृथक् यूनिट बनाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुरोध पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीन राम) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश सरकार के राज्य में प्रादेशिक सेना की एक यूनिट स्थापित करने का एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। मामला विचाराधीन है।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद द्वारा आरम्भ किए गए पुरस्कार

4363. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय साँस्कृतिक परिषद् द्वारा आरम्भ किये गये पुरस्कारों का नाम और अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिनको पुरस्कार दिये गये हैं उनके नामों, पतों और वाचनपत्रों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद द्वारा किसी पुरस्कार की स्थापना नहीं की गई है परन्तु अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद, द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सैनिक पदक प्राप्त कर्ताओं को अधिक धनराशि का भुगतान करने के बारे में अभ्यावेदन

4364. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक पदक प्राप्त कर्ताओं को दी जाने वाली धनराशि (5 रुपये प्रतिमास) में वृद्धि करने के बारे में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्रीजगजीवन राम) : (क) जी नहीं श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हनोई द्वारा एक वक्तव्य में अमरीका पर शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के मामले में पीछे हटने का आरोप

4365. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हनोई द्वारा दिये गये एक वक्तव्य की ओर दिलाया गया हैं जिसमें अमरीका पर आरोप लगाया गया है कि हनोई और वाशिंगटन के प्रतिनिधियों द्वारा पेरिस में जिस शांति संधि पर बातचीत आरम्भ की गई थी उस पर हस्ताक्षर करने से अमरीका पीछे हट रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार को अब भी यह आशा है कि सभी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी और सभी सम्बन्धित पक्षों को स्वीकृत एक समझौता हो जायेगा और उस पर जल्दी ही हस्ताक्षर हो जायेंगे ।

विदेशों में भारतीय मिशनों से छंटनी किए गए कर्मचारियों को अन्यत्र खपाना

4366. श्री राज देव सिंह : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने की सिफारिश करने वाले विशेषज्ञ दल ने अन्य दूतावासों के कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने की भी सिफारिश की हैं,

(ख) क्या छंटनी किए गए कर्मचारियों को देश में खपाने अथवा छोटे देशों में हमारे दूतावासों के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी नहीं । अधिशेष पाये गए स्थानीय कर्मचारियों को सेवा से अलग कर दिया गया है, परन्तु भारत-मूलक अधिशेष कर्मचारियों को संवर्ग में स्वीकृत पदों पर रखा जा रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भिलाई इस्पात संयंत्र के विस्तार के बारे में भारत और रूस के बीच करार

4367. श्री राजदेव सिंह :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री भिलाई इस्पात संयंत्र के विस्तार के लिए भारत और रूस

के बीच करार के बारे में 3 अगस्त, 1972 के अतरांकित प्रश्न संख्या 650 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भिलाई इस्पात कारखाने का पहला उत्पादन लक्ष्य पहले पूरा हो चुका है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : गत चार वर्षों में भिलाई इस्पात कारखाने के इस्पात पिण्ड का उत्पादन लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन इस प्रकार है :—

(लाख टन)

वर्ष	उत्पादन लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन
1968-69	19.0	17.4
1969-70	21.8	18.6
1970-71	22.5	19.4
1971-72	22.0	19.5

रूरकेला इस्पात संयंत्र क्षेत्र के अन्तर्गत लाहिनी पाडा से बारकोट तक सड़क का निर्यात

4368. श्री पी० गंगा देव : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात संयंत्र क्षेत्र के अन्तर्गत हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में लाहिनी पाडा से बारकोट तक सड़क बनाने तथा उसे पक्की करने का कार्य पूरा कर लिया है, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) लाहिनीपाडा और बारकोट के बीच की सड़क उड़ीसा सरकार के लोक निर्माण विभाग के अधीन है न कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के राउरकेला इस्पात कारखाने के अधीन ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Legislation regarding ban of Strikes and lock-outs in Public Undertakings]

4369. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to ban strikes or lock-outs in the public undertakings through legislation; and

(b) if so, the broad outlines thereof and the reaction of the employees and Labour Unions thereto ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) There is no such proposal at present.

(b) Does not arise

माना शिविर में बंगला देश के शरणार्थी

4370. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) इस समय मध्य प्रदेश के माना शिविर में कितने विस्थापित है;

(ख) उनमें से कितने बंगला देश निर्माण की घोषणा से पूर्व आये थे और कितने बंगला देश निर्माण की भी घोषणा के बाद आये थे; और

(ग) क्या इन विस्थापितों ने वापिस जाने के सरकारी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है; और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क)और(ख) इस समय मध्य प्रदेश के माना शिविर में 22,754 शरणार्थी परिवार, जिनमें 93,441 व्यक्ति हैं, रह रहे हैं । ये सभी परिवार 25 मार्च, 1971 से पूर्व भारत आ चुके थे ।

(ग) यह निश्चय किया गया था कि जो व्यक्ति भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से 25 मार्च, 1971 से पूर्व भारत आए थे उन्हें बंगला देश वापस नहीं भेजा जाएगा क्योंकि वे उस देश के राष्ट्रिक नहीं है । अतः भारत सरकार ने इन शरणार्थियों को बंगला देश वापस भेजने का सुझाव नहीं दिया है ।

Non-payment of Bonus by Sugar Mills in Madhya Pradesh

4371. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the sugar mills in Madhya Pradesh have not paid the 8.33 per cent bonus to their employees as declared by Government;

(b) whether Central Government have received complaints in this regard from the Labour Unions of Sugar Mills in Madhya Pradesh; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) Information is not available. The matter falls in the State Sphere :

(b) and (c) No. The State Government is the "Appropriate Government" in respect of payment of bonus by Sugar Mills and any complaints in this regard are to be addressed to them for suitable action.

पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रास्त्रों की सहायता पुनः आरम्भ करना

4372. श्री गिरिधर गोमांगो :
श्री वी० मायावन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रास्त्रों की सहायता पुनः आरम्भ करने के सम्बन्ध में अमरीका के राष्ट्रपति से अनुरोध कर रही है;

(ख) क्या समाचारपत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि अमरीका पाकिस्तान को शास्त्रास्त्रों की सप्लाई करने पर सहमत हो गया है: और

(ग) क्या भारत ने इन समाचारों की पुष्टि की है और अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शास्त्रास्त्रों की सप्लाई करने सम्बन्धी निर्णय के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की रिपोर्ट देखी है ।

(ख)और(ग) अखबारों में ऐसी रिपोर्ट सरकार के देखने में नहीं आई है । अमरीकी सरकार ने कई बार कहा है कि पाकिस्तान को शस्त्र देने का प्रश्न अभी भी विचाराधीन है भारत सरकार का यह मत अपरिवर्तित है कि पाकिस्तान को शस्त्र देना उप-महाद्वीप में शांति बनाये रखने में सहायक नहीं होगा ।

पाकिस्तान में भारत-विरोध प्रचार

4373. **श्री गिरिधर गोमांगो :**

श्री वी० मायावन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक महीने से पाकिस्तान में भारत-विरोधी प्रचार फिर से शुरू हो गया है ;

(ख) क्या इस प्रचार का कारण पाकिस्तानी नेताओं का यह वक्तव्य है कि भारत शिमला समझौते का क्रियान्वयन नहीं कर रहा है ; और

(ग) क्या शिमला समझौते के अत्याधिक महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक निर्णय यह भी था कि दोनों देश एक दूसरे के विरूद्ध प्रचार को रोकेंगे और यदि हां तो क्या यह शिमला समझौते का उल्लंघन नहीं है ?

विदेश मत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) रेडियो पाकिस्तान द्वारा और विशेषतया पाकिस्तान सरकार के नियन्त्रण में चलने वाले तथाकथित आजाद काश्मीर रेडियो द्वारा प्रसारित कुल आपत्तिजनक प्रसारणों पर सरकार ने ध्यान दिया है । लेकिन सरकार ऐसे प्रचार के कारणों पर टीका-टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं समझती ।

(ग) विरोधी प्रचार को रोकने पर सहमति, शिमला समझौते का एक मुख्य प्रावधान है । रेडियो पाकिस्तान के आपत्तिजनक प्रसारणों की ओर जो शिमला समझौते की भावना के प्रतिकूल है, पाकिस्तान सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय कार्यालय में फालतू पद

4374. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री भोला मांझी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय के निरीक्षण यूनिट के कर्मचारियों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्य का सर्वेक्षण किया था ;

(ख) क्या उक्त यूनिट ने यह कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय कार्यालय में अधिकारियों के कतिपय पद फालतू हैं ; और

(ग) यदि हां, तो अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) भविष्य निधि प्रधिकारियों ने कर्मचारी निरीक्षण एकक रिपोर्ट में समाविष्ट सिफारशों को अन्तिम रूप में स्वीकार नहीं किया है। इस मामले पर भविष्य निधि प्राधिकारियों और कर्मचारी निरीक्षण एकक के बीच पत्र-व्यवहार चल रहा है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में योग्यता संबंधी कोटा परीक्षा

4375. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री भोला मांझी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के कई संवर्गों में योग्यता संबन्धी कोटा परीक्षा लागू की गई है ?

(ख) क्या कार्य को बेहतर रूप से चलाने तथा परीक्षाओं के लिए समुचित तैयारी करने हेतु कर्मचारियों के ज्ञानावर्धन के लिए न तो उपयुक्त पुस्तकालय की व्यवस्था है और न तो पर्याप्त साहित्य है ; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय कार्यालय और प्रादेशिक कार्यालयों में पुस्तकालय की कोई व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) जी हां।

(ख) और (ग) चूंकि योग्यता कोटा परीक्षाएं प्रतियोगी ढंग की होती हैं, इसलिए अपने लिए परीक्षा में अपेक्षित पुस्तकों को जुटाने की मुख्य जिम्मेदारी इच्छुक उम्मीदवारों की होती है। फिर भी, प्रादेशिक कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालय में ऐसी पुस्तकें रखी जाती हैं जो अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाई गई योजना के प्रशासन के लिए आवश्यक समझी जाती हैं। उपलब्ध पुस्तकों को इच्छुक उम्मीदवार विभिन्न परीक्षाओं के लिए निर्देशित कर सकते हैं।

Pension Cases of Retited Employees In E.P.F.O.

4376. Shri Ramavatar Shastri :
Shri Bhola Manjhi :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether there is no proper section to arrange the pension cases of the retired employees of the E. P. F. Organisation; and

(b) if so, the reason why afulfledged section is not created in the Central Office of the E. P. F. Organisation ?

The Minister Of Labour And Rehabilitation (Shri R.K. Khadilkar) : The Provident Fund authorities have reported as under :—

(a) One of the Sections in the Central Office of the Employees' Provident Fund Organisation deals with pension cases of the retired employees of the Organisation in addition to some other work.

(b) The existing work-load arising out of presion cases does not justify for the present, the creation of a full-fledged section for the purpose.

बंगला देश के संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश के लिए युद्ध बन्दियों की वापसी की पूर्व-शर्त

4377. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रपति भुट्टो के इस कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि बंगला देश के संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश पाने के बारे में चीन द्वारा वीटो का प्रयोग न किये जाने के लिए पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों को वापिस किया जाय; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उक्त प्रचार को निष्प्रभावी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार का सदैव यह मत रहा है कि पाकिस्तानी युद्ध बंदियों की वापसी के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र में बंगला देश के प्रवेश के प्रश्न से नहीं जोड़ा जा सकता। भारतीय प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र में तथा संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की सरकारों के समक्ष इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया है।

हिन्द महासागर में नौसेना की शक्ति बढ़ाने के लिए 'नाटो' राजनीतिक समिति का कथित निर्णय

4378. **श्री रामसहाय पाण्डेय** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लन्दन में 'नाटो' देशों की राजनीतिक समिति की बैठक में हिन्द महासागर में अपनी नौ-सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए किए गए कथित निर्णय की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या ईरान भी हिन्द महासागर में अपनी नौ सैनिक शक्ति बढ़ा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वंद्विता को रोकने और हिन्द महासागर को एक शांति क्षेत्र बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ग) सरकार का यह विचार तो सुविदित ही है कि हिन्द महासागर क्षेत्र को बड़े देशों की उपस्थिति, प्रतिद्वंद्विता तथा तनाव से मुक्त एक शांत क्षेत्र रहना चाहिए। भारत ने सितम्बर, 1970 की लुसाका घोषणा का समर्थन किया था तथा 16 दिसम्बर, 1971 के संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प सं० 2832 (XXVI) के प्रस्तावकों में एक था जिसमें सभी राज्यों से हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाए रखने का अनुरोध किया गया था।

सैनिक अकादमियों में विद्यार्थी

4379. **श्री राम सहाय पांडेय** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्षों से सैनिक अकादमियों में विद्यार्थियों की संख्या घट रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश की रक्षा के हित में इन संस्थाओं में प्रवेश के लिए अधिक विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1970 की तुलना में 1971 और 1972 के दौरान अकादमियों-प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेशकों की संख्या में कुछ कमी आई है ।

(ख) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा में प्रतियोगिता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता को बढ़ाने, उपयुक्त तकनीकी स्नातक उपलब्ध न होना । वायुसेना की कतिपय तकनीकी शाखाओं में चयन के लिए निर्धारित प्रतिबन्धात्मक उच्चतर शैक्षणिक अर्हता और सेवारत सैनिकों में से सेना कैडिट लेने में गिरावट आना आदि कुछ कारण हैं ।

(ग) इन संस्थाओं में प्रवेश के लिए इन्जीनियरी स्नातकों को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) सेना में शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त करने वाले जो स्थायी कमीशन के लिए योग्य पाए गए उनकी 5 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि उनकी मर्जी से अब 10 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है ।

(2) नेशनल केडिट कोर के सी० प्रमाण-पत्र धारियों को एक विशेष प्रवेश के माध्यस से कमीशन का पात्र बना दिया गया है ।

(3) शार्ट सर्विस कमीशन अफसरों को अब उनके सर्विस रिकार्ड के आधार पर स्थायी कमीशन देना होता है । सर्विस सलेक्शन बोर्ड के आधार पर नहीं जैसे कि पहले होता था ।

(4) हाल ही में सेवा अधिनियम पास किया गया है जिसमें इस आशय का एक उपबंध है कि तीस वर्ष अथवा कम आयु के स्नातक इंजीनियरों को राष्ट्रीय सेवा के लिए अधिकतम चार वर्ष तक सेवा करने का दायित्व होगा ।

सैनिक अस्पतालों में बिस्तरों की कमी

4380. श्री राम सहाय पांडेय : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक अस्पताल में बिस्तरों की संख्या युद्ध के समय इनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ख) क्या गत भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान घायल हुए सैनिक कर्मचारियों को स्थान देने के लिए ऐसी कमी का अनुभव हुआ था; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों के छावनी क्षेत्रों में नए सैनिक अस्पताल स्थापित करने और अस्पतालों की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है ?

रक्षामंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क), (ख) तथा (ग). सनिक अस्पतालों में सामान्य समय के लिए पलंगों की संख्या पर्याप्त है । शान्ति के समय में भीं पलंगों की संख्या उसी स्तर पर रखना

जिसकी आपात समय में आवश्यकता हो सकती है अलाभकर होगी । तथापि, सशस्त्र सेनाओं के अस्पतालों का अंशत: विस्तार कर और चुने हुए सिविल अस्पतालों में आरक्षित पलंगों का अंशत: उपयोग कर कुछ अतिरिक्त पलंगों की व्यवस्था करने की योजना बनाई गई है ।

दिसम्बर, 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान सिविल अस्पतालों में केवल कुछ ही पलंगों का उपयोग करना पड़ा ।

उन्नत किस्म के लड़ाकू विमान का डिजाइन तैयार करने और उनका विकास करने का प्रस्ताव

4381. डा० रानेन सेन : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना वर्ष 1980 में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिकतम तकनीक द्वारा उन्नत किस्म के एक लड़ाकू विमान का डिजाइन तैयार करने और उसका विकास करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमन ।

(ख) ब्यौरों को बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा ।

Violation of Indian territorial waters by pakistan

4382. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the total number of times Indian Territorial Waters have been violated by Pakistan since the Tashkent Agreement to-date besides the war of December, 1971; and

(b) the steps taken by Government to check the violations ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) There have been no violations of our territorial waters by Pakistani Naval Ships since the Teshkent agreement.

(b) Does not arise.

Use of Indian Harbours to Supply Arms to North Vietnam

***4383. Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri H. M. Patel :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement made by the Foreign Minister of South Vietnam in Saigon that Soviet Russia is using Indian harbours and airports to supply arms to North Vietnam; and

(b) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Sinah) : (a) Yes, Sir.

(b) The allegation is baseless and the Government of India categorically rejected it through an official statement dated September 27. 1972.

भारतीय वायुसेना प्रशिक्षण केन्द्र, हैदराबाद में हुई दुर्घटनायें

4384. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना प्रशिक्षण केन्द्र, हैदराबाद में वर्ष 1970, 1971 और इस

वर्ष सितम्बर, 1972 तक हताहतों की वर्षवार संख्या का क्या ब्यौरा है,

(ख) क्या कोई जांच पड़ताल की गई है, और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले,

(ग) क्या तकनीकी समिति द्वारा दुर्घटनाग्रस्त विमान उड़ान के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिए गए थे, यदि हां, तो इन विमानों के स्थान पर नये विमान न दिये जाने के क्या कारण हैं, और

(घ) क्या दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा दिया गया है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तीन वर्षों के दौरान चार दुर्घटनाओं में हताहतों की संख्या पांच है ।

(ख) जी हां । दो मामलों में दुर्घटना का कारण पायलट माने गए थे, एक मामले में कारण मालूम नहीं किया जा सका और चौथी दुर्घटना के जांच अदालत की कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है ।

(ग) दुर्घटनाग्रस्त किसी भी विमान को उड़ान के लिए अनुपयुक्त घोषित नहीं किया गया था ।

(घ) दो मामलों में नियमानुसार ग्राह्य लाभ दे दिए गए हैं । शेष मामलों में औपचारिकताएं पूरी हो जाने पर अदायगी कर दी जाएगी ।

बोनस अधिनियम के बारे में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी फैडरेशन का प्रस्ताव

4385. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी फैडरेशन ने 25 से 27 सितम्बर 1972 तक दिल्ली में हुई कर्मचारी समिति की बैठक में एक प्रस्ताव पास कर, रक्षा मंत्रालय को भेजा है जिसमें रक्षा कर्मचारियों और विभागीय स्तर पर चलाये जा रहें अन्य उपक्रमों के कर्मचारियों को बोनस अधिनियम के और सरकार के निश्चय के प्रति विरोध प्रकट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने सरकार से इस विषय पर बातचीत की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क), (ख) और (ग) अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी फैडरेशन की कार्यकारी समिति की बैठक में पास किया गया प्रस्ताव, जिनमें अक्टूबर 1972 के रक्षा कर्मचारी बुलेटिन में प्रकाशित बोनस अधिनियम के क्षेत्राधिकार से विभागीय स्तर पर चलाये जा रहे उपक्रमों के कर्मचारियों को बाहर रखने के भारत सरकार के निर्णय पर असंतुष्टता व्यक्त की गई थी, सरकार के ध्यान में लाया गया है । मामला विचाराधीन है ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यकरण में सुधार

4386. श्री एस०एम० बनर्जी : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यकरण में सुधार करने के लिए कुछ

अधिक प्रभावशाली उपाय किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन उपायों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :—

(क) जी हां ।

(ख) (i) अधिकांश बीमा शुदा श्रमिकों के परिवारों के सदस्यों के लिए विस्तृत या पूर्ण पैमाने पर चिकित्सीय देख-भाल की व्यवस्था की गई है ।

(ii) बीमाशुद्धा लोगों के इस्तेमाल के लिए और अधिक अस्पताल-पलंग निर्मित किए गए तथा चलाए गए हैं ।

(iii) विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए मापदण्ड को बढ़ाने का निश्चय किया गया है ।

(iv) प्रशासनिक और अन्य उपायों द्वारा निगम की वित्तीय स्थिति को सुधारा गया है ।

(v) इस योजना के भावी विकास और सुधार से सम्बन्धित महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में सिफारिशें करने के लिए संदर्श-योजना सम्बन्धी एक समिति स्थापित की गई है ।

अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ के लिए स्थायी वार्ता मशीनरी

4387. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ को वर्ष 1960 को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल से पूर्व स्थायी वार्ता मशीनरी उपलब्ध थी, जो हड़ताल के पश्चात् संघ की मान्यता समाप्त करने के साथ-साथ समाप्त हो गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सितम्बर, 1961 में मान्यता सहित उसे बहाल नहीं किया गया था यद्यपि रेलवे में उसे बहाल कर दिया गया था; और

(ग) इस व्यवस्था को पुन: लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमन् । सरकार का विचार है कि स्थायी वार्ता मशीनरी को उसके पुराने रूप में बहाल करना संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र योजना के अनुरूप नहीं होगा । अतः उसे पुनः बहाल करना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

मजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई में कथित भ्रष्टाचार

4388. श्री वयालार रवि : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई से प्रकाशित होने वाले दिनांक 4 जुलाई 1972 के 'मराठा' समाचार पत्र में मजगाँव डाक लिमिटेड, बम्बई के प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार के समाचार की ओर ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) आरोपों को मिथ्या और निराधार पाया गया है ।

विमानों की मरम्मत तथा सामान्य इंजीनियरी कार्यों में मजगाँव डाक लिमिटेड को हुई हानि ।

4389. श्री बयालार रवि : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा कम्पनी के शेयर अर्जित करने के बाद, ऐसे मामले सामने आये हैं जिसमें मजगांव डाक लिमिटेड बम्बई को जहाजों की मरम्मत और सामान्य, इंजीनियरिंग कार्य करने पर हानि हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो किन मामलों में ऐसी हानि हुई और प्रत्येक मामले में हानि के क्या कारण थे ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां श्रीमन् ।

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान 1000 रुपए अथवा अधिक की हानि वाले मामलों के संबंध में सूचना सभा पटल पर रखे गए विवरण में दी गई है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-4025/72] 1967-68 से पहले ऐसे पक्षों के ब्यौरे इस समय उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि कम्पनी का पहला रिकार्ड नहीं रखा गया है ।

इन मामलों में हानि प्राय इसलिए हुई - (1) कर अनुमान के कारण

(2) बिलों का जल्दी में बनाया जाना ;

(3) लागत-ब्यौरा निपटाने में देरी और

(4) पुन: कार्य की आवश्यकता आदि । ऐसे कार्यों के पूरा होने और सारी गतिविधि पर विचार करने में समय का निर्णायक महत्व होने के कारण ये हानियां बहुत अधिक महत्व की नहीं है जैसा कि संलग्न विवरण में से देखा जा सकता है ।

इस्पात संयंत्रों के प्रबन्ध निदेशकों के विरुद्ध शिकायतें

4390. श्री उलगनम्बी : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में स्थित कुछ इस्पात संयंत्रों के प्रबन्ध निदेशकों द्वारा ठेके देने के मामलों में कुछ औद्योगिक कम्पनियों के साथ पक्षपात करने के बारे में उनके विरुद्ध सरकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) उन इस्पात संयंत्रों और निदेशकों के नाम क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज़ खान) : (क) हाल में सरकारी क्षेत्र के किसी भी इस्पात कारखाने के वर्तमान प्रबन्धक निदेशक अथवा महा-प्रबन्धक के खिलाफ कोई ऐसी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आसनसोल-दुर्गापुर क्षेत्र के लिए आर्थिक विकास के अलाय स्टील प्लान्ट, दुगापुर को सुविधायें देने से इन्कार करना

4391. श्री ज्योतिर्मयबसु : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (जैसा कि 5 नवम्बर, 1972 के हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड, कलकत्ता, में छपा है)

दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में निराशा की भावना धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है क्योंकि दिल्ली स्थित प्राधिकारी आसनसोल-दुर्गापुर क्षेत्र में और अधिक विकास करने के लिए अलाय स्टील प्लान्ट को आवश्यक सुविधाएं देने से लगातार इन्कार कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनः विचार करेगी ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज़ खान) : (क) और (ख) सम्भवतः अभिप्राय मिश्र इस्पात कारखाने की विस्तार योजना के प्रोडक्ट-मिक्स से हैं। प्रोडक्ट मिक्स का निर्णय सभी सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखकर किया गया था। फिर भी, प्रतिनिधि-मन्डल, जिसने हाल ही में इस्पात प्रोद्योगिक में नवीनतम प्रगति का अध्ययन किया है, से प्राप्त हुई रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुये कारखाने की विस्तार योजना के प्रोडक्ट मिक्स के समूचे प्रश्न पर पुनः विचार करने का प्रस्ताव है।

पाकिस्तान और बंगला देश के बीच पुनः मित्रता कायम कराने के लिए इस्लामी देशों द्वारा प्रयास

4392. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्लामी देशों के विदेश मन्त्रियों ने पाकिस्तान तथा बंगला देश के बीच पुनः मैत्री कायम कराने के लिए गत अप्रैल में जेद्दा में हुए तृतीय इस्लामी सम्मेलन में बनाए गए आठ सदस्यीय पुनर्मैत्री मिशन को पुनः सक्रिय करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) बताया जाता है कि गत अक्तूबर में न्यूयार्क में हुई इस्लामी देशों के विदेश मन्त्रियों की बैठक के बाद एक प्रवक्ता ने इस आशय का एक वक्तव्य जारी किया था कि पाकिस्तान एवं बंगला देश के बीच समझौता कराने के लिए स्थापित किए गए आयोग को पुनः सक्रिय किया जायगा।

(ख) यह मामला बंगला देश की सरकार तथा अन्य सम्बन्द्ध देशों के बीच का है।

इंधन नीति सम्बन्धी समिति द्वारा लगाए गए अनुमान की दृष्टि में कोयला उत्पादन के लिए निवेश

4393. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंधन नीति संबंधी समिति द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार कोयले की मांग पूरी करने हेतु अन्त तक इस दशक के कोयले के उत्पादन के लिए 700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) ईंधन नीति समिति ने 1978-79 तक कोयले का उत्पादन 1645 लाख टन तक वर्धित करने और 195 लाख टन तक अतिरिक्त प्रक्षालन क्षमता स्थापित करने की पूंजीगत लागत को सम्मिलित करते हुए 695 करोड़ रुपए का अनुमान किया है।

(ख) ईंधन नीति समिति के अनुमान विघटन इस प्रकार है :—

खनन पद्धति	अतिरिक्त उत्पादन (लाख टनों में)	विनिधान लागत (करोड़ रुपयों में)
1. उथला भूतल	420	372
2. खुली ढलाई	270	212
3. कोककारी कोयला खानों का पुन: सन्निर्माण	100	20
4. प्रक्षालनशालाएं		91
		कुल 695

(ग) पांचवीं योजना काल के दौरान कोयले की मांग और अपेक्षित विनिधान परीक्षणाधीन है ।

नान-कोकिंग कोयला खानों का अधिग्रहण

4294. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नान कोकिंग कोयला खानों को अपने नियन्त्रण में लेने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) देश में अकोककारी कोयले की वृहद् उपलब्ध राशियों को देखते हुए, इस समय इन खानों के राष्ट्रीयकरण की कोई तत्काल आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

क्यूबा के साथ प्रतिबन्धात्मक व्यापार की नीति

4395. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार क्यूबा के साथ अधिकांश मदों के मामले में प्रतिबन्धात्मक व्यापार नीति का अनुसरण कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गार्डनरीच वर्कशाप द्वारा प्राइवेट पार्टियों तथा कम्पनियों से आर्डर स्वीकार करना

4396. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गार्डनरीच वर्कशाप ने भविष्य में प्राइवेट पार्टियों तथा कम्पनियों से आर्डर स्वीकार करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) गार्डनरीच वर्कशाप लिमिटेड प्राइवेट पार्टियों तथा कम्पनियों से भी हमेशा आर्डर स्वीकार करता रहा है क्योंकि उनके कार्य की गतिविधियां ऐसी ही हैं जिसमें पोत निर्माण, पोत मरम्मत, मेरीन डिजल इन्जन, डैक मशीन और इन्जीनियरिंग की आम मदें आती हैं। तथापि रक्षा के आर्डरों को अग्रता दी जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गार्डनरीच वर्कशाप के उत्पादन का मूल्य

4397. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1970-71 तथा 1971-72 में गार्डनरीच वर्कशाप के उत्पादन का कुल मूल्य कितना था ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : 1970-71 के दोरान गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकत्ता में जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत के काम के अतिरिक्त सामान्य इंजीनियरिंग पदों और मेरीन डीजल उत्पादन सहित कुल 1497.73 लाख रुपये का उत्पादन हुआ था।

1971-72 के दौरान इस संस्थान द्वारा किए गए उत्पादन का अन्तरिम अनुमान 1711.40 लाख रुपये है।

जम्मू तथा कश्मीर में नियन्त्रण रेखा के निर्धारण के बारे में सिविल अधिकारियों के बीच बातचीत का सुझाव

4398. श्री वरके जार्ज : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने जम्मू तथा कश्मीर में नियन्त्रण रेखा के निर्धारण के बारे में पैदा हुए गत्यावरोध को दूर करने के लिए सर्वोच्च सिविल अधिकारियों के बीच बातचीत के लिए नवम्बर, 1972 में सुझाव दिया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) पाकिस्तान ने उच्चतम असैनिक अधिकारियों के बीच नहीं, वरन् सेनाध्यक्षों के स्तर पर बैठक का सुझाव दिया था।

(ख) सरकार ने सुझाव मान लिया था और बैठक 28 नवम्बर को लाहौर में हुई थी।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था से खनिज समन्वेषण निगम को पृथक् करना

4399. श्री समर गुह : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज समन्वेषण निगम का मुख्य कार्यालय कहा स्थित है;

(ख) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था से कितने व्यक्तियों को इसमें स्थानांतरित किया गया है;

(ग) खनिज समन्वेषण निगम के उद्देश्य, कार्य तथा बजट क्या है;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था से इस निकाय को पृथक करने के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन दिया; और

(ङ.) यदि हां, तो वह अभ्यावेदन किस प्रकार का था और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) खनिज समन्वेषण निगम का मुख्यालय नागपुर में होगा ।

(ख) निगम की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लगभग 2000 व्यक्तियों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है ।

(ग) खनिज समन्वेषण निगम के मुख्य उद्देश्य और कृत्य खनिज संसाधनों के समन्वेषण के लिए योजना, प्रोत्साहन, संगठन और कार्यक्रम को कार्यान्वित करना, समन्वेषी कार्य का विस्तृतीकरण और खान के डिजायन के लिए यथोचित आधार सामग्री के संग्रहण और संकलन को सम्मिलित करते हुए देश में खनिज संसाधनों का सिद्धीकरण है ।

खनिज समन्वेषण निगम की स्थापना के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण शुल्क और अन्य विविध खर्चों जैसे प्रारम्भिक व्ययों की पूर्ति के लिए भारत के आकस्मिक निधि में से अग्रिम धन लेकर निगम के लिए 15 लाख रुपयों की धनराशि उपबंधित की गई है । 15 लाख रुपयों की इस राशि की प्रति प्राप्ति और चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक के लिए अनुपूरक अनुदान द्वारा यह प्रस्तावित किया गया है कि निगम के लिए 45 लाख रुपयों की राशि उपबन्धित की जाए ।

(घ) और (ङ.) : पश्चिम बंगाल सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि खनिज समन्वेषण निगम की स्थापना के विनिश्चय की परिणति राज्य में बेरोजगारी में होगी । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि खनिज समन्वेषण निगम के क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम बंगाल को सम्मिलित करते हुए देश के विभिन्न भागों में होंगे, अतः यदि ध्यान से विचार किया जाए तो निगम की स्थापना की परिणति पश्चिम बंगाल में पर्याप्त बेरोजगारी में नहीं होगी ।

मंत्रियों द्वारा मजदूर संघों के नेताओं के रूप में कार्य किया जाना

4400. श्री समर गुह : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में कई मंत्री, मंत्री-पद संभालने के बाद विभिन्न मजदूर संघों में पदाधिकारियों के रूप में कार्य करते पाये गये हैं;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में कुछ मंत्री अभी भी कई मजदूर संघों के अध्यक्ष अथवा सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं; यदि हाँ, तो राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के नाम सहित उन मंत्रियों के नाम क्या हैं जो मंत्री-पद के साथ-साथ मजदूर संघ का पद भी संभाले हैं और इनमें से प्रत्येक मंत्री कितने मजदूर संघो के कार्यालयों में पद संभाले हुए हैं; और

(ग) क्या मंत्री द्वारा दो पद संभालने की पद्धति से मजदूर संघ के कार्यकलापों की स्वतंत्रता के सिद्धान्तों का उल्लंघन होता है और यदि हां, तो, मंत्रियों की दो पद संभालने की ऐसी पद्धति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ग) यद्यपि मजदूर संघ अधिनियम, 1926 के अधीन मंत्रियों द्वारा मजदूर संघों के नेताओं के रूप में कार्य करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है तो भी यह ठीक प्रथा नहीं है और यह वांछनीय है कि मंत्रियों को मजदूर संघ संगठनों में कोई पद ग्रहण नहीं करना चाहिए ।

भारतीय सेना में जाति, समुदाय तथा क्षेत्रीय नामों के आधार पर यूनिटों की प्रथा को समाप्त करने के लिए की गई कार्यवाही

4401. श्री समर गुह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभा में यह घोषणा की थी कि भारतीय सेना में वर्ग, जाति, सम्प्रदाय अथवा क्षेत्रीय आधार पर यूनिटों के जो नाम रखे गए हैं, उनको समाप्त कर दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय भेदभाव को दूर करने के लिए सारे देश में समान रूप से सैनिक भर्ती केन्द्रों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ) जहाँ तक तक सम्भव और व्यवहारिक होता है, इस बात के सुनिश्चिय के लिए सदैव प्रयत्न किये गये हैं और किये जा रहे हैं जिससे सेना में समय समय पर भर्ती की मांगों को देश के सभी सेना भर्ती केन्द्रों के पास भेजा जाए जिससे क्षेत्रीय असंतुलन को रोका जा सके ।

कोयले के उत्पादन में कमी

4402. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कोयला क्षेत्रों में कोयले का उत्पादन धीरे-धीरे घट रहा है, यदि हां, तो विभिन्न कोयला क्षेत्रों के सम्बन्ध में गत तीन वर्षों के तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ख) उत्पादन में कमी के क्या कारण है और उत्पादन प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से कितना कम हुआ है; और

(ग) निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) विगत तीन वर्षों के लिए विभिन्न कोयला क्षेत्रों के बारे में उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए जाते हैं :—

	1969-70	1970-71 (लाख टनों में)	1971-52 (अनंतिम)
पश्चिम बंगाल	203.00	186.10	170.10
बिहार	353.80	338.20	321.60
असम	5.70	5.20	6.30
पेंच	50.80	32.10	34.80
चन्दा		22.30	27.00
म० श० को० क्षेत्र	87.80	83.80	85.40
ताल्चेर	9.90	9.40	10.20
सिंगरौली	9.00	11.70	13.00
सिंगरैनी	37.00	40.50	47.10
जम्मू और कश्मीर	0.20	—	0.10
योग	757.20	729.30	715.60

विगत तीन वर्षों के दौरान बंगाल/बिहार कोयला क्षेत्रों में कोयले के उत्पादन में कमी हुई है।

(ख) बंगाल/बिहार कोयला क्षेत्रों में कोयला-उत्पादन में कमी के लिए निम्नलिखित प्रमुख कारण है :—

(i) रेल परिवहन में कमी।

(ii) पश्चिम बंगाल में विधि और व्यवस्था में गड़बड़ी।

(lii) कतिपय खानों में औद्योगिक सम्बन्धा की समस्याएं।

(iv) विद्युत आपूर्ति की कमी जिससे रेलवे और कोयला खानों के कार्यकरण में बाधाएं हुई।

चतुर्थ योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य अर्थात 935 लाख टन के अभिप्राप्त होने की संभावना नहीं है। योजना के प्रत्येक वर्ष के लिए अलग अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

(ग) राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों के परिणामस्वरूप बंगाल/बिहार में विधि और व्यवस्था की स्थिति औद्योगिक सम्बन्धों में पर्याप्त सुधार हुआ है। रेल विभाग कोयले के संचलन के लिए वैगनों की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रहा है।

बंगला देश में इस्पात उद्योग का विकास

4403. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश की हाल ही में यात्रा करने वाले भारतीय अध्ययन दल के निष्कर्षों और अवलोकनों के प्रकाश में बंगला देश में इस्पात उद्योग का विकास करने का कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें और इस दिशा में की गई अनुवर्ती कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रात्रय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) इस उद्देश्य से किसी भारतीय अध्ययन दल ने बंगला देश का दौरा नहीं किया है।

फिर भी बंगला देश में औद्योगिक प्रायोजनाएं स्थापित करने के लिए दोनों देशों के बीच दीर्घकालीन सहयोग के संदर्भ में बंगला देश सरकार के प्रतिनिधियों को अन्य बातों के साथ साथ भारत में लोहे और इस्पात के क्षेत्र में विकसित, विशेष ज्ञान तथा भारतीय स्रोतों से सप्लाई किए जा सकने वाले उपस्करों के बारे में बता दिया गया है। इस समय कोई ठोस प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बंगला देश के संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश का पाकिस्तान तथा अमरीका द्वारा विरोध

4404. कुमारी कमला कुमारी : क्या बिदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बंगला-देश के संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश का पाकिस्तान तथा संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा भी विरोध किया जाता है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): पाकिस्तान ने बंगला देश के संयुक्तराष्ट्र में प्रवेश का विरोध किया है। संयुक्त राज्य अमरीका ने बंगला देश के प्रवेश का समर्थन किया है।

भारत में बंगलादेश के शरणार्थी

4406. कुमारी कमला कुमारी :

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश के उन शरणार्थियों की कुल संख्या कितनी है जो अभी भी भारत में है ; और

(ख) वे कब तक बंगलादेश वापस चले जायेंगे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) लगभग 540 व्यक्तियों, जिन्हें यथा संभव समय में उनके देश वापस भेज दिया जायगा, को छोड़कर सभी शिविर शरणार्थी बंगला देश लौट चुके हैं।

जहां तक गैर-शिविर शरणार्थियों का, अर्थात् जो अपने मित्रों एवं सम्बन्धियों के साथ रह रहे थे, संबंध है उनमें से भी अधिकांश अपने आप बंगला देश लौट चुके हैं। इक्के दुक्के मामलों का जब कभी पता चलता है, उन्हें विदेशी व्यक्ति अधिनियम, 1946 में की गई व्यवस्था के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निपटाया जाता है।

Location of phosphorite Mineral in Udaipur District by Geological Survey of India.

4407. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Steel & Mines** be pleased to state :

(a) whether according to a report submitted by the Geological Survey of India, huge

deposits of Phosphorite mineral are available in Matoon Kanpur area of Udaipur District and Guda area of Karbadia in Rajasthan;

(b) whether Government have any scheme to exploit this mineral; and

(c) if so, the particulars thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Yes, Sir. As a result of exploration by drilling carried out by the Geological Survey of India, phosphorite reserves of the order of 5.36 million tonnes with 20 to 30 percent P2O5 in Maton area, 3 million tonnes with 12 to 13 percent P2O5 in Kanpur area 0.56 million tonnes with 22 to 25 percent P2O2 in Karbaria-ka-Gurhc blocks have been estimated.

(b) & (c) The exploration work at Maton area has been completed and the deposit has been handed over to the Hindustan Zinc Limited for exploitation.

Labourers Rendered jobless due to Ban on Loading Gypsum from Nagpur. Rajasthan.

4408. **Shri Dhan Shah Pradhan :**
Shri Lalji Bhai :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the State Government have banned loading of gypsum from Nagpur, Rajasthan area for Sindri factory, as a result of which thousands of labourers have been rendered jobless; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R.K. Khadilkar): (a) and (b) Information is being collected from the State Government.

कनाडा, अमरीका, पश्चिम जर्मनी तथा फ्रांस में भारतीय मिशनों में कर्मचारियों की संख्या

4409. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कनाडा, अमरीका, पश्चिम जर्मनी तथा फ्रांस में भारतीय मिशनों में कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : संलग्न विवरण में अपेक्षित सूचना दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी-4026/72]

सर्दी के महीनों में कोयले की मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिए कोयले का भण्डार बनाना

4410. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सर्दियों के महीनों में कोयले के मूल्य मनमाने ढंग से बढ़ जाते हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार रेलवे माल डिब्बों सम्बन्धी स्थिति के सुधारने पर विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय स्थान पर कोयले के भण्डार बनाने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) कोयले की कीमत जो नियंत्रित नहीं है समग्रतः आपूर्ति और माँग पर निर्भर रहती है। सर्दियों के दौरान कोयले की

माँग में वृद्धि होती है । इन उपभोक्ता केन्द्रों पर परिवहन की उपलब्धता के अनुसार कीमत में परिवर्तन होने की सभावना है । तथापि, सर्दियों के दौरान कोयले की कीमत में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है ।

(ख) जी, हां । जहाँ जहां राज्य सरकारों से इसके लिए मांग की जाती है ।

तीन नये इस्पात संयंत्रों के लिए विदेशी सहायता

4411. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तीन नये संयंत्रों की स्थापना के लिए विदेशी सहायता प्राप्त कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) और (ख) जबकि तीन नये इस्पात कारखानों के इन्जीनियरी कार्य भारतीय परामर्शदाताओं द्वारा किये जायेंगे आवश्यक संयंत्रों तथा उपस्करों का आयात करने के प्रश्न पर यथा समय विचार किया जाएगा जिससे ये प्रायोजनाएं कार्यक्रम के अनुसार चालू की जा सकें ।

कपड़ा मिलों में 20 वर्ष की सेवा के बाद श्रमिकों को भविष्य निधि लौटाना

4412. श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा मिल श्रमिकों की आज तक भविष्य निधि की कुल कितनी राशि जमा है;

(ख) क्या सरकार का 20 वर्ष से भी अधिक समय से कपड़ा मिलों में काम कर रहे श्रमिकों को भविष्य निधि लौटाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :-

(क) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों, जो कपड़ा उद्योग में लगे हुए हैं, में कार्य करने वाले अंशदायियों के संबंध में भविष्य निधि संचयन की कुल राशि की पृथक सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि, अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले सभी उद्योगों / वर्गों के प्रतिष्ठानों के भविष्य निधि के संचयनों की कुल राशि 30-6-1972 को 2248.34 करोड़ रुपये थी ।

(ख) और (ग) प्रस्ताव को कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की 1-11-72 को हुई 56वीं बैठक के समक्ष रखा गया था परन्तु बोर्ड ने इस को स्वीकार नहीं किया था ।

पत्थर के कोयले के मूल्य में वृद्धि का मध्य प्रदेश में 'काटन' मिल उद्योग पर प्रभाव

4413. श्री रण बहादुर सिंह : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या मध्य प्रदेश (विदर्भ माइनिंग एसोसियेट नागपुर) द्वारा विशेष प्रकार के पत्थर के कोयले के मूल्यों में वृद्धि की गई है;

(ख) क्या इससे 'काटन' मिल उद्योग पर प्रतिकूल असर पड़ेगा क्योंकि मूल्य पहले ही निरन्तर बढ़ रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) यह सूचना मिली है कि कोयला खनन संघों की संयुक्त कार्यकारी समिति की सिफारिश पर 1 सितम्बर 1972 से मध्य प्रदेश और दूरस्थ क्षेत्रों में अकोककारी कोयले की समस्त श्रेणियों की कीमतें 3 रुपए प्रति टन के हिसाब से वर्धित की गई हैं ।

(ख) और (ग) काटन मिल उद्योग की उत्पादन लागत पर कीमत-वृद्धि का कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

Foreign Minister's visit to African and West Asian Countries

*** 4414. Shri Madhukar** : will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether after the Simla Summit talks, he had toured some African and West Asian countries;

(b) whether Some misunderstandings over the question of Indo-Pak relations are still there in many of these countries even after his tour; and

(c) the success achieved by him in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :

(a) Yes, Sir. The Minister of External Affairs paid visits to the West African States of Senegal, Sierra Leone, Guinea. Liberia and Nigeria and the Arab Republic of Egypt, last July.

(b) and (c) These visits provided an opportunity for the exchange of views on a number of issues of mutual interest including the situation on our sub-continent. The Simla Agreement and Government's efforts for a durable peace were welcomed and appreciated.

Chinese activities in Indian Ocean with Cooperation of Ceylon

***4415. Shri Madhukar** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) Whether China has recently formulated a scheme to increase her activities in the Indian Ocean and Ceylon is also cooperating with China in this regard;

(b) Whether Government have any information in this regard;

(c) Whether the increasing power of China in Indian Ocean will not adversely affect the interests of India; and

(d) whether any action has been taken by Government to check it and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry Of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No such scheme has come to the notice of Government.

(b) to (d). Government hav seen reports of Chinese assistance to countries in the Indian Ocean area through the provision of patrol boats, development of merchant shipping etc. The Government's view that the Indian Ocean area should be an area of peace, free from Great Power presence, rivalries and tensions is well known. For the achievement of these objectives, india subscribed to the Lusaka Declaration and was also one of the co-sponsors of the UN General Assembly Resolution No. 2832 (XXVI) of December, 1971 which was proposed by Sri Lanka, calling on all powers to maintain the Indian Ocean area as a Zone of Peace,

Utilization of U.k. assistance for Military preparation in Pakistan

***4416. Shri Madhukar** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) Whether the assistance receiv d by Pakistan from the United Nations Organisation was utilised for her military preparations;

(b) Whether India has not sent any Protest Note to the United Nations Organisation in this regard; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singe):

(a) to (c) :During the Bangladesh crisis, Government had received reports to this effect. The UN itself was reported to have filed a formal protest in this matter with the Government of Pakistan.

मैंगनीज, बाक्साइड, जिप्सम और वेराइट्स खानों में श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी

4417. **श्री राम नारायण शर्मा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेंगनीज, बाक्साइड,जिप्सम और वैराइट्स खानों में कार्य कर रहे श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी निर्धारित किये जाने के लिए अधिसूचना जारी किये जाने के मामले में क्या हुआ ; और

(ख) क्या श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने उक्त उद्योगों के लिए न्यूनतम मजूरी निर्धारिये किये जाने के लिए सर्वसम्मत सिफारिशें प्रस्तुत की हैं; यदि हां, तो मंत्रालय के समक्ष उक्त अधिसूचना जारी करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने मेंगनीज, जिप्सम, वाराईट्स और बाक्साईट खानों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों की पुनरीक्षा करने हेतु न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 5 (1) (क) के अन्तर्गत एक समिति नियुक्त की थी । समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जो सर्व सम्मत नहीं थी । इसके अति-

रिक्त, समिति में अन्यों के साथ साथ दो सरकारी पदाधिकारी स्वतंत्र सदस्यों' के रूप में शामिल थे। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के हाल ही के एक निर्णय के अनुसार वे स्वतत्र सदस्यों के रूप में नहीं माने जा सकते। अतः समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं की गई है। तो भी, सरकार ने इन खानों के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों की पुनरीक्षा करने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 5 (1) (ख) के अधीन 17 नवम्बर, 1972 को प्रस्ताव अधिसूचित किए हैं जिनके द्वारा आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गये हैं।

भारत हैवी प्लेटस एण्ड वैसल्स लिमिटेड, आन्ध्र प्रदेश को कर्मचारी राज्य-बीमा अधिनियम 1948 के उपबन्धों से छूट देना

4418. श्री आर०एन० शर्मा : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्ज लिमिटेड, विशाखापत्तनम, आन्ध्र प्रदेश के मान्यताप्राप्त संघ ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि उनके कारखाने को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबन्धों से छूट दी जाय।

(ख) क्या संघ की ओर से एक प्रतिनिधि मण्डल इस संबंध में हाल में उन से मिला था; और

(ग) यदि हाँ, तो अभ्यावेदन में क्या लिखा है और इस पर सरकार का क्या मत है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर०के०खाडिलकर) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) कर्मचारियों ने अभिवेदन किया है कि उन को दिए जाने वाले लाभ का या तो समरूप है या कुछ मामलों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाले लाभों से अधिकतर हैं और उस हैसियत से कारखाने को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबन्धों से छूट दी जाय। कारखाने को छूट देने का प्रश्न विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश स्थित बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना में मजदूर संघ की गतिविधियों में बाधा डालना

4419. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मजदूरों की ओर से इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि मध्य प्रदेश में बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना के प्रबन्धकर्ता राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड मजदूर संघ की सामान्य गतिविधियों में मजदूरों को तंग करके तथा उनमें प्रादेशिक भावनाएं भड़का करके बाधा डालने की नीति अपना रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम द्वारा अपनाई जाने वाली इस अहितकर प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाजखां) : (क) कर्मकारों के एक वर्ग से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) मामले का अन्वेषण किया जा रहा है ।

बीड़ी और सिगार अधिनियम के उपबन्धों का राज्यों में क्रियान्वियन

4420. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारों ने बीड़ी और सिगार अधिनियम के सब उपबन्धों को अपने राज्यों में अभी तक लागू नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो जिन राज्यों ने उक्त अधिनियम को लागू करने हेतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है, उनके नाम क्या हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) बीड़ी और सिगार श्रमिक (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित किया जाता है। उसके अन्तर्गत नियम निर्मित करने और अधिनियम की कार्यान्विति करने हेतु एक तंत्र स्थापित करने के बाद, सम्बन्धित राज्य सरकारों ने अधिनियम को लागू किया है । तथापि, बीड़ी प्रतिष्ठानों के मालिकों/एसोसिएशनों ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में अधिनियम के अधिकार को चुनौती देने वाली अनेक याचिकाएं दर्ज की हैं और इन मामलों में अधिनियम के प्रवर्तन में स्थगन स्वीकृत किया गया है । कुछ उच्च न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ अपीलें सर्वोच्च न्यायालय में भी लंबित पड़ी हैं । इस लिए, राज्य सरकारें अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पाई हैं ।

Non-Deposit of Arrears of E. P. F. By Companies in Madhya Pradesh

4421. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state the names of the companies in Madhya Pradesh which have yet to deposit arrears of Provident Fund of their employees and the amount thereof in each case ?

The Minister of Labour and RehabiLitation (Shri R. K. Khadilker) : The Provident Fund Authorities have intimated that the information regarding the names of all defaulting companies in Madhya Pradesh is not readily available. However, the names of nine un-exempted companies which defaulted in payment of provident fund contributions of rupees one lakh and above as on the 30th June, 1972 together with the amount in default are given below:—

S. No.	Names of the un-exempted companies which are in arrears of provtdent fund contributions amounting to rupees one lakh and above.	Approximate amount of provident fund contributions in default as on 30.6. 1972. (Amount in lakhs of rupees)
1.	M/S. Indore Malwa United Mills Limited, Indore.	83.91
2.	M/S. Kalyanmal Mills Ltd., Indore.	26.69
3.	M/S. Swadeshi Cotton & Flour Mills Limited, Indore.	43.27
4.	M/S. Hira Mills Limited, Ujjain.	40.95
5.	M/S. Bengal Nagpur Cotton Milis Limited. Rajnandgaon.	3.04

6.	M/S. New Bhopal Textile Ltd., Bhopal.	17.17
7.	M/S. Himmat Steel Foundry Pvt. Limited Raipur.	1.74
8.	M/S. Binod Steel Pvt. Limited Indore.	1.64
9.	M/S. Shree Sajjan Mills Limited, Ratlam.	1.97

Geologcial Survey of Madhya Pradesh

4422. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Steel & Mines** be pleased to state :

(a) Whether the geological survey of all the parts of Madhya Pradesh where minerals are available has been carried out; and

(b) if so, the names of the minerals which are available there in abundance ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) About 80% of the total area of the State of Madhya Pradesh hos been covered by systematic geological mapping by the Geological Survey of India and the geological and mineral map of the already been published.

(b) As a result of the investigations carried out by the Geological Survey of India, the reserves of the major minerals located in the State are 52.98 million tonnes of Bauxite. 4.55 million tonnes of Manganese ore, about 2055 million tonnes of iron ore, 15,000 million tonnes of coal. 40 million tonnes of copper ore and large reserves of limestone and dolomite.

Survey of East Nimar District region for mining purposes

4423. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the survey carried out in Chandgarh iron area of Harsood Tehsil in East Nimar District (Madhya Pradesh) has revealed the possibilities of the said area being developed as a mine;

(b) if so, whether any action is being taken in this direction; and

(c) the estimated iron deposits in the said area ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (c). The investigation for iron ore deposits in Chandgarh area of Khandwa district are being carried out by the State Government of Madhya Pradesh. The deposits in this area are reported to be of low grade and may be used only for pig iron in the local cupolas, if established.

भारत अमरीकी सम्बन्ध

4425. श्री पीलू मोदी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 नवम्बर, 1972 के 'दि मदरलैंड' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि श्री वी० के० नेहरू को, यह पता लगाने के लिए अमरीका भेजा गया है कि क्या दोनों देश एक दूसरे पर छींटाकशी बन्द करके और आपसी सम्बन्ध सुधारने की दिशा में फिर बातचीत कर सकते हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां । लेकिन श्री नेहरू की यात्रा का उद्देश्य संयुक्त राज्य निवेश समिति की बैठक में भाग लेना, जिसके कि वह सदस्य हैं,

और नाटर डेम और मिनिसोटा विश्वविद्यालयों में कुछ भाषण देने के कार्यक्रम को पूरा करना था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक का विरोध

4426. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**

श्री बनमाली पटनायक :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा हिन्द मजदूर सभा ने प्रस्तावित औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किस आधार पर विरोध किया है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) सरकार ने औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में अभी कोई विधेयक पेश नहीं किया।

सशस्त्र सेना का सुव्यवस्थित किया जाना

4427. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सशस्त्र सेना को सुव्यवस्थित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) प्राप्त किये गये अनुभव के आधार पर सशस्त्र सेनाओं के संगठन का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है और उसकी प्रभावात्मकता में वृद्धि के लिए आवश्यक परिवर्तन किये जाते हैं।

(ख) जहां तक थल सेना का सम्बन्ध है, भूतपूर्व पश्चिमी कमाँड को दो भागों, नामत: पश्चिमी कमांड और उत्तरी कमांड में, बांट दिया गया है, जिससे इन क्षेत्रों में विरचनाओं पर कमान और नियंत्रण को सरल और कारगर तथा सुदृढ़ बनाया जो पिछले युद्ध में प्राप्त किए गए अनुभव के प्रकाश में पश्चिमी वायु कमांड में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं।

उद्योगों/कारखानों में कार्मिक संघों को मान्यता देने के सम्बन्ध में शिकायतें

4428. **श्री राम भगत पस्वान** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सरकारी तथा गैर-सरकारी उद्योगों/कारखानों में कार्मिक संघों को मान्यता देने के सम्बन्ध में उन उद्योगों/कारखानों के प्रबन्धकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो गैर सरकारी उद्योगों में कार्मिक संघों को मान्यता देने की कसोटी क्या है?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) यूनियनों की मान्यता, ऐसे राज्यों को छोड़कर जहाँ इस प्रयोजन के लिए विधान विद्यमान है, उद्योग सम्बन्धी अनुशासन संहिता से संलग्न कसौटी द्वारा प्रशासित होती है। संहिता के अन्तर्गत यूनियनों की मान्यता के संबंध में की गई सिफारिशों के बारे में प्रबन्ध मण्डलों द्वारा विलम्ब किये जाने और क्रियान्विति न किये जाने के कुछ मामले हुए हैं।

राज्यों में श्रम समस्या के कारण बन्द हुए उद्योग

4429. श्री राम भगत पस्वान : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम समस्या के कारण विभिन्न राज्यों में 1972 में कई उद्योग बन्द हो गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक राज्य में कितने-कितने उद्योग बन्द हुए तथा उत्पादन में कुल कितनी हानि हुई ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

बोकारो इस्पात कारखाने को होल्डिंग कम्पनी के अधीन रखने में रूस का विरोध

4430. श्री राज राजसिंह देव : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 27 सितम्बर, 1972 के "दि मदरलैण्ड" में प्रकाशित इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि रूस ने बोकारो इस्पात कारखाने को इस्पात उद्योग के लिए प्रस्तावित होल्डिंग कम्पनी के अधीन रखने सम्बन्धी भारत के प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(ख) क्या सरकार ने इस समाचार का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) जी, हां।

(ख) इस रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है वह सही नहीं है।

केरल में रोजगार कार्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों तथा स्नातकोत्तर अध्यापकों द्वारा नाम दर्ज कराना

4431. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **श्रम और पनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में रोजकार कार्यालयों में कितने प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों तथा स्नातकोत्तर अध्यापकों ने नाम दर्ज कराए हैं,

(ख) कितने उम्मीदवारों ने तीन वर्ष से पहले नाम दर्ज कराये थे तथा उन्हें रोजगार देने में अभी कितना समय और लगेगा; और

(ग) इन सभी उम्मीदवारों को रोजगार दिलाने के लिये क्या ठोस कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) केरल की राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

केरल में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए सामग्री की उपलब्धता

4432. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एक बड़ा इस्पात सयंत्र स्थापित किये जाने के लिये उस राज्य के बहुत से भागों में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है; और

(ख) क्या सरकार वहाँ संयंत्र की स्थापना के लिए कोई योजना तैयार किये जाने के प्रश्न पर बिचार करेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) और (ख) जैसा कि लोक सभा में तारीख 30-11-1972 को तारांकित प्रश्न संख्या 257 के उत्तर में बताया गया है भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा की गई जांच के फलस्वरूप केरल के कोजीकोड जिले में चेरुप्पा, इलियातिमाला, नामिन्दा तथा नदुवैलूर के चार भण्डारों में 31 प्रतिशत से 42 प्रतिशत लोहे के अंश वाले आक्सीडाइजड तथा नान आक्सीडाइजड लोह खनिज के लगभग 40 लाख टन के भण्डार होने का अनुमान लगाया है। समीपवर्ती अलमपारा में भंडार की खोज का कार्य जारी है तथा इसके 1972-73 के फील्ड सीजन के अन्त तक पूरा होने की सम्भावना है। अलमपारा भंडार की खोज पूरी हो जाने तथा सरकार को इसकी रिपोर्ट मिल जाने के पश्चात ही इन भंडारो को निकालने के बारे में विचार किया जा सकता है।

केरल में श्रमजीवियों की जनसंख्या

4433. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में उन श्रम जीवियों की जनसंख्या कितनी है जो केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत सरकारी सेवा और अर्ध-सरकारी सेवा में हैं; और

(ख) रोजगार कार्यालयों में कुल कितने बेरोजगार व्यक्तियों ने अपने नाम दर्ज कराए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 31 अक्तूबर, 1972 को केरल में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वालों (जो सभी अनिवार्यतः नियोजित नहीं है) की संख्या 4,34,165 थी।

विवरण

(क) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम द्वारा एकत्र की गई सूचना के अनुसार, केरल में सरकारी सेवा तथा अर्ध-सरकारी सेवा (केन्द्रीय और राज्य) में नियोजित व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार थी :—

क्षेत्र	31 मार्च, 1972 को नियोजित व्यक्तियों की संख्या
केन्द्रीय सरकार	48,465
राज्य सरकार	1,18,031
अर्ध-सरकारी* (केन्द्रीय और राज्य)	81,074
स्थानीय निकाय	19,538
योग :	3,37,108

*अर्ध-सरकारी प्रतिष्ठानों में दोनों केन्द्रीय अर्ध-सरकारी तथा राज्य अर्ध-सरकारी प्रतिष्ठान शामिल हैं ।

केरल में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल

4434. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में इस समय कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कितने अस्पताल हैं;

(ख) उन में से कितने अस्पताल किराये के भवनों में चलाये जा रहे हैं और इन भवनों के मालिकों को कुल कितना मासिक किराया दिया जाता है; और

(ग) आगामी तीन वर्षों में राज्य में कितने अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना दी है :—

(क) सात ।

(ख) कुछ नहीं ।

(ग) चार ।

उद्योगों में हड़ताल

4435. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के दौरान देश के प्रत्येक राज्य में कुल कितनी औद्योगिक हड़तालें हुई; और

(ख) उनमें कितने मजदूरों ने भाग लिया ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) जनवरी से सितम्बर, 1972 के दौरान राज्यवार हुई हड़तालों की संख्या और उनसे प्रभावित हुए श्रमिकों की संख्या के सम्बन्ध में संलग्न विवरण में उपलब्ध अनंतिम सूचना दर्शाई गई है।

विवरण

राज्य	हड़तालों की संख्या (अं०)	प्रभावित श्रमिकों की संख्या (अं०)
(1)	(2)	(3)
आन्ध्र प्रदेश	74	24,671
असम	13	6.299
बिहार	181	56,867
गुजरात	88	22,984
हरियाणा	22	3,767
हिमाचल प्रदेश	1	103
जम्मू और कश्मीर	3	1,351
केरल	124	78,109
मध्य प्रदेश	87	51,746
महाराष्ट्र	545	186,432
मनीपुर	—	—
मैसूर	59	26,616
उड़ीसा	7	4,010
पंजाब	6	1,458
राजस्थान	53	22,130
तमिलनाडु	187	167,589
त्रिपुरा	5	2,242
उत्तर प्रदेश	155	31,979
पश्चिम बंगाल	167	93,617
अण्डमान और नीकोबार द्वीप समूह	1	78
चण्डीगढ़	—	—
दिल्ली	3	123
गोआ	26	8,703

(1)	(2)	(3)
पाँडिचेरी	—	—

(अं०)=अनंतिम

कार्मिक संघों की संयुक्त परिषद द्वारा संयुक्त कार्यवाही योजना बनाया जाना

4436. श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दस संगठनों ने कार्मिक संघों के संबंध में संयुक्त कार्यवाही करने के लिए योजना बनाने के लिये कार्मिक संघों की एक संयुक्त परिषद् बनाने का निर्णय किया है क्योंकि वे राष्ट्रीय कार्मिक संघ परिषद् के कार्यकरण से संतुष्ट नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके असंतोष के क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) जो कुछ समाचार-पत्रों में निकला है, उसके अतिरिक्त सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) यह अनिवार्य रूप से एक ऐसा मामला है, जिससे स्वयं ट्रेड यूनियन संगठन सम्बन्धित हैं।

इस्पात और खान मंत्रालय का कार्यकरण

4437. श्री पी०वेंकटासुब्बया : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात और खान मंत्रालय के कार्यकरण की कोई समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या निष्कर्ष निकले तथा इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किए गए; और

(ग) इस मंत्रालय के कार्यकरण में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) से (ग) संसद की प्राक्कलन समिति ने वर्ष 1971-72 में लोहे और इस्पात तथा फैरो-एलाय के आयोजन, विकास, उत्पादन, वितरण आदि के बारे में इस्पात तथा खान मंत्रालय (इस्पात विभाग) के कार्यकरण की जाँच की थी। समिति की मूल्यवान सिफारिशों पर विचार किया गया था तथा उन पर उपयुक्त कार्यवाही की गई थी।

इस मंत्रालय का सबसे महत्वपूर्ण काम सरकारी क्षेत्र के उन बहुत से उपक्रमों से संबंधित है जो इसके अधीन है। इन उपक्रमों के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए समय समय पर टास्कफोर्स की बैठकें की जाती है। इन उपक्रमों के कार्यकरण के बारे मे रिपोर्टें नियमित रूप से संसद को दी गई हैं। भारी इन्जीनियरी एककों के कार्यकरण तथा इस्पात के उत्पादन और उपलब्धि में विशेष रूप से सुधार हुआ है :

पंजाब से कनाडा को गए व्यक्ति

4438. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब से प्रति मास औसतन कितने व्यक्ति कनाडा में जाकर बसने की अनुमति मांगते हैं;

(ख) अगस्त से अक्तूबर, 1972 तक प्रत्येक महीने में कितने व्यक्तियों ने विदेश चले जाने की अनुमति मांगी है और इस संख्या में अनावश्यक वृद्धि होने के क्या कारण है; और

(ग) क्या कई यात्रा एजेंसियां पंजाब के अबोध किसानों का शोषण कर रही है; और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जनवरी से जुलाई, 1972 के बीच पंजाब के जिन लोगों ने कनाडा जाने के लिए पासपोर्ट के लिये आवेदन दिया उनकी प्रति माह औसत संख्या—1290 थी।

कनाडा जाने के लिए पंजाब के जिन लोगों ने अगस्त से अक्तूबर, 1972 के बीच पासपोर्ट के लिए आवेदन दिया था, उनकी संख्या इस प्रकार है :—

अगस्त	—	3,446
सितम्बर	—	5,736
अक्तूबर	—	3,810

लेकिन प्राय: इन सभी मामलों में आवेदकों ने अपने आवेदन पत्रों में कनाडा के अतिरिक्त और कई दशों का नाम भी लिखा था तथा यात्रा का उद्देश्य "सामाजिक यात्रा" आदि बताया था, आप्रवासन नहीं।

अगस्त से अक्टूबर, 1972 के बीच कनाडा जाने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या में एकाएक वृद्धि का कारण स्पष्टत: यह था कि आवेदकों को यह अशंका हो गई थी कि 30 अक्टूबर, 1972 को होने वाले चुनाव के बाद कनाडा में प्रवेश पर और अधिक प्रतिबध लगा दिए जाएगे।

ऐसी रिपोर्टें मिली है कि पंजाब और हरियाणा में यात्रा एजेन्ट वहाँ के भोले-भाले लोगों को लाभप्रद नौकरियों का तथा ऐशो-आराम की जिन्दगी का वायदा करके उनपर कनाडा चले जाने के लिए जोर डालते रहें है। सरकार ने इन रिपोर्टों पर यथोचित ध्यान दिया है तथा इसके साथ ही साथ सम्बद्ध राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है और उनसे कहा है कि दूसरी बातों के अलावा वे जनता को इस ओर से सावधान भी करें कि इन बेईमान यात्रा-एजेन्टों के षड़यन्त्र में फंसने से किन-किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त पासपोर्ट जारी करने वाले सभी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वे कनाडा जाने के इच्छुक लोगों के आवेदन पत्रों पर और अधिक निगरानी बरतें तथा जहां भी आवश्यक हो, वहां आवेदक की सत्यता का पता लगाने के लिए जैसी भी अतिरिक्त सूचना उचित समझें वह मांग लें।

ब्रिटिश पासपोर्ट धारियों का युगांडा से निष्कासित होने पर भारत में आना

4439. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि युगांडा से निष्कासित होने पर भारत में ऐसे कितने व्यक्ति आए जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : जी, लगभग 3000 ।

विदेशों में रह रहे भारतीयों की समस्याएं

4440. श्री वरके जार्ज : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों में रह रहे भारतीयों की समस्याओं से परिचित है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) विदेश स्थित भारतीय राष्ट्रिकों तथा भारत मूल के व्यक्तियों की समस्याओं की भारत सरकार हमेशा जानकारी रखती है और विदेश स्थित भारतीय राष्ट्रिकों को कोंसली तथा अन्य प्रकार की सुविधाऐं प्रदान करती है ।

अपंग जवानों तथा शहीद सैनिकों के परिवारों को पुनः बसाने की योजना पर खर्च की गई धनराशि

4441. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले भारत-पाकिस्तान युद्ध में अपंग हुए जवानों और शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को पुनः बसाने की योजनाओं को क्रियान्वित करने में अब तक कितनी धन राशि खर्च की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों और अपंग हुए जवानों अथवा उनके परिवारों की सहायता के लिए निम्नलिखित उपाय किये गए हैं :—

(1) उदार पेन्शन
(2) बच्चों की मुफ्त शिक्षा
(3) रोगजार में तरजीह
(4) भूमि और आवास का मुफ्त आवंटन

पेन्शन, शिक्षा, भूमि और आवास पर होने वाला व्यय एक लगातार होने वाला व्यय है जिसे केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने स्वीकार कर लिया है और किसी एक निर्धारित तारीख तक होने वाले व्यय को बताना सम्भव नहीं है ।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय रक्षा निधि द्वारा दिए गए अनुदान में से केन्द्रीय सरकार ने 5 करोड़ रुपये की एक निधि बनाई है जिससे व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार वित्तीय सहायता दी जा सके ।

Recognition to Employees' Union in Government of India Presses

4442. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision that an employees' union in each of the Government of India Presses will be accorded recognition on the basis of its membership; and

(b) if so, the reasons for which the National Press Employees' Union, Government of

India Press, Minto Road, New Delhi has not been recognised inspite of the fact that the number of its members is 700 ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R K. Khadilkar) : (a) and (b) The concerned administrative Ministry, which in this case is the Ministry of Works and Housing has taken a decision to recognise unions in each of the printing presses, under its control, on the basis of majority membership. The claim for recognition of the National Press Employees Union, in the Government of India Press, Minto Road, New Delhi is at present under the consideration of that Ministry.

सरकारी सेवा निवृत्त अधिकारियों/राजनीतिक सेवा दलों के समर्थकों को राजनयिक कार्य सौंपना

4443. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने-कितने सेवा निवृत्त सरकारी अधिकारियों तथा राजनीतिक दलों के सदस्यों अथवा समर्थकों को विदेशों में राजनयिक कार्य सौंपे गए;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम तथा उनका ब्यौरा क्या है जिन्हें यह कार्य सौंपे गए हैं; और

(ग) प्रत्येक को क्या कार्य सौंपे गए ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों में, विदेशों में जिन सेवा निवृत्त सरकारी अधिकारियों और जनता के प्रतिनिधियों की राजनयिक मिशन प्रमुख के रूप में नियुक्तियां की गई, उनकी संख्या क्रमश: 10 और 14 है।

(ख) और (ग) उन व्यक्तियों के नाम और विवरण, उन्हें पिछले तीन वर्षों में सौंपे गए कर्त्तव्य के ब्यौरे सहित, परिशिष्ट I और II में दिए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०-4027/72]

खेतड़ी परियोजना-हिन्दुस्तान कापर में 30 करोड़ रुपये की वार्षिक हानि

4444. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 8 नवम्बर, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "खेतड़ी परियोजना-हिन्दुस्तान कापर में 30 करोड़ रुपये की कार्मिक हानि की सम्भावना" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) इस धारणा के लिए कि खेतड़ी ताम्र प्रायोजना को 30 करोड़ रुपए की वार्षिक हानि होगी, कोई आधार नहीं है।

एलाय इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर द्वारा औजार निर्माताओं को इस्पात की अपर्याप्त सप्लाई

4445. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, दुर्गापुर के मिश्र इस्पात संयंत्र ने 1971-72 में केवल 90 टन हाई स्पीड स्टील का उत्पादन किया है जबकि प्रतिवर्ष 1,800 टन इस्पात की मांग का अनुमान है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) वर्ष 1971-72 की अवधि में दुर्गापुर के मिश्रित इस्पात कारखाने में 3·2 टन हाई स्पीड स्टील का उत्पादन हुआ। यद्यपि केवल हाई स्पीड स्टील की वर्तमान मांग का कोई सही अनुमान नहीं लगाया गया है। तथापि इसके लगभग 1800 टन होने का अनुमान है।

(ख) दुर्गापुर मिश्र-इस्पात कारखाना सभी किस्म के मिश्रित तथा विशेष इस्पात, जिसमें हाई स्पीड स्टील भी शामिल है, का उत्पादन बढ़ाने के हर संभव प्रयत्न कर रहा है।

पंजाब खोर ग्राम (दिल्ली) में अधिग्रहीत निष्क्रान्त सम्पत्ति के स्थायी आवंटन की सनदें जारी करना

4447. **श्री दलीप सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम पाकिस्तान के 40 विस्थापित व्यक्तियों को उनके द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति के मुआवजे में दिल्ली के पंजाब खोर ग्राम में प्रत्येक को 1949 में 10-10 एकड़ कृषि योग्य भूमि आवंटित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त व्यक्तियों ने उक्त भूमि के मूल्य की वह धनराशि जमा करा दी है जो उनके दावों से अधिक थी तथा उनके स्वीकृत दावों में इसका समायोजन कर दिया गया है;

(ग) क्या उक्त अलाटियों को स्थायी आवंटन की सनदें जारी कर दी गई हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उक्त अलाटियों को आवंटित की गई भूमि में से 700 बीघा भूमि एक अन्य व्यक्ति को पुनः आवंटित कर दी गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं जबकि विस्थापित अलाटी 1949 से इस भूमि में काश्त करते आ रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हाँ। परन्तु कुल क्षेत्र केवल 766 बीघे था और इसे 39 विस्थापित व्यक्तियों को एलाट कर दिया गया था।

(ख) जी, हाँ।

(ग) जी, नहीं, चूंकि मामला अभी विचाराधीन है।

(घ) जी, नहीं।

खनन इंजीनियरों के प्रतिनिधि मण्डल का विदेश दौरा

4448. **श्री राम नारायण शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में खनन इंजीनियरों के कितने प्रतिनिधि मन्डलों ने किस-किस देश का दौरा किया तथा उन पर सरकारी तथा गैर-सरकारी खाते से कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) क्या इस से खनन उद्योग को कोई लाभ हुआ यदि हाँ, तो कितना ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी ।

पीटर सागर की किताब 'मास्को ज हैण्ड इन इंण्डिया" पर प्रतिबन्ध लगाना

4449 श्री समर गुह : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीटर सागर की किताब "मास्को ज हैण्ड इन इण्डिया" पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है;

(ख) क्या यह किताब भारत में लगभग पांच वर्ष से बिक रही थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस किताब पर प्रतिबन्ध लगाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) पुस्तक पर कोई आम पाबन्दी नहीं है । लेकिन, चुंगी अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत पुस्तक के आयात और निर्यात पर पाबन्दी लगा दी गई है ।

(ग) सरकार इस विषय पर कुछ समय से विचार कर रही है । चूंकि यह महसूस किया गया था कि पुस्तक में जो कुछ लिखा है, उससे सोवियत संघ के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों पर बुरा असर पड़ने की संभावना है, इस लिए उस पुस्तक के आयात और निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाते हुए उपयुक्त निर्णय अंतत: लिया गया था ।

नई दिल्ली में नांगल राया ग्राम की भूमि के अर्जन के आदेश को रद्द करने के सम्बन्ध में 1 सितम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4378 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : 1 सितम्बर, 972 को उत्तर के लिए रखे गए आतारांकित प्रश्न संख्या 4378 में श्रीमती सावित्री श्याम ने अन्य बातों के साथ साथ यह पूछा था कि क्या नई दिल्ली में नाँगल राया ग्राम की 28.22 एकड़ भूमि 1942 से रक्षा मन्त्रालय के कब्जे में है, और सरकार भू-स्वामियों को किराए के रूप में मुआवजा किस समय तक दे देगी ।

2 प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि दिल्ली के नांगल राया गाँव में स्थित 9.83 एकड़ भूमि क्षेत्र वर्ष 1943 में अधिग्रहण किया गया था और वह अभी तक कब्जे में हैं । दूसरा 18.39 एकड़ क्षेत्र अंशत: नांगल राया गांव में और अंशत: तिहाड़ गांव में है, तथा वह रक्षा मन्त्रालय के पास किराये पर है । किराये के रूप में मुआवजा की अदायगी के सम्बन्ध में उत्तर में यह बताया गया था कि भूस्वामियों को 31 दिसम्बर 1970 तक का किराया दे दिया गया था । 31-12-1971 को समाप्त अवधि के लिए किराया सितम्बर 1972 के अन्त तक दिए

जाने की सम्भावना थी । 31-12-1972 को समाप्त अवधि के लिए किराया 31-12-1972 अथवा उसके पश्चात देय होगा और वह दिल्ली के उपायुक्त के परामर्श से निर्धारित किया जा रहा है ।

3 उपयुक्त सूचना रक्षा मन्त्रालय के कब्जे में किराये पर भूमि से सम्बन्धित थी । अधिग्रहित भूमि के लिये मुआवजे की अदायगी के बारे में स्थिति जो मुख्य उत्तर में भूल से छूट गई थी उत्तरवर्ती पैरा में दी गई है ।

4 9'83 एकड़ अधिग्रहित भूमि के लिए 10-6-1946 तक का मुआवजा दे दिया गया था । 11-6-1946 से 11-6-1955 तक की अवधि का किराया भूस्वामियों कों देने की पेशकश की गई थी परन्तु उन्होंने वह नहीं लिया । इसलिए वह राशि अब राजस्व खाते में जमा रखी गई है । यदि भूस्वामी लेने के लिए सहमत हों तो अद्यतन मुआवजा तुरन्त उन्हें दे दिया जायेगा ।

5 इस भूल सुधार में देरी वस्तुतः इस कारण से हुई कि जिस उत्तर को सही किया जा रहा है वह 11 सितम्बर 1972 को दिया गया था और उसके पश्चात शीघ्र ही सभा की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई थी । तदनन्तर इसके लिए आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ समय लग गया ।

नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में उत्पादन के बारे में 3-8-72 के अतारांकित प्रश्न संख्या 682 के उत्तर में संशोधन करने वाला विवरण

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज़ खां) :— "प्रश्न के भाग (क) में, लिग्नाइट के बारे में 1970-71 वर्ष के लिए दर्शित 33.10 लाख टन के उत्पादन आंकड़ों को 33.90 लाख टन पढ़े ।"

नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में उत्पादन के सम्बन्ध में 3 अगस्त, 1972 के आतारांकित प्रश्न संख्या 682 के उत्तर में संशोधन करने में हुए विलम्ब के कारण

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज़ खान) : "ठीक किए जाने वाले लिग्नाइट-उत्पादन के आकड़ों में, नैवेली लिग्नाइट निगम की 1970-71 वर्ष के लिए 15वीं वार्षिक रिपोर्ट (अंग्रेजी रूपान्तरों में मुद्रण की गलतियों के कारण असंगति हुई जो पर्याप्त समय के बाद ही ध्यान में आई ।"

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

तमिलनाडु में अभूतपूर्व बाढ़

श्री जी० विश्वनाथन (वांडीवाश) : मैं सिचाई और विद्युत मंत्री का ध्यान निम्नलिखित

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस विषय पर अपना वक्तव्य दें :—

"तमिलनाडु में हाल की अभूतपूर्व बाढ़ जिसके कारण सम्पत्ति को भारी हानि पहुंची है और लगभग एक सौ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।"

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : 6 दिसम्बर को 5 बजे प्रातः एक तीव्र चक्रवातीय तूफान अन्दरूनी तूफानीय शक्ति वाली हवा (118 किलोमीटर प्रति घण्टे और इससे अधिक) के साथ कुडालोर के निकट तमिलनाडु समुद्र-तट से टकराया। समुद्र-तट को पार करने के बाद इसका दवाब कम हो गया और यह प्रायद्वीप को पार कर गया तथा 8 दिसम्बर को मैसूर-केरल समुद्र-तट की ओर अरब सागर में ऊपर उठ गया। चक्रवातीय तूफान के कारण 5 दिसम्बर और 10 दिसम्बर के बीच तमिलनाडु के कई स्थानों में 10 सेंटीमीटर से 36 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा रिकार्ड की गई।

भारी वर्षा और उसके बाद विभिन्न नदियों में आई बाढ़ों ने चिंगालपेट दक्षिण अरकाट, उत्तर अरकाट, तंजावुर, धर्मपुरी और तिरुचिरापल्ली जिलों के क्षेत्रों को प्रभावित किया। सड़क और रेल यातायात भंग हो गया। चिंगलापेट, तंजावुर, दक्षिण अरकाट और सलेम जिलों के बृहत् क्षेत्र जलमग्न हो गये। नदियों और सरिताओं के किनारों पर बसे 100 गांव पानी में डूब गये। सड़कों, पुलों और पुलियों को काफी क्षति पहुँची।

अब तक राज्य सरकार ने जो मूल्यांकन किया है उसके अनुसार 21000 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बड़ी फसल नष्ट हो गई। इक्यावन व्यक्तियों ने चक्रवात और बाढ़ों में अपनी जाने गंवाई। नीलगिरी जिले में भू-स्खलन के कारण दस लोगों के मलबे में दब जाने की आशंका है। हजारों की संख्या में पशुओं की जानें गईं। लगभग एक लाख घरों को क्षति पहुंची और पाँच लाख मनुष्य बेघर हो गए। लगभग 400 सिंचाई संरचनाओं में दरारें पड़ गयीं और क्षतिग्रस्त हो गई। इन संरचनाओं को क्षति का अनुमान एक करोड़ रुपये और बाढ़ों तथा चक्रवातों के कारण कुल क्षति का अनुमान 20 करोड़ रुपये लगाया गया है।

राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव तथा राहत कार्यों के लिए प्रबंध किए। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और उनको भोजन देने के लिए दलिया (ग्रुअल) केन्द्र खोले गए। बाढ़ग्रस्त व्यक्तियों को खाद्य पैकट या तो हवाई जहाज से नीचे डाले गए अथवा यन्त्रचालित नौकाओं द्वारा उन तक पहुंचाए गए। राज्य सरकार ने बाढ़ राहत कार्यों के लिए एक करोड़ रुपये की धन-राशि स्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने निम्नलिखित विशेष राहत उपाय शुरू किए हैं :—

(1) 40 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति परिवार को नकद अनुदान;
(2) असहाय परिवारों, जिनके जीविकोपार्जन करने वाले व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, को 2000 रुपये का अनुग्रह-पूर्वक अनुदान;
(3) राज्य सरकार द्वारा अनाथ बच्चों की देख-भाल;
(4) कृषकों को हल बदलने और दूध देने वाले पशुओं को खरीदने के लिए उदार ऋण

राज्य सरकार ने दरारों को बन्द करने और सिंचाई के लिए जल सप्लाई बनाए रखने

तथा बाढ़ों से क्षतिग्रस्त सड़कों, तालाबों और अन्य संरचनाओं की भी तेजी से मरम्मत करने के लिए कदम उठाए हैं ।

श्री जी० विश्वनाथन : चक्रवातीय तूफान और भारी वर्षा से तमिलनाडु की जनता को काफी हानि पहुंची है । मेरे विचार से माननीय मंत्री की रिपोर्ट पूरी नहीं है । समाचार पत्रों की खबरों के अनुसार मारे गये लोगों की संख्या बहुत अधिक है । मन्त्री महोदय इस विषय पर और अधिक जानकारी दें । इस तूफान से न केवल अनेकों लोग बे-घरबार हुए हैं वरन प्राचीन मंदिरों को भी क्षति पहुंची है । नीवेली लिग्नाइट खान पूरी तरह जलमग्न हो गई थी और रासायनिक खाद का कारखाना भी बन्द करना पड़ा था । हमारे देश में बाढ़ रोकथाम की परियोजनाएं 1954 से वैज्ञानिक आधार पर चल रही हैं परन्तु तमिलनाडु में क्यों कुछ नहीं किया गया । नदियों के लिए चार आयोग हैं जिनमें से एक मध्यभारत और दक्षिणी प्रदेश की नदियों के लिए है । यह आयोग दक्षिणी प्रदेश को बाढ़ से बचाने के लिए क्या कर रहा है और भविष्य में क्या करेगा । क्या ये आयोग निरोधक बेसिन और जल आगार की व्यवस्था करने जा रहे हैं । मन्त्री महोदय ने कुल क्षति 20 करोड़ रुपये की बतायी है परन्तु उन्हें यह भी ज्ञात है कि यह क्षति किस-किस स्थान पर हुई है । मन्त्री महोदय कृपया इसके कारणों पर विचार करें और राज्य को शीघ्र वित्तीय सहायता दिलायें और कितनी क्षति हुई है यह पता लगाने के लिए शीघ्र एक केन्द्रीय टीम भेजें । तमिलनाडु में तुरन्त राहत कार्य किया जाना चाहिए ।

सिंचाई और विद्युतमन्त्री (डा० के० एल राव) : तमिलनाडु सरकार से कल जो जानकारी प्राप्त हुई वही जानकारी मैंने अपने वक्तव्य में दी है । तमिलनाडु सरकार अभी भी यह पता लगा रही है कि कितनी क्षति हुई है । उसका निवेदन मिल जाने पर केन्द्रीय दल भी भेजा जायेगा । पाँचवे वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार तमिलनाडु को 50 लाख रुपये से अधिक व्यय हो जाने पर सहायता दी जायेगी ।

बाढ़ और चक्रवातीय तूफान में अन्तर है । चक्रवातीय तूफान के बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता । तमिलनाडु उन राज्यों में से है जहां बाढ़ की समस्या नहीं है । चक्रवातीय तूफान से हुई जन धन की हानि को कम करने के लिए हम केवल उपाय कर सकते हैं । भारतीय जल-वायु विभाग ने चक्रवात आने की सूचना पहले ही दे दी थी ।

श्री के० बालदंडायुतम (कोयम्बटूर) : मंत्री महोदय के वक्तव्य से यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार चक्रवातीय तूफान से हुई क्षति के बारे बिल्कुल चिन्तित नहीं है । केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार से जानकारी की प्रतीक्षा करने की बजाय राज्य सरकार के राहत तथा पुनर्वास कार्य में शीघ्र सहायता करनी चाहिए थी । चक्रवात आने की पूर्व सूचना लोगों तक पहुंचायी जानी चाहिए थी और उसमें यह भी सूचना दी जानी चाहिए कि तूफान के बाद कितनी वर्षा होने की सम्भावना है और उससे किन-किन बांधों को खतरा है ताकि लोग निचले क्षेत्रों से पहले ही चले जायें और उस रास्ते से यात्री न जायें । मैं जानना चाहता हूं कि क्षतिग्रस्त टैंकों और झीलों के पुनर्निर्माण की कितनी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार लेगी । यदि वर्षा के जल को संग्रह कर लिया जाता तो यह चक्रवात लाभकर सिद्ध होता । ऐसा सिंचाई ढाँचा कि जिससे इस प्रकार की क्षति न हो निर्माण करने की दिशा में आपकी क्या योजना है ।

यदि केन्द्रीय सरकार ने तेजी के साथ अपने सभी संसाधनों के साथ राज्य की सहायता की

होती तो इतनी हानि न होती । केन्द्रीय सरकार को राज्य की सहायता करने में उदार होना चाहिए।

डा० के० एल० राव : राज्य सरकार ने क्षति का निर्धारण कार्य अभी पूरा नहीं किया है । जानकारी मिलने पर केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय दल भेजेगी जो यह पता लगायेगा कि वास्तव में कितने राहत कार्य की आवश्यकता है । राज्य सरकार यह प्रयत्त कर रही है कि सभी दरारें बन्द कर दी जायें ताकि जल सुरक्षित रखा जा सके ।

श्री एम० कतामुत्तु (नागापटिनम) : चक्रवात और भारी वर्षा से तमिलनाडु के आठ जिलो में बहुत हानि हुई है । चाहे सूखा हो या बाढ़, उनका सबसे अधिक प्रभाव खेतिहर मजदूरों, गरीब किसानों और शहरी क्षेत्रों के गरीब लोगों पर पड़ता है । राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 3 करोड़ रुपये की सहायता माँगी है जो पर्याप्त नहीं है । भविष्य में बाढ़ तथा भारी वर्षा से कोई क्षति हो उसे रोकने के लिए क्या माननीय मंत्री कोई अध्ययन दल नियुक्त करने जा रहे हैं जो न केवल सिंचाई ढांचे के बारे में वरन जल निकास व्यवस्था के प्रश्न पर भी विचार करे ? फसल की क्षति को रोकने के लिए क्या वह शीघ्र ही कोई अध्ययन समिति नियुक्त करेंगे ?

डा० के०एल० राव : अध्यवन समिति नियुक्त करने का कोई विचार नहीं है । यदि माननीय सदस्य चक्रवात से होने वाली क्षति की समस्या के बारे में कोई सुझाव दें तो उन पर विचार किया जायेगा ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेली चेरी) : मंत्री महोदय के वक्तव्य से अत्यन्त निराशा हुई है । उन्होंने अब तक के प्रश्नों का जो उत्तर दिया है उसमें स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि संकट ग्रस्त तमिलनाडु की बड़े पैमाने पर सहायता करने के लिए वह क्या कर रहे हैं ।

पिछले एक सप्ताह से देश के सभी समाचार पत्रों में चक्रवात और उससे हुई क्षति के समाचार मिलते रहे हैं । मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्रीय सरकार शीघ्र ही कोई अध्ययन दल भेजने की दिशा में कदम उठायेगी जैसा कि दो वर्ष पहले केरल के मामले में कदम उठाया गया था । मंत्री महोदय ने कहा है कि 20 करोड़ रुपये की क्षति इस समय के अनुमान के अनुसार है । वास्तविक क्षति तो इससे भी अधिक की होगी । अतः मंत्री महोदय क्या स्पष्ट रूप से यह आश्वासन देंगे कि क्षति के बारे में वास्तविक जानकारी मिल जाने पर वह तमिलनाड् को आवश्यक सहायता देंगे ।

डा० के० एल० राव : हमें समाचार पत्रों में छपे समाचारों पर नहीं वरन् सरकारी स्रोतों से मिली जानकारी पर निर्भर रहना पड़ता है । राज्य सरकार अभी भी क्षति के बारे में आँकड़े इकट्ठा कर रही है । जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी, एक अध्ययन दल वहाँ भेजा जायेगा और उसके अनुसार केन्द्रीय सरकार सहायता देगी ।

Shri Hari Singh : A large area of Tamil Nadu has been hit by flood and cyclone. The same thing had also happened during September this year in Coimbatore. I am surprised to see that the Government of Tamil Nadu did not take action on the warning given by our meterological Department 24 hours in advance and Continued to involve itself in politics. The local officers and their faimly members were taking interest in seeing the beauty of flood.

These unprecedented floods have caused havgoc and as such the cash grant of Rs. 80 per family given by the State Government will not be sufficient and it will be a joke with hard hit people of the area.

The State Government is adopting a discreminating policy in regard to the relief work for poor, backward and Scheduled Caste people on the one hand and for those who belong to high classes on the other. The State Government is neglecting the weaker sections in giving relief. I want to know whether Government will provide pension to whose children who have lost their parents in the recent floods and cyclone, and will shoulder the responsibility of their education, shelter and clothing till they attain the age of 25 years, I also suggest that immediate relief and compensation be given to those small peasents whose crops have been damages, and the responsibility of education of the children of such flood hit peasants be taken by the State Government for 5 years.

डा० के० एल० राव : माननीय सदस्य ने जो बातें उठाई हैं उनकी तो मुझे जानकारी नहीं है। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि प्राकृतिक प्रकोपों से अधिकतर निर्धन वर्गों पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि वह कोई बात कहना चाहते हैं तो वह मुझे बता दें, मैं उसे राज्य सरकार तक पहुंचा दूंगा।

श्री बालदंडायुतम (कोयम्बटूर) : श्रीमन्, तमिलनाडु में प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा सरकार के कुछ प्रमुख सदस्यों के घरों पर कुछ प्रहार किए गए हैं। मुख्य मंत्री ने कहा है कि जानबूझ कर सताया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत से सदस्यों ने इस विषय पर मेरे पास प्रस्ताव भेजे हैं। अतः क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री सम्बन्धित मंत्री के ध्यान में यह बात लाएंगे जिससे कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दे।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : A calling Attention notice regarding Bombay was also given.

Mr. Speaker : Kindly do not make mention of calling Attention Notices in the House.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : फरीदाबाद मैडिकल कालेज के मामले पर आप एक घन्टे की चर्चा के लिए सहमत हो गए थे। इसके बारे में शीघ्र अनुमति देने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय : 19 तारीख निश्चित की जा चुकी है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, (वाणिज्यिक) 1970 (हिन्दी संस्करण) के निम्नलिखित भागों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

भाग 7—भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड के कार्यकरण का विस्तृत मूल्यांकन।

भाग 8—तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकरण का विस्तृत मूल्यांकन।

भाग 9—भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कार्यकरण का विस्तृत मूल्यांकन।

भाग 10—कम्पनी लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन में पायी गयी अलग-अलग अनियमितताएं और उक्त प्रतिवेदन का सारांश। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4006/72]

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं श्रम और पुनर्वास मंत्री, श्री आर० के० खाडिलकर की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के जून, 1971 में जेनेवा में हुए छप्पनवें सत्र में स्वीकृत अभिसमयों और सिफारिशों पर की गयी अथवा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4007/72]

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS CTMMITOEE

52वां प्रतिवेदन

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं सुपर बजार, नई दिल्ली के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 10वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 52वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

समिति के लिये निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच-बिहार) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 254 के उप-नियम (3) में अपेक्षित रीति से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति में कार्य करने लिए स्वामी रामानन्द शास्त्री के स्थान पर, जिनकी मृत्यु हो गयी है, समिति के शेष कार्यकाल के लिए, अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : .

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 254 के उप-नियम (3) में अपेक्षित रीति से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति में कार्य करने के लिए स्वामी रामानन्द शास्त्री के स्थान पर, जिनकी मृत्यु हो गयी है, समिति के शेष कार्यकाल के लिए, अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दिल्ली विद्यालय शिक्षा विधेयक
DELHI SCHOOL EDUCATION BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बढ़ाना

श्रीमती माया राय (राजगंज) : मैं प्रस्ताव करती हूँ ।

"कि यह सभा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में विद्यालय शिक्षा की अधिक अच्छी व्यवस्था और विकास के लिए और उससे सम्बद्ध या अनुषंगी मामलों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय 18 दिसम्बर, 1972 तक और बढ़ाती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में विद्यालय शिक्षा की अधिक अच्छी व्यवस्था और विकास के लिए और उससे सम्बद्ध या अनुषंगी मामलों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय 18 दिसम्बर, 1972 तक और बढ़ाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक

INDIAN TARIFF (AMENDMENT) BILL

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्ययक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री एल० एन० मिश्र : मै विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ ।

रुग्ण कपड़ा उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक

SICK TEXTILE UNDERTAKINGS (TAKING OVER OF MANAGEMENT) BILL

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रुग्ण कपड़ा उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण होने तक उनके इस दृष्टि से शीघ्र पुनर्वास के लिए, कि ऐसे पुनर्वास से सस्ते किस्म के कपड़े के उत्पादन में वृद्धि और उचित कीमतों पर उसके वितरण द्वारा जन-साधारण का हित साधन हो सके, उनका, लोक हित में, प्रबन्ध ग्रहण करने का और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रुग्ण कपड़ा उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण होने तक उनके इस दृष्टि से शीघ्र पुनर्वास के लिये, कि ऐसे पुनर्वास से सस्ते किस्म के कपड़े के उत्पादन में वृद्धि और उचित कीमतों पर उसके वितरण द्वारा जन-साधारण का हित साधन हो सके, उनका, लोक हित में, प्रबन्ध ग्रहण करने का और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री एल० एन० मिश्र : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

रुग्ण कपड़ा उपक्रम प्रबन्ध ग्रहण अध्यादेश, 1972 के बारे में वक्तव्य
STATEMENT REGARDING SICK TEXTILE UNDERTAKINGS (TAKING OVER OF MANAGEMENT) ORDINANCE, 1972

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं रुग्ण कपड़ा उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अध्यादेश, 1972 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों का एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं, जैसा कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71(1) के अधीन अपेक्षित है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4008/72]

अध्यक्ष महोदय : यदि यह विधान की शक्ति से बाहर है तो आप मुकदमा कर सकते हैं।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैं केवल आप को जानता हूं। मैं केवल आप से प्रार्थना कर सकता हूं।

परिसीमन विधेयक
DELIMITATION BILL

अध्यक्ष महोदय : अब परिसीमन विधेयक पर चर्चा होगी।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : कल मैं कह रहा था कि परिसीमन आयोग को अपना काम पहले उत्तर प्रदेश और नागालैंड में करना चाहिए क्योंकि 1974 में चुनाव होने वाले हैं। दूसरे मैंने यह प्रार्थना की थी कि उड़ीसा राज्य की विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस लिए मैं आपके माध्यम से उड़ीसा के राज्यपाल से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन्हें मुख्य मंत्री की सलाह पर नहीं चलना चाहिए, जिन्हें विधान सभा में केवल अल्प मत प्राप्त है और विधान सभा का विघटन नहीं करना चाहिए।

उड़ीसा की जनसंख्या बढ़ गई है इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए परिसीमन आयोग को उड़ीसा विधान सभा के लिए प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ानी चाहिए।

मैं श्री सोमनाथ चटर्जी के इस प्रस्ताव से सहमत हूं कि परिसीमन आयोग को आनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए कोई तरीका निकालना चाहिए।

परिसीमन आयोग के क्षेत्र में जम्मू और काश्मीर भी आना चाहिए क्योंकि वह भारत का एक अंग है।

अन्त में मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि पुराने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश में संशोधन किया जाएगा। यह संशोधन लोकुर समिति की सिफारिशों के अनुसार किया जाना चाहिए।

परिसीमन आयोग में ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन पर राजनीतिक दबाव न पड़ सके।

Shri Rudra Pratap Singh (Bara Banki) : I am thankful to you for having given me a chance to speak on Delimitation Bill. The very fact that the Government has brought forward Delimitation Bill immediately after the census of 1971 shows how much interest they are taking to strengthen the roots of democracy.

This provision has been made in the Bill that Delimitation Commission shall consist of Members of Lok Sabha and Assemblies from every State and territory. This will help strengthen the roots of democracy.

It has been exolicitly mentioned in the Bill that at the time of delimitating any territory Geographical situation, means of Communication and General facilities will be taken into account.

I congratulate the Government for protecting the interests of Scheduled Castes and Scheduled Tribes as usual in this Bill.

Hence I request the hon. Members to give full support to this Bill.

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : श्री सोमनाथ चटर्जी ने चतुर्थ सामान्य चुनावों सम्बन्धी निर्वाचन आयोग के प्रतिवेदन का उल्लेख करते हुए यह कहा कि पिछली बार परिसीमन आयोग को निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए आवश्यक मूल सामग्री उपलब्ध नहीं की गई थी। इस सम्बन्ध में राज्यों ने जिन्हे पिछले जून में अनुदेश दिये गये थे, सारी सामग्री एकत्र कर ली है और नकशे तैयार हो रहे हैं। यह सामग्री जिलावार पुस्किताओं में छपवाई गई है और ये पुस्तिकायें यहां प्राप्त हो चुकी हैं। इस पुस्तिका में जिले की कुल जनसंख्या के बारे में जानकारी दी हुई हैं।

श्री समर मुकर्जी (हावड़ा) : इस पुस्तिका का नाम क्या है ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : इसका नाम 'पापूलेशन फिगर्स इन्क्लूडिंग शैड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शैड्यूल्ड ट्राईब्ज" है। इस पुस्तिका में जिले की कुल जनसंख्या, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता और जहां कहीं तहसील, राजस्व निरीक्षक सर्किल, पटवारी सर्किल हैं उनके बारे में आंकड़े अन्यथा प्रत्येक पंचायत के बारे में अलग अलग आंकड़े दिये हुए हैं क्योंकि निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करते समय छोटी से छोटी इकाई को उसका विभाजन किये बिना ध्यान में रखना पड़ता है। अतः यह सारी जानकारी उपलब्ध है।

1"=4 मील के पैमाने में नकशे तैयार करने में सुरक्षा सम्बन्धी कारणों से पिछली बार कुछ कठिनाइयां थीं। किन्तु इस बार यह सुनिश्चित किया गया है कि ये नकशे आयोग को तब तक उपलब्ध कर दिये जायं जब तक आयोग अपना कार्य आरम्भ करता है। छोटे जिलों के मामले में 1"=2 मील और बड़े जिलों के मामले में 1"=4 मील के पैमाने में नकशे तैयार किये जा रहे हैं। इस बार आयोग के लिये कर्मचारीवृन्द की भी व्यवस्था कर दी गई है जैसा कि विधेयक के साथ

लगे वित्तीय ज्ञापन से स्पष्ट है। पिछली बार जो कठिनाईयाँ पेश आई थीं वे अब नहीं होंगी और आयोग को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध की जायंगी।

पिछली बार परिसीमन आयोग को अपना कार्य पूरा करने में $3\frac{1}{2}$ वर्ष लगे थे। अब, जबकि उत्तर प्रदेश में फरवरी, 1974 में और सामान्य चुनाव फरवरी, 1976 में होने वाले हैं, इस विधेयक को एक संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने का परिणाम यह निकलेगा कि आयोग को अपना कार्य पूरा करने के लिये बहुत ही कम समय मिलेगा और इससे और कोई लाभ नहीं होगा। अतः इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

लोक-सभा के लिये स्थानों में वृद्धि करने का मामला सरकार के विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में जैसे ही कोई निर्णय किया जायेगा, उस पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए इस विधेयक को लम्बित नहीं किया जाना चाहिये।

श्री आर० वी० बड़े (खरगांव) : स्थानों की संख्या निश्चित किये बिना आयोग स्थानों का विभाजन कैसे करेगा ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : अनुच्छेद 81 में संख्या दी हुई है। आयोग अनुच्छेद 81 के आधार पर ही अभी कार्य करेगा और यदि बाद में इस में कोई संशोधन कर दिया जायेगा तो आयोग इस संशोधन को ध्यान में रखेगा।

प्रकाशन प्रक्रिया के सम्बन्ध में खण्ड 9(2)(क) की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें यह उपबन्ध है कि "निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए किसी सहयुक्त सदस्य की विसम्मत प्रस्थापनाओं सहित, यदि कोई हो, जो उनका प्रकाशन चाहता है, भारत के राजपत्र में और संबद्ध राज्यों के राजपत्रों में और ऐसी रीति से, जो भी वह उचित समझता है, अपनी प्रस्थापनाओं को प्रकाशित करेगा"। अतः इनका प्रकाशन अन्य स्थानों आदि पर ऐसी अन्य रीति से भी हो सकेगा। इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। आदेशों के अन्तिम रूप से प्रकाशन के बारे में खण्ड 10 में उपबन्ध है।

आयोग में दो न्यायाधीश और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगा। इस सम्बन्ध में सुझाव दिया गया है कि केवल सेवारत न्यायधीशों को ही नियुक्त किया जाये। विधेयक में दो सदस्यों का उपबन्ध है जिनमें से प्रत्येक उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का न्यायधीश हो या रह चुका हो और उनको केन्द्रीय सरकार नियुक्त करेगी। अतः सेवारत न्यायधीशों को भी नियुक्त करने का उपबन्ध है। यह इसलिए किया गया है क्योंकि कभी कोई सेवारत न्यायाधीश इस निमित्त न मिल सके तो सेवानिवृत न्यायधीश को नियुक्त किया जा सके।

एक माननीय सदस्य का यह सोचना कि ऐसा भी हो सकता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सभापति बना दिया जायेगा, ठीक नहीं है क्योंकि सरकार केवल वृष्ट न्यायधीश को ही सभापति नियुक्त करेगी।

स्थानों के आरक्षण के सम्बन्ध में यही न्यायसंगत होगा कि जहां जहाँ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अधिक हो, वहां वहाँ उनके लिये स्थान आरक्षित किये जायं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित स्थानों की अदला-बदली करने या बाद में उनका आरक्षण समाप्त करने से एक बड़ी समस्या खड़ी हो जायेगी और इससे किसी को भी कोई लाभ नहीं होगा। अतः यह सुझाव अमान्य है।

आयोग के निर्णयों को लेकर विधि न्यायालयों में मामलों को उठाने के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 329 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

इस विधेयक को जम्मू और काश्मीर में लागू करने के लिए इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् संविधान (जम्मू और काश्मीर में लागू होना) आदेश, 1954 में संशोधन किया जायेगा और तब यह विधेयक वहां भी लागू हो जायेगा ।

सहयुक्त सदस्यों या अन्य सदस्यों को मताधिकार देने से आयोग के लिए कोई निर्णय लेना ही कठिन हो जायेगा और आयोग अपना कार्य समय पर पूरा नहीं कर सकेगा । अतः उनको मताधिकार देना ठीक नहीं होगा ।

सुझाव दिया गया है कि उन व्यक्तियों को, जिनके निर्वाचन-क्षेत्र विचाराधीन हों, सहयुक्त किया जाये । ऐसे सदस्यों को आयोग आमंत्रित करेगा और उनकी सुनवाई होगी ।

राज्य-सभा और विधान-परिषदों के सदस्यों को आयोग के साथ सहयुक्त करना सम्भव नहीं है क्योंकि उनका निर्वाचन सीधे जनता द्वारा नहीं होता है ।

यह सुझाव भी मान लिया गया है कि विधान सभाओं की तरह लोक-सभा में से भी पाँच सदस्य ही इसका प्रतिनिधित्व करेंगे ।

श्री आर० वी० बड़े : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में क्या उपबन्ध है ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : विधेयक में उपबन्ध है कि इनका नाम-निर्देशन लोक-सभा के अध्यक्ष तथा सम्बन्धित विधान-सभाओं के अध्यक्षों द्वारा किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : विधेयक प्रवर समिति को सौंपने का श्री मूलचन्द डागा का एक प्रस्ताव है ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

The motion was by leave withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक-सभा में विभिन्न राज्यों को आवंटित स्थानों का, प्रत्येक राज्य के लिए विधान-सभा के कुल स्थानों का, प्रत्येक राज्य की और ऐसे प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र को जहाँ विधान-सभा है तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को, लोक-सभा और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की विधान-सभाओं और दिल्ली के महानगर परिषद् के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन करने तथा उनसे सम्बन्धित विषयों के लिए उपबन्ध करने हेतु विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 2 पर श्री बड़े के दो संशोधन हैं । . . .

श्री आर० वी० बड़े : मैं इन के बारे में कुछ कहना चाहूँगा ।

अध्यक्ष महोदय : अभी सभा मध्यान्ह भोजन के लिये स्थगित होती है ।

(इसके पश्चात लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म० प०
तक के लिये स्थगित हुई)

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteenth of the clock)

लोकसभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात 2 बजकर 5 मिनट पर पुन: समवेत हुई ।
The Lok Sabha reassembled after Lunch at Five minutes Past Fourteen of the clock

{ **उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

उत्तर प्रदेश के एक गांव में मकानों के जलाने के कथित समाचार के बारे में

RE ALLEGED BURNING OF HOUSES IN A VILLAGE IN UTTAR PRADESH

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सजनी गांव में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर किये गये अत्याचारों के बारे नोटिस दिया है । इस जिले में अन्य गाँवों में भी ऐसी घटनाएं होने के समाचार मिले हैं । क्या राज्य की पुलिस अपराधियों के साथ मिली हुई है । सरकार को इस में हमें पूरी जानकारी देनी चाहिये ।

Shri Ram Dhan (Lalganj): Sir, I want to draw the attetion of Government to these Communal incidents. I request that a judicial enquiry may be ordered into these incidents.

संसद कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मेरा श्री मोहसिन से निवेदन है कि वह सम्बन्धित राज्य सरकार से जानकारी एकत्र करके सदन के समक्ष रखें । वैसे यह मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : यह एक दुखद घटना है । इस सम्बन्ध में मैंने प्रधान मंत्री से भी बात की है । और राज्य के मुख्य मंत्री का ध्यान भी इस ओर दिलाया है । बड़े शर्म की बात है कि तीन गाँवों को जला दिया गया है और लूटपाट की घटनाएं भी हुई हैं । मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बारे में आवश्यक उपाए करे और दोषी अधिकारियों को दण्ड दिया जाये । इस सारे काँड की न्यायियक जाँच करायी जाये । अल्प संख्यक समुदाय को सुरक्षा का आश्वासन दिया जाये और इसके लिए समुचित व्यवस्था की जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : पिछली बार जब इस मामले को उठाया गया था तो मैंने कहा था कि यह एक राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाला विषय है परन्तु चूंकि अल्प संख्यक समुदाय से सबंन्धित है अत. इसे विशेष विषय समझ कर ले लिया गया हैं । अब यह घटना फिर से हुई है । इस सम्बन्ध में सभी जानकारी उपलब्ध की जानी चाहिये ।

श्री राज बहादुर : आप ने और श्री चन्द्रजीत यादव जी ने इस विषय पर जो सहानुभूति दखायी है । उसके लिए मैं आभारी हूँ ।

परिसीमन विधेयक—जारी

DELIMITATION BILL—CONTD.

खंड—2

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री बड़े अपने संशोधनों को प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री आर० वी० बड़े : जी हां । मैं प्रस्ताव करता हूँ :

मैं अपना संशोधन संख्या 20 और 21 प्रस्तुत करता हूं । मेरे संशोधन का उद्देश्य है कि यह विधेयक जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर भी लागू हो ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी: मैंने पहले भी कहा है कि इस विधेयक का यह अभिप्राय नहीं है कि यह जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर लागू नहीं होगा । इसे संविधान (जम्मू तथा काश्मीर को लागू करना) आदेश के अधीन लागू किया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 20 तथा 21 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खन्ड 2 विधेयक का अंग बने है"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड-3

श्री आर० वी० बडे : मैं संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं । मेरा उद्देश्य यह है कि वह व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का या उच्च न्यायालय का वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश होना चाहिए ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : ऐसा देखा गया है कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश मिलते नहीं हैं । अतः यह प्रावधान किया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ :

The amendment was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड-4

श्री आर० वी० बड़े: मैं अपना संशोधन संख्या 22 प्रस्तुत करता हूं। मेरे संशोधन का उद्देश्य है कि पंक्ति 28 से 33 का लोप कर दिया जाये। इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : यह इस लिये आवश्यक है क्योंकि यह संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1963 के अधीन आता है। अत: एक प्रयोजन के लिए दो कानून नहीं हो सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खन्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The amotion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 was added to the Bill.

खन्ड-5

श्री आर० वी० बड़े : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 35,—

Nine (नौ) **के स्थान पर**

Ten (दस) **प्रतिस्थापित किया जाये।**

(संख्या 3)

पृष्ठ 2, पंक्ति 35,—

Four (चार) **के स्थान पर**

Five (पाँच) **प्रतिस्थापित किया जाये।**

(संख्या 4)

मैं इनके साथ साथ अपने संशोधन संख्या 5, 6, 7, 8 भी प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 13 प्रस्तुत करता हूं और प्रस्ताव करता हूं:—

पृष्ठ 2, पंक्ति 40,—

Four (चार) **के स्थान पर**

Five (पांच) **प्रतिस्थापित किया जाये।**

(संख्या 14)

पृष्ठ 2, पंक्ति 42,—

Nine (नौ) **के स्थान पर**

Ten (दस) **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

(संख्या 15)

पृष्ठ 2, पंक्ति 44,—

Four (चार) **के स्थान पर**

Five (पांच) **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

(संख्या 16)

श्री बी० वी० नायक : मैं अपना संशोधन संख्या 24 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री आर० वी० बड़े : मैं संशोधन संख्या 25 प्रस्तुत करता हूं ।

मैंने खण्ड 5 के बारे में बहुत से संशोधन रखे हैं ।

मैं चाहता हूँ कि सदस्यों की संख्या इतनी न हो मतदान के स्थित उनकी संख्या में अन्तर हो । इसके साथ मैं यह भी चाहता हूँ कि 'लोक सभा' शब्द के स्थान पर 'संसद' प्रतिस्थापित किया जाये ताकि इसमें राज्य सभा के सदस्य भी आ सकें ।

मेरे एक अन्य संशोधन का उद्देश्य यह है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों में से भी एक व्यक्ति को आयोग का सदस्य बनाया जाये । मेरा अनुरोध है कि इन संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाये ।

Shri Ramavtar Shastri : Sir, I want that there should equal number of members from Lok Sabha and state assemblies. For this I have moved my amendment.

The object of my amendment to section 5(1) is that the members should taken from the recognized political parties. A provision has been made in the Bill that the speakers of state Assemblies will nominate members from their respective Assemblies within a period of one month, but is the case of Lok Sabha speaker this period is two months. I want that it should one month in this case also.

I hope that my amendments will be accepted.

श्री बी० वी० नायक : मैं केवल यह चाहता हूं कि संशोधन संख्या 24 को जिसे मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है, विचारार्थ तथा मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाये ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मैं संशोधन संख्या 23, जो संशोधन संख्या 3 व 11 जैसा ही है, संशोधन संख्या 4 जो संशोधन संख्या 12 की तरह है और संशोधन संख्या 14, 15 तथा 16 स्वीकार करता हूं ।

जहां तक श्री आर० वी० बड़े का संशोधन संख्या 5 का सम्बन्ध है, और जिसमें "लोक सभा" के स्थान पर "संसद" शब्द रखने का प्रस्ताव किया गया है, उसे स्वीकार करना इसलिए संभव नहीं है कि ऐसा किये जाने पर राज्य-सभा के सदस्यों को, जो लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित नहीं होते, प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा । इसी कारण उनके संशोधन संख्या 6 को भी स्वीकार करना सम्भव नहीं है ।

संशोधन संख्या 8 तथा 13 एक ही स्वरूप के हैं, चूंकि संविधान राजनैतिक दलों को मान्यता प्रदान नहीं करता अतएव उन्हें भी स्वीकार करना सम्भव नहीं है ।

संशोधन संख्या 17 में, श्री रामावतार शास्त्री यह चाहते हैं कि लोक सभा के अध्यक्ष को भी राज्य-विधान सभाओं के अध्यक्षों की भांति केवल एक ही महीने का समय दिया जाये न

कि दो महीने का । राज्य-विधान-सभा के अध्यक्ष को केवल राज्य के क्षेत्रों के बारे में ही विचार करना होता है जबकि लोक-सभा के अध्यक्ष को समूचे देश का ध्यान रखना होता है और यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रत्येक को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो । इसलिए उनके लिए दो महीने का समय उपयुक्त है ।

इसी प्रकार संशोधन संख्या 24 आयोग के समूचे ढांचे को ध्यान में नहीं रखता जिस कारण उसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि मन्त्री जी ने बहुत से संशोधन स्वीकार करने का संकेत दिया है, अतः मैं उन्हें एक-एक करके सभा के मतदान के लिए रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2, पंक्ति 35,—

Nine (नौ) **के स्थान पर**

Ten (दस) **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2, पंक्ति 35,—

Four (चार) **के स्थान पर**

Five (पाँच) **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 11 और 12 प्रस्तुत नहीं किये गये हैं क्योंकि वे संशोधन संख्या 3 और 4 की तरह ही हैं, इसलिए उन पर विचार नहीं किया गया है । मैं संशोधन संख्या 14 सभा के मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2, पंक्ति 40,—

Four (चार) **के स्थान पर**

Five (पांच) **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

संशोधन स्वीकृत हुआ ।

The amendment was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2, पंक्ति 42,—

Nine (नौ) **के स्थान पर**

Ten (दस) **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

संशोधन स्वीकृत हुआ ।

The amendment was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 44,—

Four (चार) **के स्थान पर**

Five (पांच) **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

संशोधन स्वीकृत हुआ ।

The amendment was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अन्य संशोधन सभा के मतदान के लिये रखूंगा ।

संशोधन सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put to vote and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है;

"कि खण्ड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

"That clause 5, as amended, Stand part of the Bill."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया ।

Clouse 5, as amended, was added to the Bill.

खंड 6 से 8 विधेयक में जोड़े गये ।

Clouses 6 to 8 were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 9 लेते हैं । उस पर एक संशोधन है ।

श्री शिव कुमार शास्त्री (अलीगढ़) : मैं अपना संशोधन संख्या 19 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 330 तथा 332 में किये गये उपबन्धों के विपरीत जाता है और इससे कुछ संवैधानिक अड़चने उत्पन्न होती हैं अतएव इसे स्वीकार करना संभव नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब संशोधन संख्या 19 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन सभा के मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : मैं विधेयक के अन्य सभी खण्ड सभा के मतदान के लिए रखूंगा । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 से 11, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The mation was adopted

खण्ड 9 से 11, खण्ड 1, अधिनियमन ने सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गये ।

Clauses 9 to 11, Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

संशोधन रूप में पारित करने का प्रस्ताव

श्री समर गुह (कन्टाई) : समाजवादी दल लोक-सभा की वर्तमान सदस्य-संख्या में वृद्धि किये जाने का विरोध करता है जिसका कारण यह है कि वर्तमान संख्या में वृद्धि करने में कोई सिद्धान्त निहित नहीं है । इस प्रश्न पर संविधान-निर्माताओं ने पूर्ण रूप से विचार-विमर्श किया था और महसूस किया था कि प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर लचीलेपन का सवाल नहीं होना चाहिए । उन्होंने एक अधिकतम संख्या निर्धारित कर दी थी जिसका कारण यह है कि जनसंख्या में जिस दर से वृद्धि होती है उस दर से प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि ऐसा करने पर बीस या तीस वर्षों की अवधि में ही वर्तमान सदस्य-संख्या 1000 तक बढ़ानी पड़ेगी और यदि इस प्रश्न को जन संख्या में वृद्धि के अनुपात से जोड़ा जायेगा तो अत्यधिक कठिनाई होगी । इसका एकमात्र हल यही है कि निर्वाचन-क्षेत्रों में आवश्यक हेर-फेर करके उनमें समानता लाई जाये ।

जहाँ तक वर्तमान विधेयक का सम्बन्ध है, जहां-कहीं ये परिसीमन समितियां बनाई जाती हैं, उनमें संसद या विधान-सभा से सदस्य चुने जायेंगे किन्तु भूतकाल का अनुभव हमारा यही रहा है कि उनके विचारों को महत्व नहीं दिया जाता है और इस कारण न्याय नहीं हो पाता । कुछ राज्यों में विशेषतः असम में क्षेत्रों का परिसीमन इस तरह किया जाता है जिससे किसी व्यक्ति विशेष या राजनैतिक दल विशेष को ही लाभ पहुँचता है ताकि वे वहां से निर्वाचित हो सकें । हमारे निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में काफी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है । मंत्री महोदय से मेरा यही अनुरोध है कि वह इस सभा को आश्वासन दें कि लोक-सभा या विधान-सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन में कोई पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं अपनाया जायेगा ।

Shri Shambhu Nath (Saidpur) : There is a provision in the Bill for associate members. The Government should see that Members belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are adequately represented when the question of delimitation of a particular State or district is taken up. Last time no proper representation was given to them.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : At the time of the association of members, care should be taken to see that all shades of opinion are given representation, Only persons of integrity should be there.

Then, in regard to delimitation, some definite principles such as geographical boun-

daries etc. should be followed. If constituencies are carved out in a haphazard manner, it would lead to dissatisfaction and unrest.

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : The nomination of members has to be done by the Speaker. We believe that the Speaker will take all factors into consideration before nominating Members.

The Bill lays down certain basis on which delimitation will be done and hence there should be no apprehension in this regard.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "कि संशोधित रूप में विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक संशोधित रूप में पारित हुआ।

The motion was adopted and the Bill, as amended, was possed.

राज्य वित्तोयनिगम (संशोधन) विधेयक

State Financial Corporations (Amendment) Bill

विचार करने का प्रस्ताव

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुशील रोहतगी) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 में पारित किया गया था जिसके अन्तर्गत लघु तथा मध्यम स्तर के उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए राज्यों में राज्य वित्त निगमों की स्थापना का उपलब्ध किया गया था। इस समय लगभग सभी राज्यों ने अपने अपने प्रदेशों में वित्त निगम स्थापित कर लिये हैं। दिल्ली को छोड़कर जहाँ तक अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का सम्बन्ध हैं पड़ौसी राज्य में स्थापित वित्त निगम एक संयुक्त वित्त निगम का कार्य करता है। इस बात के लिए बातचीत चल रही है कि असम वित्त निगम के क्षेत्राधिकार में नागालैंड राज्य और केरल वित्त निगम के क्षेत्राधिकार में लकादीव, मिनीकोय और अमिनदीवी द्वीपसमूह भी शामिल कर दिये जायें।

उक्त अधिनियम में अन्तिम संशोधन 1962 में किया गया था। तब से इन निगमों की गतिविधियां बहुत अधिक बढ़ गई हैं। अपनी स्थापना के बाद निगमों ने 17,797 उद्योग इकाइयों को कुल मिलाकर 291 करोड़ रुपये का ऋण दिया है। इन निगमों की कुल दत्त पूंजी 22.02 करोड़ रुपये और उनकी आरक्षित निधियों में 6.06 करोड़ रुपया है।

अखिल भारतीय सावधि ऋणदाता संस्थानों ने योजना आयोग द्वारा अधिसूचित विभिन्न पिछले क्षेत्रों में लघु तथा मध्यम स्तर के उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता की रियायत वाली योजनाएं घोषित की हैं। विश्व बैंक द्वारा 2 करोड़ 50 लाख अमरीकी डालर के ऋण का प्रस्ताव किया गया है जो कि भारतीय औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से वितरित किया जाना है ताकि राज्य वित्त निगमों के ऋण प्राप्तकर्ताओं की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं पूरी

की जा सके। बैंकिंग विकास की दिशा में राज्य वित्त निगमों को नये उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता देकर अधिक उपयोगी भूमिका अदा करनी चाहिए विशेषकर देश के ऐसे प्रदेशों में जो कि औद्योगिक दृष्टि से कम विकसित हैं। अतः यह आवश्यक हो गया है कि विधि में उपयुक्त संशोधन कर इन नियमों को आवश्यक साधन उपलब्ध कराये जायें।

रिजर्व बैंक, राज्य वित्त निगमों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों का नवम्बर, 1971 में वित्त मंत्री ने एक सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें इन निगमों तथा वाणिज्यक बैंकों की गतिविधियों के बीच अधिक समन्वय स्थापित करने के लिए निर्णय लिये गये। इस संशोधी विधेयक में जो विभिन्न संशोधन दिये गये हैं वे उन्हीं निर्णयों का प्रत्यक्ष परिणाम है। पहली बार इन निगमों को यह शक्ति मिली है कि वे मशीनरी, गाड़ियों आदि के अनुरक्षण तथा मरम्मत, असेम्बलिंग तथा पैकिंग का कार्य करने वाले कारखानों तथा मछली उद्योग को ऋण सुलभ कर सकेंगे। उद्योगों के बढ़ावे के लिए नए उद्यमियों को सहायता देने की दृष्टि से निगमों द्वारा परामर्श सेवा भी उपलब्ध करायी जायेगी।

इन संशोधनों में एक संशोधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अन्तर्गत एक विशेष प्रकार की अंश पूंजी की व्यवस्था की गई है जो कि राज्य सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा प्रार्थित होगी। इस पूंजी में से आसान शर्तों पर तकनीकी जानकारी वाले उद्यमियों को, आधुनिक ढंग के उद्योगों को, और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में कारखानों को बढ़ावा देने के लिए ऋण दिये जायेंगे। इन अंशों के बारे में राज्य सरकार पर एक न्यूनतम दर से लाभांश देने की गारन्टी का भार नहीं डाला जायेगा।

प्रबन्ध निदेशकों के चयन में जो निगम के मुख्य कर्मचारी होते हैं और जिनसे अब उद्योगों के विकास में अधिक पहल करने की आशा की जाती है, प्राक्रियात्मक परिवर्तन लाने का प्रस्ताव रखा गया है। अतः भविष्य में राज्य सरकारों को न केवल भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करना पड़ेगा अपितु यह सुनिश्चित करने के लिये भी उसे नियुक्त करने से पहले परामर्श लेना चाहिए ताकि इन निगमों में केवल अपेक्षित योग्यता के व्यक्ति प्रबन्ध निदेशकों के रूप में नियुक्त किये जा सकें।

वित्तीय निगमों को अपने अपने राज्यों में शाखाएं खोलने के साथ साथ ऐसे स्थानों पर भी कार्यालय खोलने की शक्ति दी जाये कि वे उन स्थानों के अतिरिक्त जिन्हें वे अवश्यक समझते हैं और जिनके बारे में राज्य सरकारों ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा है।

राज्य वित्तीय निगमों को उन औद्योगिक संस्थानों को उस समय तक देने से रोका जायेगा जिनमें वित्तीय निगमों के किसी भी विधेयक का लाभ का हित निहित होगा जब तक कि वह उन निगमों में निदेशक के रूप में कार्य करता रहेगा। औद्योगिक संस्थानों के आकार को सीमित रखने का भी प्रस्ताव है जिससे कि वे निगमों से सहायता लेने के लिए पात्र हो सकें और उन्हें अधिक सहायता मिल सके जितनी कि निगमों को एक ही औद्योगिक एकक को देनी पड़ती है। जिस औद्योगिक एककों की चुकता पूंजी और आरक्षित पूंजी की कुल राशि एक करोड़ रुपये से अधिक हो जायेगी वे सहायता के पात्र नहीं होंगे। निगम केवल एक औद्योगिक संस्थान को यदि वह लिमिटेड कम्पनी है, 30 लाख रुपये से अधिक सहायता नहीं दे सकेंगे और यदि कोई संस्था किसी मालिक की है अथवा भागीदारिता वाली है तो उसे यह निगम 15 लाख रुपये की सहायता दे सकेगा।

इस समय यह प्रस्ताव रखा गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन एक या दो राज्यों के साथ संयुक्त वित्तीय निगम बना सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव पास किया गया :—

"कि राज्य वित्तीय निगम अधिनिगम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री सोमनाथ चटर्जी : जहाँ तक विधेयक का आशय औद्योगिक संस्थाओं की परिभाषा को विस्तृत बनाना है, उसका स्वागत है। परन्तु इस विधेयक के कुछ ऐसे उपबन्ध है जिन्हें अधिक विचार किये बिना शामिल कर लिया गया है। नई धारा 4 क में यह व्यवस्था की गई है कि विशेष प्रकार के अंश जारी किये जायेंगे। यह एक ऐसा मामला है जिसमें विधान बनाने के संबंध में संसद को अपनी सभी शक्तियों तथा कार्यों को त्यागने के लिए कहा जा रहा है।

समझ में नहीं आता कि विशेष प्रकार के अंश जारी करने का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य तथा कार्य विवरणी में बताया गया है कि 'इन उद्देश्यों के लिए निगम को लघु तथा मध्यम स्तर के सुयोग्य औद्योगिक एककों को आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता देनी चाहिए'। परन्तु सम्बन्धित धारा में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। इसे पूर्ण रूप से रिजर्व बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है।

धारा 47 तथा 48 में यह व्यवस्था की गई है कि औद्योगिक वित्त निगम और राज्य वित्तीय निगम और विनियम बना सकते हैं। अब धारा 47 तथा 48 के सम्बन्ध में कदाचित कोई नियम अथवा विनियम नहीं बनाये जा सकते हैं जैसा कि इस विधेयक में उपबन्ध किया गया है। इस संशोधन विधेयक में नियमों तथा विनियमों को प्रकाशित करने का भी कोई उपबन्ध नहीं किया गया है।

जहां तक राज्य वित्तीय निगमों के कार्यकरण का सम्बन्ध है इस विधेयक का उद्देश्य औद्योगिक वित्त निगम को औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रस्थापित करना है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य वित्तीय निगमों और औद्योगिक वित्त निगम के बीच उपयुक्त समन्वय और इनके कार्यकलाप एक दूसरे से सम्बन्धित हों।

यद्यपि औद्योगिक विकास बैंक के कार्यकलाप का विस्तार क्षेत्र राज्य वित्तीय निगमों के कार्यक्षेत्र से बिल्कुल भिन्न है तथापि देखने में यही आ रहा है कि राज्य वित्तीय निगमों को पूरी तरह से औद्योगिक विकास बैंक के अधीन लाया जा रहा है। यह एक तरफा दृष्टिकोण है।

चूंकि औद्योगिक बिकास बैंक धन देगा, इसलिए इसका यह अर्थ नहीं है कि यह औद्योगिक वित्त निगम का स्थान ले लेगा जोकि एक अखिल भारतीय बैंक रहेगा। खण्ड 5, 7, 11 तथा 12 में परिवर्तन करने का समूचा आधार यही है कि औद्योगिक वित्त निगम को औद्योगिक विकास द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा। खण्ड 6 में कहा गया है कि राज्य वित्तीय निगम अपने प्रलेखों तथा बन्ध पत्रों सम्बन्धी कुछ अधिकार किसी अन्य संस्था को हस्तान्तरित कर सकता है। परन्तु इसका कोई उपबन्ध नहीं किया गया है कि यह अधिकार किसे हस्तान्तरित किये जायेंगे।

इस खण्ड से सम्बन्धित उद्देश्य तथा कारण विवरण में कहा गया है कि हस्तांतरी का आशय अन्य संस्थाओं से है। परन्तु इस खण्ड की विषम वस्तु में संस्थान शब्द तक भी दिखाई नहीं देता।

खण्ड 7 क के अन्तर्गत वित्तीय निगम इस हस्तांतरण के बावजूद भी हस्तांतरी के लिए एक न्यासी के रूप में कार्य कर सकता है। परन्तु यह बात समझ में नहीं आती कि वित्तीय निगम अपने हस्तांतरियों के लिए एक न्यासी के रूप में क्यों कार्य करेगा। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य इस कानून को विभिन्न संस्थानों पर लागू करना है जो समर्थन योग्य है।

खण्ड 5 के उपखण्ड (क) में 'रिजर्वबैंक के परामर्श पर आधारित' का अर्थ स्पष्ट नहीं है। क्या इसका अर्थ 'परामर्श' से बढ़कर कुछ और भी है ? क्या राज्य वित्तीय निगमों के लिए रिजर्व बैंक का परामर्श स्वीकार करना अनिवार्य होगा ? यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या इसका अभिप्राय अधिकारियों का एक बिशेष वर्ग स्थापित करना है। ऐसे विनियम जो अन्य अधिकारियों पर लागू हैं इन अधिकारियों पर भी लागू क्यों नहीं किये जाने चाहिए।

इसमें एक ऐसा उपबन्ध भी है जिसके अनुसार राज्य वित्त निगम को अब राज्य सरकारों को भुगतान नहीं करना पड़ेगा जैसा कि वर्तमान अधिनियमों के अनुसार उन्हें करना पड़ता है यह एक अच्छी बात है। परन्तु घोषित किये जाने वाले लाभांश पर अधिकतम सीमा को समाप्त किया जा रहा है। यह एक अच्छा प्रस्ताव नहीं है और इसे छोड़ दिया जाना चाहिए।

खण्ड 28 के अन्तर्गत विनियमों के स्वरूप का संकेत दिये बगैर किसी पहली तिथि से लागू किये जाने वाले विनियम बनाने की शक्तियाँ प्राप्त की जा रही हैं। इसकी क्या आवश्यकता है। उच्चतम न्यायालय ने अपने हाल ही के एक विनिर्णय में कहा है कि विनियमों को किसी पूर्वव्यापी तारीख से नहीं बनाया जा सकता। पता नहीं इस बात को ध्यान में रखा गया है अथवा नहीं।

स्पष्ट है कि कुछ सुझावों पर उनसे उत्पन्न होने वाली जटिलताओं का अनुमान लगाये बिना विचार किया गया है। हमें बताया गया है कि इस सम्बन्ध में राज्य वित्तीय निगमों से परामर्श किया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या उन्होंने औद्योगिक विकास बैंक के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आना स्वीकार कर लिया है और उन्होंने औद्योगिक वित्त निगम के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने से इन्कार कर दिया है। विभिन्न वित्तीय संस्थानों में उचित समन्वय होना चाहिए। उनके कार्यक्षेत्र अलग अलग होने चाहिए।

श्री बी० वी० नायक : वित्तीय संस्थानों को पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के प्रति न्याय करना चाहिए। इन क्षेत्रों का चुनाव इनके गुण दोषों और उनके सामर्थ्य के आधार पर किया जाना चाहिए। एजेंसियों को भी ऐसा परारर्श दिया जाना चाहिए कि वे विकास कार्य सुनिश्चित करें।

अधिकतर मामलों में परियोजना प्रतिवेदन पर ही किसी उद्योग विशेष की कुल पूंजीगत लागत का 10 प्रतिशत व्यय हो जाता है। जब तक हम परियोजना प्रतिवेदन पर, जोकि किसी परियोजना के मूल्य और गुणों पर आधारित होगा, धन लगाने में समर्थ नहीं हो जाते, तब तक हमारे विभिन्न उद्योगों का विकास असम्भव है।

होटल उद्योग को जोकि एक मनोरंजन उद्योग है, प्रोत्साहन पाने वाला उद्योग नहीं समझा जाना चाहिए। इस उद्योग में अन्धाधुन्ध काला धन लगाया गया है। इस उद्योग को अनुसूचित बैंकों, गैर अनुसूचित बैंकों और प्राइवेट वित्त व्यवस्थापकों ने भी धन दिया है। सरकार से मेरा आग्रह है कि इस उद्योग को आसानी से छोड़ा जा सकता है।

***श्री ई० आर० कृष्णन** (सलेम) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इसमें "औद्योगिक संस्था" की परिभाषा को विस्तृत किया गया है । अब होटल उद्योग जैसे अन्य उद्योग भी निगम से वित्तीय सहायता प्रकट कर सकेंगे ।

जहां इस विधेयक में कुछ उपबन्ध है वहां इसमें कुछ हानिकारक उपबन्ध भी हैं। मूल अधिनियम में राज्य वित्त निगम के प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति के बारे में कहा गया है कि यह राज्य सरकार द्वारा भारत के रिजर्व बैंक से सलाह कर के की जाएगी । इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि केवल रिजर्व बैंक ही निगम के प्रबन्ध निदेशक के पद पर उचित व्यक्ति को चुन सकता है और राज्य सरकार ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं है । अत: मेरा सुझाव है कि विधेयक से इस संशोधन का लोप कर दिया जाए ।

खण्ड 8 में कहा गया है कि निदेशक के पद पर चुना गया कोई भी व्यक्ति लगातार 8 वर्ष से अधिक समय तक पद धारण नहीं करेगा । इसके स्थान पर यदि यह लिख दिया जाता कि निदेशक के पद पर चुना गया कोई भी व्यक्ति चार वर्ष की अपनी दो लगातार कालावधियों से अधिक समय तक पद धारण नहीं करेगा सरकार ने इस विधेयक का प्रारूप तैयार करते समय विधिक परिभाषा की ओर उचित ध्यान नहीं दिया है ।

खण्ड 10 में यह उपबन्ध रखा गया है कि प्रबन्ध निदेशक अल्पकालिक अवैतनिक काम स्वीकार कर सकता है । निगम के प्रबन्ध निदेशक का काम पूर्ण कालिक काम है । यदि उसे अल्प कालिक काम स्वीकार करने की अनुमति दे दी जाती है तो इससे निगम के काम को अवश्य ही ठेस पहुंचेगी और प्रबन्ध निदेशक भी निगम के काम को पूरी तरह से नहीं कर सकेगा । उसे अल्पकालिक काम स्वीकार करने की अनुमति देना ठीक नहीं है ।

खण्ड 16 की परिभाषा स्पष्ट नहीं है । इस परिभाषा के अनुसार एक गैर-सरकारी लिमिटेड कम्पनी 20 लाख रुपए तक ऋण ले सकती है जबकि मूल अधिनियम में 10 लाख की व्यवस्था है मूल अधिनियम में खण्ड 16 (क) (owe) में गैर-सरकारी लिमिटेड कम्पनी के मामले में 20 लाख का उपबन्ध है तथा वर्तमान संशोधन में लिखा है कि "कम्पनी के मामले में 30 लाख रुपए" का उपबन्ध है । संशोधन में एक तो गैर-सरकारी शब्द का लोप हो गया है और दूसरे गैर-सरकारी लिमिटेड कम्पनी के मामले में ऋण की सीमा को 10 लाख से 20 लाख तक बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है । यह बात स्पष्ट की जानी चाहिए ।

खण्ड 28 निगम के बोर्ड को अपने विनिमयों को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति प्रदान करता है । इससे ऋण लेने वाली सभी औद्योगिक संस्थाओं को बाधा पड़ेंगी । दूसरे यह सभी सिद्धान्तों के विपरीत है ।

श्री डी० के० पंडा (भंज नगर) : खन्ड 4 में कुछ विशेष निधि लेने के लिए बनाए गए उपबन्धों का महत्व समाप्त हो जाता है क्योंकि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह निधि किस प्रयोजन के लिए और किस प्रकार प्रयोग में लाई जाएगी । इसमें यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह सहायता किन व्यक्तियों को या किस वर्ग के उद्योगों को दी जानी हैं । खण्ड के

* तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

अन्त में पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए अधिकाधिक सहायता देने पर बल दिया गया है परन्तु उन्हें प्राथमिकता देने के लिए कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसा लगता है कि इस मामले पर गम्भीर रूप से विचार नहीं किया गया है।

खण्ड 10 के अनुसार निदेशक को अल्पकालिक काम करने की अनुमति देना उचित नहीं होगा। जब हम उसे निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मानते है तो हम उसे अवैतनिक अल्पकालिक काम करने की कैसी अनुमति है सकते है। अतः इस खंड में उचित संशोधन किया जाना चाहिए।

खंड 18 में मुख्य बात यह है कि राज्य वित्त निगम उस औद्योगिक संस्था से कोई कारबार न करे जिसमें वित्त निगम का कोई निदेशक स्वामी, साझेदार निदेशक, प्रबन्धक, अधिकर्ता या कर्मचारी के रूप में काम कर रहा हो। इसी प्रकार प्रन्तुक में 'किसी अन्य विधि द्वारा या के अधीन स्थापित निगम' शब्दों का लोप कर दिया जाना चाहिए अन्यथा इस खंड का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा क्योंकि निगम से गैर-सरकारी निगम अभिप्रेत है और इसका सरकारी होना आवश्यक नहीं है।

उद्देश्यों के कारणों और कथनों से पता चलता है कि बहुत अच्छी-अच्छी घोषणाएं की गई हैं क्या यह संशोधन विधेयक उन उद्देश्यों को और आगे बढ़ाने के लिए लाया गया है परन्तु निगम के काम को देखने से हकीकत का पता चलता है। गत बीस वर्षों में निगम ने कुछ भी काम नहीं किया है। भारत में पंजीकृत 1,70,000 लघु उद्योगों में से केवल 4000 एककों को निगम से सहायता प्राप्त हुई है।

हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। यह लघु उद्योग का विकास करके दूर की जा सकती है।

राज्य वित्त निगमों के सभापतियों का सम्मेलन मार्च 1970 में हुआ था और उन्होंने कुछ सिफारिशें की थी। मैं जानना चाहता हूं कि उनका क्या हुआ है। मूल अधिनियम तो लागू नहीं हुआ है अब उसमें संशोधन करने की क्या आवश्यकता थी। हम कैसे आशा कर सकते हैं कि इस संशोधन के उद्देश्य को पूरा किया जाएगा।

326 जिलों में से लगभग 60 प्रतिशत जिले पिछड़े घोषित किए गए हैं। इन पिछड़े जिलों की औद्योगिक सम्भावनाओं का पूर्ण रूप से अनुमान नहीं लगाया गया है। इससे समस्या हल नहीं हो सकती जिलावार औद्योगिक सम्भावनाओं का अनुमान लगाया जाना चाहिए। अनुमान लगाए जाने के बाद उन्हें कार्य रूप देने का प्रयास किया जाना चाहिए।

सहायता देने के बारे में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हमें इस बात को ध्यानपूर्वक देखना होगा कि किन क्षेत्रों में किस-किस उद्योग को प्राथमिकता देनी चाहिए।

हमें इस बात को भी देखना होगा कि छोटे पैमाने के एककों और सरकारी क्षेत्र के एककों का साथ साथ विकास हो।

Shri R. V. Bade (Khargone) : I congratulate the Government for having brought forward the State Financial Corporation Amendment Bill. But I find that there is no change in the definition of 'Industrial' Concern. The same definition was there in the original Act.

Government should change its policy of running hotel industry where people collect

ten per cent bogus amount and take remaining amount from the Government On the other hand they should give preference to industries which can non-profitably.

Government should also pay attention towards the appropriation of accounts which State Transport Corporation takes from Cooperative Banks, State Financial Corporation etc.

The State Financial Corporation should take the initiative to set up industries at such places which are most suitable.

The process of disbursing fund to the industrialists is too lengthy which stands in their way. It should be simplified.

देश में विद्यार्थियों में व्याप्त असंतोष और दिल्ली विश्वविद्यालय में 6 दिसम्बर, 1972 को हुई घटनाओं के बारे में चर्चा

DISCUSSION ON STUDENT UNREST IN THE COUNTRY AND INCIDENTS IN DELHI UNIVERSITY ON DECEMBER 6, 1972.

श्री पी० गंगादेव (अंगुल) : विश्वविद्यालयों में असंतोष की समस्या का सामना न केवल भारत को ही बल्कि विश्व के बहुत से अन्य देशों को भी करना पड़ रहा है। इससे शिक्षा पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः सरकार को इसका कोई स्थायी हल निकालने का प्रयत्न करना चाहिए।

{ **श्री एन० के० पी० साल्वे** पीठासीन हुए / **Shri N. K. P. Salve** *in the chair* }

सब से पहले हमें विश्वविद्यालयों में अनुशासनहीनता के कारणों का पता लगाना चाहिए। केवल छात्रों पर आरोप लगाना ही ठीक नहीं है क्योंकि हो सकता है कि उनपर निहित स्वार्थों और असंतुष्ट राजनीतिज्ञों का बाह्य प्रभाव पड़ता हो। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि कालेजों में कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को भी दाखिल कर लिया जाता है जिनकी उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कोई रुचि नहीं होती है। दूसरे शिक्षकों की नियुक्ति भी त्रुटिपूर्ण नहीं है। इससे असंतोष बढ़ता है और शिक्षा का स्तर गिरता है।

मुझे इस बात की भी आशंका है कि समाज विरोधी तत्व असंतोष की भावना फैलाने में लगे हुए हैं जिससे की देश में विकास की गति रुक जाए। हमें ऐसे तत्वों को दबाने का प्रयत्न करना चाहिए।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : The statement made by the Minister of State for Home Affairs in the House on the 7th December, 1972 regarding the atrocities perpetrated by Police on the students in the premises of Delhi University on 6th December was quite unsatisfactory as the state of affairs was just the reverse. It has been mentioned in 'Hindustan Times' that the police went into action just as DUSU President Mr. Ram Khanna was requesting the largly peaceful crowd of above 2,000 students to disperse. At such a time the police entered and began beating the students and teachers. This fact can be further supported by the news item of Hindustan Times where it has been stated that according to eye witnesses, a constable began be labouring a prostrate student who was later identified as Mr. Raj Kumar of the Hans Raj College. The Hindustan Times photographer who clicked the scene was jostled until other newsmen intervened. The

bleeding student was dragged to a waiting jeep and driven away minutes later. Thus the atrocities committee are worth noting. A lecturer Miss Prabha Dikshit of Miranda House and two students saw the police beating the students inside the vehicle. I know that even a female lecturer was maltreated.

In spite of these incidents if the hon. Minister says that nothing had happened on that day that why a judicial enquiry is not being made.

I want to know why the hon. Minister has been asked to intervene. Why do not they see the leaders of the students, the head of the college and the students organisation and find out a solution.

I have got the information from the parents organisation that 65 seats are still lying vacant in four medical colleges. What does the hon. Minister wants to do in this connection ?

I would have satisfied myself had the police come forward to protect the office of Vice Chancellor but tear gas shell was burst without giving any warning to the students.

Exactly the same thing had happened in Banaras also. When negotiations were going on peacefully PAC was called and atrocities were committed on the students. The demands of the students were not heard and on the other hand they were beaten. If things are to go like that then it is a very unhappy state of affairs.

I fail to understand the policy of Government. They are prepared to make negotiations with enemy countries like China and Pakistan but they are not prepared to negotiate peacefully with the students. After all the students are not our enemies. I feel that politics is behind it. This is not good. This is not the way to remove frustration of the students. We have not paid as much attention towards studies as we should have paid. For this students cannot be blamed. When the Prime Minister had visited Roorkee University the students had submitted that they did not want degrees but service. Even today 60 to 70 thousand engineers are out of job. The student community is prepared to work but they do not get the job. Their future is in the dark. They are frustrated. The Govt. will have to go to the root cause of it. In outer to remove frustration of the students it is very essential that a restriction order is taken back. The politics which is going on in the universities should also he put an end to. The leaders of political parties should meet and prepare code of conduct.

In the end I would like to submit again that a judicial enquiry should be made regarding the incidents of 6th December, and those found guilty should be punished heavily.

श्री आर०डी० भंडारे (बम्बई-मध्य) : श्रीमन मैंने माननीय सदस्य श्री जगन्नाथराव जोशी का भाषण सुना है । उन्होंने चर्चा के विषय की उपेक्षा करके कुछ विशेष घटनाओं पर ही अपने विचार व्यक्त किये हैं । उन्हें मालूम होना चाहिये कि आज विद्यार्थियों में यह समस्या समूचे विश्व में व्याप्त है ।

पश्चिमी देशों में इसके कुछ और कारण हैं । हमारे देश में विद्यार्थियों में शोभ होने के कुछ और ही कारण हैं । हमें पता चलेगा कि विद्यार्थियों में बेचैनी का कारण हमारे सामान्य जीवन में राजनीतिक प्रवृतियों का होना है ।

ऐसी स्थिति में हमारे देश में फिर भी कुछ अच्छी प्रवृतियां प्रचलित हैं । पश्चिमी देशों में माता-पिता और बच्चों में सम्बन्ध थोड़े समय तक रहते हैं । हमारे बच्चे अच्छा साहित्य पढ़ते हैं ।

विद्यार्थियों में अशान्ति का मुख्य कारण हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है । शिक्षा आयोग ने सिफारिश की थी कि हमारी शिक्षा में परिवर्तन करके उसमें व्यवसाय का प्रशिक्षण देने की व्यवसाय

की जानी चाहिये। मेरे विचार में अशंकालिक शिक्षा की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है।

हम देखते हैं कि शिक्षित नवयुवकों में बेकारी की समस्या बहुत अधिक है। यह भी आन्दोलनों का एक कारण है। राजनैतिक दल भी इसके लिए दोषी हैं। मैं जानता हूं कि कुछ राजनीतिक दल विश्वविद्यालयों में आन्दोलन के लिए जिम्मेदार हैं। कुछ प्रतिक्रियावादी और वामपंथी दल इन में आगे आगे हैं। अध्यापक गण भी अपने हितों की पूर्ति के लिए विद्यार्थियों का गलत प्रयोग करते हैं। विश्वविद्यालय के प्रांगण में पुलिस को तैनात करना भी तनाव बढ़ाता है। पुलिस को विश्वविद्यालय में नहीं बुलाया जाना चाहिये। अहिंसा की स्थिति में यदि पुलिस बुलानी भी पड़े तो विद्यार्थियों के साथ बर्बरता पूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये।

दिल्ली में गड़बड़ का कारण विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त संख्या में बसों की व्यवस्था का न होना है। हमें विद्यार्थियों को समझाना चाहियें। परन्तु उससे अधिक आवश्यक यह है कि माता पिता अध्यापक तथा राजनीतिज्ञ अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें।

विद्यार्थियों में जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न की जानी चाहिये। विश्वविद्यालय की प्रबन्ध-व्यवस्था में उनको भी लिया जाना चाहिये। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालयों के अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिये। दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, उनके माता-पिता, अध्यापकों और अधिकारियों को मिल बैठकर समस्याओं को सुलझाना चाहिये। इस प्रकार ठीक प्रकार से कार्यवाही हो सकती है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेलीचेरी) : विद्यार्थियों में अशान्ति के अनेक कारण हैं। उनमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारण प्रमुख हैं। वर्तमान संकट सरकार की गलती के कारण है। सरकार ने शिक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार नहीं किया है। विद्यार्थी यह नहीं जानते कि अपनी शिक्षा पूर्ति के पश्चात वह क्या कार्य करेंगे। यह सब सरकार की त्रुटिपूर्ण नीति का परिणाम है।

युवक वर्ग समझता था कि कांग्रेस को बहुत बड़ा बहुमत मिला है जनता की आकांक्षाएं पूरी होंगी। परन्तु अब निराशा के कारण अशान्ति फैलती जा रही है।

हाल ही में राज्यपालों के सम्मेलन में राष्ट्रपति ने कहा है कि विद्यार्थियों के आन्दोलनों को सख्ती से दबा दिया जाये। मैं इस सुझाव को ठीक नहीं समझता। इससे समस्याओं का समाधान नहीं होगा।

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय की हाल की घटनाओं के लिए बहुत हद तक जनसंघ जिम्मेदार है। यह दल ही विद्यार्थी परिषद के माध्यम से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी भी उत्तरदायी है। इसकी नीति के कारण ही देश में बेचैनी उत्पन्न हो रही है।

हमारी परीक्षा प्रणाली भी बहुत त्रुटिपूर्ण है। हम दिन प्रति दिन सुनते हैं कि वहाँ पर परीक्षा स्थल पर चाकू चल गया। हमारी सरकार ने अनेक आयोग नियुक्त किये। परन्तु हमें परिणामों को देखना है। परीक्षा के तरीके में आमूल परिवर्तन किया जाना चाहिये। पुस्तकें साथ रखकर परीक्षा की अनुमति होनी चाहिये।

गैर सरकारी शिक्षा संस्थाओं में बहुत धांधलियाँ हैं। कुछ लोगों ने इन संस्थाओं को धन बटोरने का साधन बनाया हुआ है। इस ओर ध्यान देकर सुधार किया जाना चाहिये।

देश के मैडिकल कालेजों में दाखिला पाने के लिए हजारों रुपया मांगा जाता है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। हमारी शिक्षा प्रणाली विदेशियों द्वारा चालू की गई थी। यह उन्होंने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया था। अब हम एक स्वतन्त्र देश के लोग हैं। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन करना चाहिये।

Shri Raj Deo Singh (Jaunpur): The incidents that took place on Delhi University campus are the subject matter of this discussion. There is great unrest in various Universities. We should first of all analyse the causes of this. It is a pity that universities have been turned into arenas of party politics. The recent incidents of Delhi University are examples of the same. If there are inadequate facilities for studies in the Universities, then one can understand the justification of agitations. But there is no logic in hijacking of buses.

There are student unions in all Universities these days. These unions have huge funds at their disposal. These funds are misused. It should be checked. Similarly the membership of unions should not be compulsory.

I know something about the happenings of Banaras Hindu University. There the R.S.S. people have hold over the student union. It is they who are supporting this agitation. They take out processions in University campus.

Now I will say something about the nature of agitation. The gatecrashed into the university office. Set the records on fire. They made an attempt to ransack the post office. They damaged other Uuiversity property. There are about fifteen thousand students. Out of them only two hundred students are participating in this agitation. This group belongs to Vidyarhi Parishad and the faction of socialist party known as Raj Narain party. The Chief of R.S.S. in Bihar is staying there with his followers and is directing this movement.

This University was established by Late Shri Madan Mohan Malaviya with great expectations. was a student there from 1930 to 1938. This University has been a true national institution. Its record during freedom movement is glorious. It is very sad that this university has come to such pase.

I suggest that Government should lay down such a policy that students are taught some vocation. It will help in providing them employment after their studies.

श्री जे० माता गौडर (नीलगिरि) : विद्यार्थियों में अशान्ति के कारण कुछ विश्वविद्यालयों ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिये हैं। कुछ विश्वविद्यालय बन्द कर दिये गये हैं। इस विषय में देश में बड़ी गम्भीर स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। इस के कारणों पर विचार करते समय आप पायेंगे कि समाज में फैली बेचैनी ही इसके पीछे है।

अब विद्यार्थी राजनीति में भाग लेने लगे हैं। उन्होंने अध्ययन छोड़ दिया है। सभी राजनीतिक दल उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। विद्यार्थियों को अपने भविष्य के बारे में अनिश्चितता है। अतः वे निराश हैं। ऐसी स्थिति में उनमें हिंसा की भावना जागृत होना स्वभाविक है।

यहां दिल्ली में कांग्रेसपार्टी विद्यार्थियों को शान्त रहने की अपील कर रही है, परन्तु तमिलनाडु में इस दल ने वहां की डी० एम० के० सरकार के विरुद्ध विद्यार्थियों को भड़काया है।

{ **श्री के० एन० तिवारी** पीठासीन हुए। / **Shri K. N. Tiwari** *in the Chair* }

मेरे विचार में विद्यार्थियों में अशान्ति का कारण राजनीतिक दलों द्वारा इसको बढ़ावा देना है। यह सभी दलों का दायित्व है कि वे विद्यार्थियों को भड़का कर अनुचित लाभ न उठायें।

यह तय किया गया था कि पुलिस विश्वविद्यालय के अहाते में दाखिल नहीं होगी, परन्तु अब हम क्या देखते है कि लगभग प्रतिदिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि पुलिस विश्वविद्यालय में बुलायी जा रही है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों और पुलिस के बीच गड़बड़ को रोकना कठिन हो जाता है। सभी राजनीतिक दलों को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए विद्यार्थियों को राजनीति में नहीं लाना चाहिये। विश्वविद्यालय के कार्य संचालन में विद्यार्थियों को भाग लेना चाहिये। इससे वे अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य ठीक प्रकार से चल सकेगा।

यदि मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाये तो इससे भी विद्यार्थियों में अशान्ति को समाप्त किया जा सकेगा।

श्री नारायण चन्द पाराशर (हमीरपुर) : हमें यह समझना चाहिये कि पहले के और अब के विद्यार्थियों में बहुत अन्तर है। आज के छात्र बहुत जागरूक है। उन्हें अपने अधिकारों का पता है। हमें उनकी आकांक्षओं को पूरा करना है। उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनको राजनीति के अखाड़े में नहीं लाना चाहिये।

मैं जानता हूं कि पिछले दिनों जब पंजाब में छात्रों द्वारा आन्दोलन चलाया जा रहा था, तो बसों को जलाने का काम मार्कसिस्ट साम्यवादी दल वाले कर रहे थे, हमें पहले तो राजनीतिक दलों को समझाना चाहिये कि वे छात्र आन्दोलनों से अनुचित लाभ न उठाये।

शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की पिछली बैठक में छात्रों में अशान्ति के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक उपसमिति नियुक्त करने का प्रस्ताव पास किया गया था। उसे चार महीने में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। छात्रों में अशान्ति एक गम्भीर मामला है। इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों को त्यागपत्र नहीं देने चाहिये। राजनीतिक दलों को छात्रों की समस्याओं से अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिये।

दिल्ली जनसंघ के पराजित हो जाने के कारण छात्र समस्या उग्र रूप धारण कर गई है। यह दल छात्रों को भड़का कर गड़बड़ करा रहा है। छात्रों की आकांक्षाओं को पूरा किया जाना चाहिये। उनको पुलिस के बल से दबाया नहीं जाना चाहिये। आज समाज में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। विद्यार्थी इससे अछूते नहीं रह सकते। इस अशान्ति के लिए केवल छात्रों को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। विश्वविद्यालय के अधिकारियों को भी विद्यार्थियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्ण विचार करना चाहिये। उनके साथ पुलिस के माध्यम से बात नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थियों को भविष्य की चिंता है। उन्हें रोजगार पाने की चिंता है। इसके लिए उन्हें आश्वस्त किया जाना चाहिये। सरकार को छात्रों को न्याय दिलाना चाहिये। उन्हें यह आश्वासन दिलाया जाये कि उनके उज्वल भविष्य के लिए सरकार कृतसंकल्प है। जब उन्हें यह विश्वास हो जायेगा तो यह अशान्ति तुरन्त समाप्त हो जायेगी।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : विश्वविद्यालयों में छात्रों के राजनैतिक गुटों के माध्यम से तथा विश्वविद्यालय प्रांगण में राजनैतिक दलों के सक्रिय होने के कारण इस देश की राजनीति दूषित हो गई है। वास्तव में, इसमें विश्वविद्यालय और छात्रों का दोष नहीं है। दोष है हमारी सरकार का जिसने भावी भारत के सुन्दर चित्र पर दाग लगा दिया है। इस बात के बावजूद कि हमारे देश में सम्पति की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं हैं विशेषज्ञों की, ज्ञान की खनिज पदार्थों की

संक्षिप्त में किसी भी चीज की कमी नहीं है फिर भी हम लोगों की भलाई के लिए उनका सदुपयोग नहीं कर सकते हैं । इसलिए, भारत में आज छात्रों में असन्तोष एवं अशान्ति की जो ज्वाला भड़क रही है उसके लिए एकमात्र जिम्मेदार भारत सरकार है और राज्य सरकारें जिनके माथे केन्द्रीय सरकार यह दोष मढ़ना चाहेगी ।

शिक्षा की हमारे देश में इतनी उपेक्षा की गई है कि इस विभाग को केन्द्रीय सरकार ने किसी वरिष्ठ एवं मंत्रिमंडल स्तरीय मंत्री को सौंपने की जरूरत तक नहीं समझी जब कि विश्व में शायद कोई एक-आध देश होगा जहाँ शिक्षा मंत्री मंत्रिमंडल स्तर का न हो ।

उदाहरण के लिये, दिल्ली में आज क्या हो रहा है? दिल्ली कालिज आफ इंजीनियरिंग और कालिज आफ आर्ट्स में छात्र पिछले 15 महीनों से, जब से ये कालिज बिल्कुल बन्द हैं, केवल यही मांग कर रहे हैं कि कालिज खोले जायें और पढ़ाई के लिए अध्यापकों की व्यवस्था की जाये । इससे अधिक न्यायसंगत मांग छात्रों की ओर से और क्या हो सकती है, किन्तु सरकार केवल बहाने बना कर टालमटोल करती जा रही है कि यह प्रशासनिक समस्या है और मामला फलाँ-फलां के नियन्त्रण में है, आदि ।

दूसरा प्रश्न है— दिल्ली कालिज आफ इंजीनियरिंग के बर्खास्त अध्यापकों की पुनर्नियुक्ति का । ये दोनों संस्थाएं दिल्ली प्रशासन के अधीन हैं जो संकटग्रस्त हैं और यही कारण है कि छात्रों ने अंतिम रूप से कह दिया है कि इन कालिजों को विश्वविद्यालय को अपने हाथ में ले लेना चाहिए ।

जहां तक विश्वविद्यालय का निर्णय लेने वाली समितियों में छात्रों को शामिल करने की बात है वह केवल एक धोखेबाजी है जो कई वर्षों से चल रही है । ऐसी कोई समितियां नहीं बनाई गई हैं जहां छात्रों की बात वस्तुत: सुनी जाती हो ।

अन्त में, दक्षिण प्रांगण कालिजों के लिए एक पुस्तकालय की मांग की गई है । यह बात समझ में नहीं आती कि सरकार इन मांगों में से किसी को, जिसमें निष्कासित छात्रों का पुन: वापस लेने की मांग शामिल है, सरकार मानने से इन्कार कैसे कर सकती है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि सरकार छात्रों की इन छ: मांगों को स्वीकार कर ले, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में निश्चत रूप से शान्ति स्थापित हो जायेगी । इसलिए मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जब तक देश की भलाई के लिए तथा भावी पीढ़ियों के हित के लिए सम्बन्धित सभी व्यक्तियों से बिना किसी पूर्व शर्त के तुरन्त बातचीत आरम्भ नहीं की जाती तब तक हम इस गंभीर समस्या से छुटकारा नहीं पा सकते ।

Shri Satpal Kapur (Patiala) : Mr. Chairman, Sir, I fail to understand how the Government will be able to solve the day-to-day problems with the existing educational set-up. The present system of education is defective and needs a total shake-up. If it is allowed to continue, it would lead the country to distruction. The Government have failed to provide employment to educated youth and they have, at the same time, not made any efforts to change the present educational structure and introduce reforms in it with a view to make education job-oriented. It is not fair if the entire responsibility is ascribed to some political parties while the Government themselves did nothing to improve the situation.

It will be a blunder to think that the problem of student unrest is simply a problem of law and order. The Education Ministry should convene a conference of student leaders in all the universities and find means and ways to restore peace in universities and run

them smoothly. The Government should also provide for the students' participation in the decision-making bodies of the universities. Steps should also be taken to organise a conference of leaders of various political parties and try to frame a minimum code of conduct for students on the basis of decisions reached through negotiations with them.

The Government should immediately start negotiations in regard to Delhi and U. P. universities. It will not be proper if the Government or Vice-Chancellors made it a prestige issue. All these problems and issues should be viewed in a long-term and broad perspective.

Shri Shyamnandan Mishra (Begusarai) : Mr. Chairman, Sir, it seems the country is going to face a grave crisis very shortly and as it appears to me, it will be an all-pervasive. Besides political and economic factors, the destructive fall in educational standard will be mainly and basically responsible for the crisis in the offing. This state of affair is also a contributory factor to the students' unrest. The situation is so bad and deteriorating that teachers are not taking pride in their role and apperently take part and interest in politics. Similarly students do not take keen interest in their studies. The situation is so worse that students today instead of spending their time in studies are spending it in agitations. We should go deep into the causes responsible for this explosive situation Had there been prospects for them to make their future through education, they would not have resorted to such agitations.

One of the reasons for this sorry state of affairs is that the student-teacher ratio is so unsatisfactory that there is over-crowding in class rooms. Secondly some schools and colleges admit students with the entention of making money only. Thirdly, Educational institutions are not having good buildings, proper facilities for games, libraries etc Fourthly teachers also do not possess requisite and necessary abilities—required for the profession.

The prevailing unemployment has become a rankling sore in the mind of the student of today. He finds his future bleak. This factor is also responsible for the students unrest. There have instances in many places in various States when it was not found possible to hold or conduct examination. We neither have manpower planning nor educational planning in our country.

The genuine demands of students have not been conceded. The apathetic attitude of the Government and educational authorities towards their difficulties and problems all these years has been responsible for the students' unrest. Political interference in educational activities is also one of the causes of this unrest. There is no denying the fact that the ruling party is as much to blame as other parties for political interference in student life with the result that the student community is suffering for no fault of theirs.

The Government will have to make higher allocations for education. The education budget should be at least as large as the defence budget. It is presently half the size. In addition to this, steps should also be taken to provide necessary facilities to them.

The Government had appointed a number of education commissions but their recommendations were put in Cold Storage. We should have manpower planning as well as educational planning in our country which we lack in.

The Prime Minister should convene a meeting of all political parties in Parliament to consider the present trouble in Banaras Hindu University and Delhi University and constitute an all party committee for the purpose. The conference convered by the Education Minister would not achieve the desired results. The Government and the Vice-Chancellor have closed the doors for settlement and the students are clamouring for justice. We cannot improve the situation through penal action. The universities should be areas of peace. Only then we can make future of our students bright.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : सभापति महोदय मैं श्री मिश्र जी के इस कथन से पूर्णत: सहमत हूं कि विश्वविद्यालयों में जो विद्या के मन्दिर हैं और जहां हमारे युवकों के चरित्र का निर्माण होता है, उन्हें अच्छा नागरिक बनाया जाता है, जीवन की यथार्थताओं को को समझने के लिये तैयार किया जाता है, शान्ति रहनी चाहिये। हड़ताल होने या कुछ दिन के लिये विश्वविद्यालय के बन्द होने से युवकों के भविष्य पर प्रभाव पड़ता है, जिनपर राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है। मैं इस समय केवल 7 दिसम्बर के वक्तव्य सम्बन्धी सदस्यों के प्रस्ताव पर ही बोलूंगा। सामान्य शिक्षा नीति सम्बन्धी अन्य प्रस्ताव के बारे में मेरे साथी शिक्षा मंत्री महोदय बोलेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में भी मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि शिक्षा मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में एक विस्तृत वक्तव्य दे चुके हैं। जोशी जी ने कुछ घटनाओं का उल्लेख किया। हमारे विचार में हिंसा की घटनाओं में चन्द विद्यार्थियों का ही हाथ है और अधिकांश विद्यार्थी शान्तिपूर्ण वातावरण में अध्ययन करना चाहते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की एक अपनी परम्परा और अपनी परम्परा रही है, और हम चाहते हैं कि वह स्तर बनाये रखना चाहिये। यह खेद की बात है कि श्री जोशी ने विश्वविद्यालय प्रांगण में पुलिस बुलाये जाने की तो आलोचना की परन्तु हिंसा की घटनाओं की निन्दा नहीं की।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (शाजापुर) : मैंने दो बार निन्दा की है। कृपा रिकार्ड देखिये।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह एक सच्चाई है कि विद्यार्थी विश्वविद्यालय पर कब्जा करने के पूर्व घोषित उद्देश्य से वहां गये। खिड़कियों के शीशे तोड़े गये।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : विद्यार्थियों की शिकायत है कि शीशे बाहर आकर पड़े जिससे मालूम देता था कि शीशे अन्दर बैठे लोगों द्वारा तोड़े गये थे।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : क्या आप मानते हैं कि हिंसा नहीं हुई।

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा (भीलवाड़ा) : क्या आप समझते हैं कि उप-कुलपति के कार्यालय में अन्दर बैठे पुलिस वालों और गुण्डों ने शीशे नहीं तोड़े ?

Shri Jagannath Rao Joshi : I have quoted the correspondent of the Hindustan times. A Judicial enquiry should be held, and the persons found guilty should be Punished.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं श्री जोशी, श्री बसु और अन्य मित्रों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि हम विश्वविद्यालयों में हिंसा को सहन नहीं करेंगे।

श्री समर गुह (कन्टाई) :*

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : *

सभापति महोदय : कुछ भी रिकार्ड नही किया जायेगा, आप मेरी अनुमति लेकर ही बोल सकते हैं। [**व्यवधान**]

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमन् मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

सभापति महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मंत्री महोदय अपना भाषण जारी रखें।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया

Not recorded as ordered by the Chair.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे वास्तविक घटनाओं का उल्लेख करना पड़ेगा क्योंकि जोशी ने सारे मामले को इस प्रकार रखा है कि पुलिस ने विश्वविद्यालय में घुसकर लोगों को मारा पीटा।

श्री समर गुह : उप-कुलपति ने पुलिस अधीक्षक के समान कार्य किया है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई प्रैस विज्ञप्ति में कहा गया है कि विद्यार्थी 14 नवम्बर को उप-कुलपति के कार्यालय में मुख्य द्वार तोड़कर घुस गए, प्रवेश द्वार पर चौकीदार को पीटा तथा कार्यालय में तोड़-फोड़ की उन्होंने खिड़कियों के शीशे और फर्नीचर भी तोड़ डाला। उन्होंने कुछ कर्मचारियों को भी पीटा। 15 नवम्बर को इन घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई।

चूंकि वहां पर पुलिस नहीं थी गुण्डे लोगों मनमानी कर सकें। यह नोट किया जाये कि विज्ञप्ति में उनका उल्लेख 'गुण्डे' हैं।

मैं 7 दिसम्बर के अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर चुका हूं कि ऐसी स्थिति में उप-कुलपति के द्वारा प्रार्थना किये जाने पर पुलिस विश्वविद्यालय में भेजनी पड़ी। सरकार स्वयं ऐसा कभी नहीं करती है। दिल्ली विश्वविद्यालय में यह पहला अवसर है कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों को पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस के आने पर कुछ विद्यार्थियों ने पथराव किया। जोशी जी ने ऐसा खाका खींचा कि जैसे बहुत से व्यक्ति घायल हुए हों। मुझे बताया गया है कि किसी भी समाचार पत्र ने घायलों की संख्या एक दर्जन से अधिक नहीं बताई। 3000 व्यक्तियों की भीड़ थी। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही किस प्रकार की थी। पुलिस को सुरक्षा के लिए बुलाया गया था। हमें अनुशासन की चिन्ता है। उप-कुलपति शिक्षा शास्त्री हैं न कि मंत्री।

श्री समर गुह : मुझे उनकी कार्यवाही से शर्म आती है। उनके शरीर में उप-कुलपति का हृदय नहीं है।

सभापति महोदय : सभा में अनुपस्थित व्यक्तियों के बारे में उन्हें ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द पन्त : किसी ने भी पुलिस द्वारा ज्यादती किए जाने का कोई भी मामला जिला अधिकारियों या विश्वविद्यालय के अधिकारियों के ध्यान में नहीं लाया। यदि ऐसे मामले हमारे ध्यान में लाये जाते हैं मेजिस्ट्रेटों द्वारा उनकी जाँच कराई जायेगी। यहाँ पर जो तस्वीर खींची जा रही है, वह तथ्यों से सही साबित नहीं होती हैं।

एक कांस्टेबिल द्वारा एक रिपोर्टर के साथ सख्ती से पेश आने का एक विशिष्ट मामला हुआ था जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा वहीं घटनास्थल पर उसे निलम्बित कर दिया गया था। जब भी और जब तक विश्वविद्यालय के अधिकारी प्रांगण में शान्ति बनाये रखने तथा जानमाल की सुरक्षा के लिए पुलिस की सहायता चाहते हैं, पुलिस का कर्तव्य हो जाता है कि उनकी सहायता करे। इस बारे में दो राय नहीं हो सकती। पुलिस बुलाने का निर्णय विश्वविद्यालय का होता है, यदि हम पुलिस नहीं भेजते हैं। तो उस स्थिति में सभा हमारी आलोचना करेगी।

श्री समर गुह : मैं यह नहीं कहता कि सरकार को पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं करनी चाहिए। मैं तो उप-कुलपति को अपराधी मानता हूं जिसने पुलिस को बुलाया।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हम सब सहमत होंगे कि हम विद्यार्थियों का भला चाहते हैं। संसद का कार्य विद्यार्थियों का सही मार्गदर्शन करना होना चाहिए। यदि संसद हिंसा की निन्दा नहीं करती है, तो क्या यह सही मार्गदर्शन होगा। शिकायतों को रखने का भी ढंग होता है। अधिकांश विद्यार्थी हिंसा नहीं चाहते हैं। हमें इस बारे में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए मेरा सभी दलों से अनुरोध है कि विश्वविद्यालय में शान्ति स्थापित करने तथा विद्यार्थियों को शिक्षा देने का सामान्य कृत्य पुनः आरम्भ करने में वे सभी विश्वविद्यालय के अधिकारियों को सहयोग प्रदान करें। विद्यार्थियों की परीक्षाएं समीप आ रही हैं।

श्री मधु दंडवते (राजापुर) : मैं याद दिलाना चाहता हूं कि स्वतंत्र संग्राम के दौरान फरगूसन कालेज के प्रिंसिपल और विद्यार्थियों के बीच झगड़ा हो गया था। और पुलिस आ गई थी लेकिन प्रिंसिपल महोदय ने जो अंग्रेज थे, स्पष्ट कह दिया था कि जब तक मैं यहां पर प्रिंसिपल हूं मैं पुलिस को कालेज और छात्रावास में घुसने की अनुमति नहीं दे सकता। आचार्य नरेन्द्र देव ने भी जो बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उप-कुलपति थे, यही दृष्टिकोण अपनाया था। क्या वे भी ऐसा दृष्टिकोण नहीं अपना सकते हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कोई भी उप-कुलपति हो, यदि वे सरकार से पुलिस की सहायता मांगते हैं, हम सहायता देंगे।

तत्पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 1972/24 अग्रहायण, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, the 15th December, 1972 Agrahayana 24, 1894, (Saka)

Sumer Printing Press, Ganesh Nagar, New Delhi-18